खण्ड-345, अंक-7
सोमवार, 17 भाद्रपद, शक संवत् 1902
(8 सितम्बर, 1980 ई0)

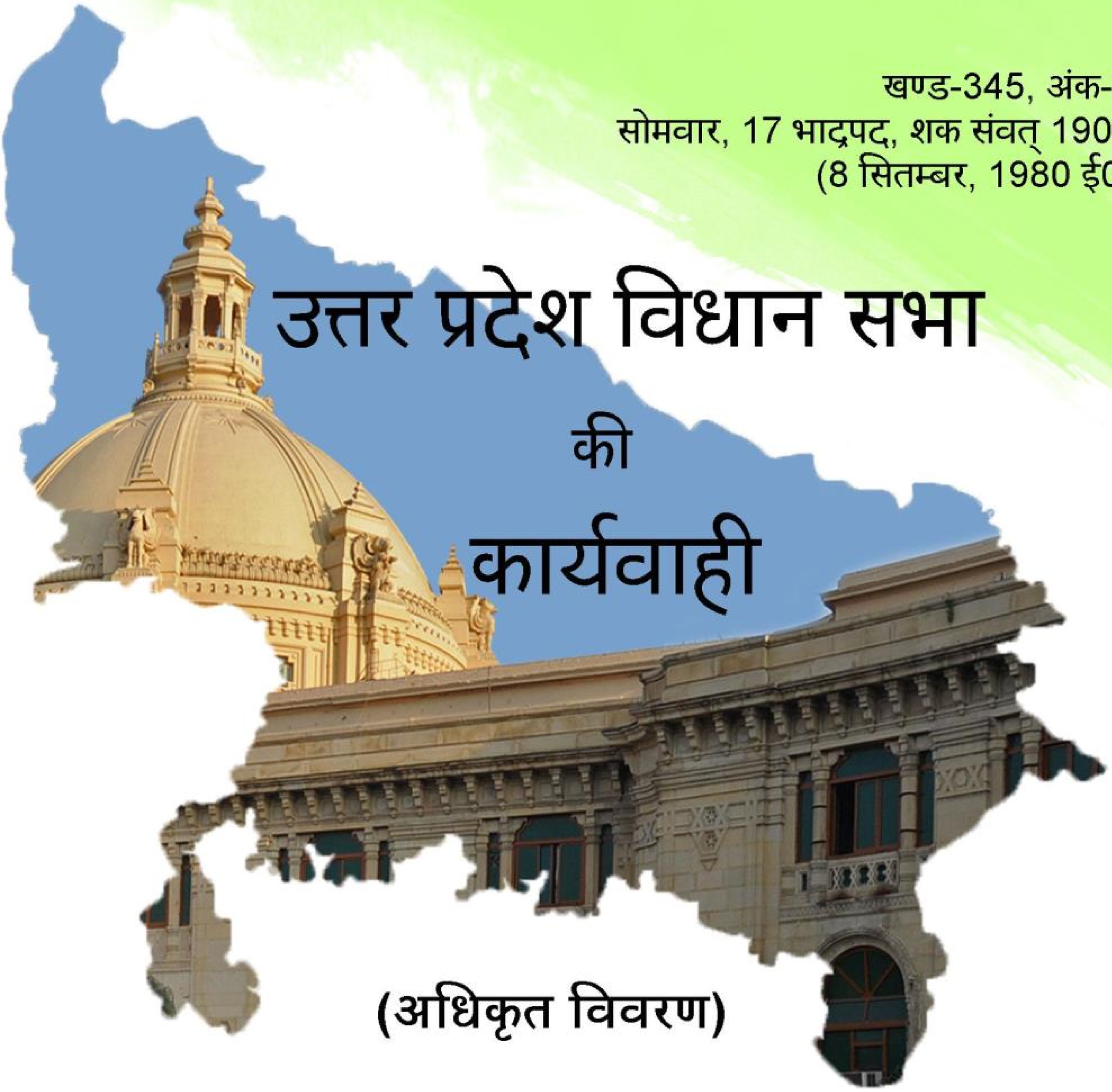

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 345 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1982

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	655–658
प्रश्नोत्तर	659–685
लखीमपुर जिले के फुलवेहट थाने के दो सिपाहियों द्वारा देवरिया गांव की एक हरिजन महिला कलावती के साथ बलात्कार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	685–686
लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के प्रागण में स्व0 श्री रवीन्द्र सिंह की प्रतिमा लगाने पर रोक के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	686
जिला कारागार देवरिया में श्री गाजर पुत्र लगन की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	686–687
पर्वतीय क्षेत्र में खरीफ की फसल में कुरूमुल कीड़े के प्रकोप से नुकसान के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	687
श्री त्रिवेनी द्वारा नियम 301 की सूचना उठाये जाने का प्रयत्न ..	687–688
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 1978–79 (सिविल) तथा उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे 1978–79 एवं विनियोग लेखे 1978–79 (सदन के पटल पर रखे गये) ..	688
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक लेखा विवरण पत्र 1975–76 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	688
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का वार्षिक वित्तीय विवरण–पत्र (भाग प्रथम व द्वितीय) वर्ष 1980–81 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	688
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की वर्ष 1976–77 की 22वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण (सदन के पटल पर रखे गये) ..	688
सदन के पटल पर रखे गये राज्य विद्युत् परिषद् के वित्तीय विवरणों के सम्बन्ध में चर्चा कराने की मांग ..	689
श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा दिये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न को न लिये जाने पर आपति ..	689
विधान सभा की समितियों तथा स्थायी समितियों के सदस्यों को नामनिर्देशित करने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	690
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	690–692

1980-81 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 38--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा), अनुदान संख्या 39--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) अनुदान संख्या 40--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) तथा अनुदान संख्या 77--चिकित्सा विभाग-पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) .. 692-753

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं 753

कासगंज, जिला एटा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य 753-757

देश के उत्तर भाग में भारी भूकम्प से हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य .. 757-764

नत्थियां . 765-771

विधान सभा सचिवालय

उत्तरप्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 8 सितम्बर, 1980

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य 333

अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री (बरेली)
आजाद कुमार हर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री लल्लू (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (उर्फ सुन्तन भैय्या) (खीरी)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्यान सिंह, श्री (बरेली)
फल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री (इलाहाबाद)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णबीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केशरनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शेद अहमद श्री (बहराइच)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनीताल)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवरधन, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती ((गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चंचल सिंह, श्री (रामपुर)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री (बांदा)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चरनजीत सिंह, श्री (पीलीभीत)

चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश सिंह, श्री (मैनपुरी)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल विकल साकेती, श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
धरमन सिंह, श्री (बिजनौर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीनानाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू, श्री उर्फ दीनानारायण (आजमगढ़)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्मबीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्म सिंह, श्री (बलन्दशहर)
ध्रुपराय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू) (बलिया)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
प्रवीन कुमार, शर्मा श्री (बुलन्दशहर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलबीर सिंह, श्री (रामपुर)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बृज किशोर मिश्र, डाक्टर (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
ब्रज बल्लभ बाबू, श्री (बदायूं)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)

भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखालाल, श्री (उन्नाव)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल युसुफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर सिंह, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद अजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफाउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी) (गोरखपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (राय बरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम असरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम चरण, श्री (मिर्जापुर)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र श्री (वाराणसी)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पान्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष, श्री (गाजीपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)

रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
र मेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रियसत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूहा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
ललसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि, श्री (मथुरा)
बासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार, श्री (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी श्री (सीतापुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
शम्भूनाथ श्री (आजमगढ़)
शिरोमणि श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव प्रताप सिंह, श्री (बांदा)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी-गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सच्चिदानन्द श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्र, श्रीमती (इटावा)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुमनलता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ, उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरगोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिबंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हेमचन्द्र निमेष, श्री (मेरठ)

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 8 सितम्बर, 1980

तारांकित प्रश्न

हार्टीकल्चर एवं फ्रूट यूटिलाइजेशन निदेशालय के कर्मचारियों के लिये कथित हिल तथा प्लेन्स कैडर

*1---श्री राम आसरे वर्मा--

क्या कृषि मन्त्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश हार्टिकल्चर तथा फ्रूट यूटिलाइजेशन निदेशालय में कर्मचारियों तथा अधिकारियों की सेवा में हिल तथा प्लेन्स कैडर बनाये गये हैं ? यदि हां, तो इसका उद्देश्य क्या है और ये कैडर कब से लागू किये गये हैं ?

कृषि मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव)--

जी नहीं । क्योंकि हिल तथा प्लेन्स कैडर नहीं बने हैं । अतः इनको लागू किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

(प्रश्न संख्या 1 पुकारे जाने तथा मंत्री जी द्वारा उत्तर देने में विलम्ब करने पर ।)

श्री अध्यक्ष--

आप का प्रश्न बाद में ले लेंगे ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश हार्टिकल्चर तथा फ्रूट यूटिलाइजेशन निदेशालय के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के सिलसिले में कोई सेवा नियमावली है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, फ्रूट यूटिलाइजेशन के जो कर्मचारी हैं, उनकी सेवा नियमावली है और जो उद्यान विभाग के कर्मचारी हैं, उनकी भी सेवा नियमावली है । किन्तु मैं माननीय सदस्य से इस प्रश्न के सिलसिले में निवेदन करना चाहता हूं कि अब अलग इसकी नियमावली बन ली गयी है और विभाग ने इसे शासन को भेज दिया है । अभी-अभी भेजा है, अभी यह शासन के सामने प्रश्न नहीं आया है और शासन ने कोई निर्णय नहीं लिया है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय मन्त्री जी ने हिल कैडर के बारे में बताया कि किसी तरह का कैडर नहीं है, क्या इस बात को सही मानते हुए कि विभाग के हिल और गैर हिल कैडर को ले कर कर्मचारियों में भेद किया जाता है, यदि इस तरह की बात को मैं माननीय मन्त्री जी की जानकारी में लाऊं, तो उस पर वह सख्त कार्यवाही करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जरूर कार्यवाही की जायेगी ।

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या के प्रश्न संख्या 4 के उपरान्त लिया गया ।

*2—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[5वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

कृषि विभाग को तकनीकी विभाग घोषित किये जाने की मांग

*3—श्री रुद्र प्रताप सिंह तथा श्री हरिवंश सहाय—

क्या शासन को ज्ञात है कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को पत्र, दिनांक 29 जनवरी, 1980 प्राप्त हुआ है जिसमें कृषि विभाग को टेक्निकल विभाग घोषित करने के तारतम्य में कुछ संलग्नकों सहित भारत सरकार के कैबिनेट कमेटी के निर्देश के पत्रांक 48/8, दिनांक 29 मई, 1976 प्राप्त है जिसके कार्यान्वयन हेतु शासन ने दिनांक 4 फरवरी, 1980 को कृषि विभाग टेक्निकल घोषित करने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो राजाज्ञा न जारी करने का क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

भारत सरकार के पत्र संख्या 8-48/76-जन-1/कार्ड, दिनांक 29 मई, 1976 की प्रतिलिपि अधीनस्थ कृषि सेवा संघ के पत्र के साथ शासन को प्राप्त हुई है । किन्तु संघ का पत्र, दिनांक 29 जनवरी, 1980 प्राप्त नहीं है । दिनांक 4 फरवरी, 1980 को तत्कालीन कृषि मन्त्री जी द्वारा संघ की मांगों के सम्बन्ध में जो वक्तव्य दिया गया, उसमें कहा गया है कि "अन्य तकनीकी विभागों की भांति कृषि विभाग को भी शासन तकनीकी मानता है और तकनीकी विभागों की तरह इसे तकनीकी कर्मचारियों द्वारा संगठित किया जायेगा ।" इस विषय पर शासनादेश जारी किये जाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

श्री हरिवंश सहाय—

क्या राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1976 में कृषि संगठन को तकनीकी घोषित करने का कोई आदेश दिया है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

इसकी कोई जानकारी नहीं है ।

श्री हरिवंश सहाय—

मन्त्री जी बतायेंगे कि इस पर कब तक विचार किया जा रहा है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

इस प्रश्न पर विचार हो रहा है और सिद्धान्ततः उस मामले को स्वीकार कर लिया गया है । मामला कार्मिक विभाग को रिफर है । बाद में प्रशासनिक सुधार विभाग तथा वित्त विभाग की राय लेकर ही कार्य सम्पन्न होगा ।

श्री रियासत हुसैन—

इस पर कब तक निर्णय ले लेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

प्रयास है कि शीघ्र ही इस पर निर्णय ले लिया जायगा ।

बाराबंकी जिले के सिद्धौर सुबेहा–देवीगंज मार्ग पर रारी नदी के पुल का निर्माण

*4--श्री राम सागर तथा श्रीमती पारवती देवी (अनुपस्थित)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी, कि जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत सिद्धौर से सुबेहा वाया देवीगंज सड़क पर रारी नदी के पुल का निर्माण कार्य जिला परिषद् द्वारा कब प्रारम्भ किया गया है और यह निर्णय कब तक पूरा होना सम्भव है ?

पंचायती राज मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

जिला परिषद् बाराबंकी द्वारा सिद्धौर से सुबेहा वाया देवीगंज सड़क पर रारी नदी पर लकड़ी के पाइल ब्रिज का निर्माण 31 मार्च, 1979 को आरम्भ कराया गया था। अब तक 30 पाइलें लगाई जा चुकी हैं। नदी की बेड में कंकड़ की मोटी पर्तें पड़ने के कारण गलाई के कार्य में कठिनाई हो रही है, जिसके कारण कार्य में काफी समय लग रहा है। वर्तमान समय में वर्षा एवं बाढ़ के कारण कार्य अवरुद्ध हो गया है। वर्षा एवं बाढ़ की समाप्ति के बाद इसे शीघ्र पूरा कराने का प्रयास किया जायेगा।

श्री प्रदीप कुमार यादव---

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस पुल के निर्माण के सम्बन्ध में कोई टेन्डर काल किये गये थे ? अगर टेन्डर काल किये गये हैं, कितने और किस तारीख को टेन्डर दिये गये और क्या-क्या रेट्स थे ?

श्री अम्मार रिजवी--

श्रीमन्, इस समय जिनका टेन्डर दिया गया उनका नाम श्री बलबीर शर्मा है। 1,17,400 का, 28-2-79 को टेन्डर दिया गया। इस प्रश्न में इस तरह की कोई बात नहीं पूछी गयी थी, इसलिए कितने टेन्डर दिये गये इसकी सूचना नहीं है।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस पुल के बनाने के सम्बन्ध में कितना समय दिया गया था ?

श्री अम्मार रिजवी--

15-6-79 तक, श्रीमन्, पूरा करना था।

*5--श्री ऊदल--

[6ठें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जिला परिषद्, रामपुर का अनुदान

*6--श्री बलबीर सिंह---

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् रामपुर को गत 15 वर्षों से लगातार मिलने वाला एल0एस0 जी0डी0 अनुदान (स्वतंत्र शासन से सम्बन्धित कार्यकलापों हेतु अनुदान) वर्ष 1979-80 के लिए न देने का क्या कारण है ?

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 4 श्री प्रदीप कुमार यादव ने पूछा।

श्री अम्मार रिजवी--

जिला परिषद्, रामपुर को, उसकी आय के पर्याप्त श्रोत न होने के कारण वर्ष 1961-62 से 1,00,000 रु0 का एल0 ए0 जी0 डी0 अनुदान दिया जाता था। जिला परिषद् को वर्ष 1969 में यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया था कि यह अनुदान उसे हमेशा देना सम्भव नहीं होगा, इसलिये वह उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम के अनुसार अपने आय के श्रोत बढ़ाने का प्रयास करें। इसके बाद भी अनुदान जिला परिषद् को वर्ष 1978-79 तक स्वीकृत किया जाता रहा। इसके अतिरिक्त वर्ष 1975-76 से वर्ष 1979-80 तक एक विशेष अनुदान के रूप में इस जिला परिषद् को कुल 16 लाख रुपये की धनराशि शासन द्वारा दी गयी। इतने समय एवं इतनी धनराशि देने के बाद यह आशा की गयी कि जिला परिषद् ने अपनी आय के पर्याप्त श्रोत विकसित कर लिये होंगे तथा उसे अब यह अनुदान दिये जाने की न तो कोई आवश्यकता प्रतीत होती है और न ही इसका बहुत औचित्य ही बनता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

उनको चेतावनी दी गयी लेकिन यह विशेष अनुदान उनको बराबर दिया जाता रहा था। शासन ने अपने मन में यह सोच लिया था कि उनके वित्तीय साधन ठीक हो गये होंगे, तो उनको यह जानकारी प्राप्त होने का क्या आधार है? उनकी स्थिति अभी ठीक नहीं हुई है, तो क्या कुछ दिन और यह अनुदान उनको दिये जाने की आशा की जा सकती है?

श्री अम्मार रिजवी-

रामपुर को विशेष परिस्थिति में यह अनुदान दिया गया था सन् 48 में जब स्टेट का मर्जर हुआ था, उस समय जिला परिषद् बनी थी और उनकी आय के साधन काफी नहीं थे, इसलिए वह विशेष अनुदान दिया गया। इस साल जब यह आवर्तक अनुदान बन्द किया गया, उसके बाद भी 2 लाख रुपये का विशेष अनुदान हम उनको दे रहे हैं और यह उस धनराशि से ज्यादा है, जो एक लाख रुपया उनको मिलता था। इस प्रकार जो सम्मानित सदस्य ने चिन्ता व्यक्त की है, उसकी पूर्ति इस प्रकार हो जाती है।

बस्ती जिले के विषय वस्तु विशेषज्ञ, श्री गया पाल सिंह के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*7--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ (अनुपस्थित)--

बस्ती जनपद के किसानों को खाद छूट में परेशान किये जाने सम्बन्धी नियम 301 के अन्तर्गत शून्य प्रहर में सप्तम विधान सभा में 6 फरवरी, 1980 को प्रश्नकर्ता द्वारा उठाई गई सूचना के संदर्भ में क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आज तक उसमें क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं की गई, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव--

मामले की विभागीय जांच करायी गयी। जांच में उर्वरक वितरण के सम्बन्ध में कोई अनियमितता नहीं पाई गई। जांच में यह आरोप सिद्ध नहीं पाया गया कि श्री गया पाल सिंह, विषय विशेषज्ञ ने नेपाल की यात्रा की। वे जीप से लखनऊ आवश्य आये हैं और इन यात्राओं को जीप से किये जाने के औचित्य के बारे में पूछताछ की जा रही है। खाद के नमूने से सम्बन्धित पत्रावली खोने के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निर्धारण करने की कार्यवाही की जा रही है।

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 7 श्री दिवाकर विक्रम सिंह ने पूछा।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह मामला विभाग की जानकारी में कब आया और कब तक इसकी जांच पूरी हो जायगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

ठीक तारीख मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरी सूचना यह है कि इसकी जांच शीघ्र ही पूरी कर दी जायगी ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

नेपाल यात्रा साबित नहीं हुई है, लखनऊ यात्रा की गयी है तो इसकी जांच में केवल लाल बुझ को ही देखा जायगा अथवा जो बीच में दो पुल पड़ते हैं, जहां की गाड़ियों के नम्बर दर्ज होते हैं, उसकी भी जांच की गयी है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जांच पूरी नहीं हुई है, मैंने कहा कि अभी जांच की जा रही है ।

श्रम हेतु खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

*8--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या ग्राम्य विकास तथा पंचायत राज मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में उनके विभाग द्वारा खाद्यान्न योजना में बनायी गयी कच्ची सड़कों को सोलिंग तथा पिच करने का शासन ने क्या कोई निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां । पंचायत राज विभाग द्वारा निर्मित कच्चे सम्पर्क मार्गों की सोलिंग तथा पिच कराने हेतु धनराशि की व्यवस्था होने पर ही मार्गों को पक्का करना सम्भव हो सकेगा ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर तो दिया ही नहीं गया । मैंने प्रश्न किया है कि क्या ग्राम्य विकास तथा पंचायत राज मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में उनके विभाग द्वारा खाद्यान्न योजना में बनायी गयी कच्ची सड़कों को सोलिंग तथा पिच करने का शासन ने क्या कोई निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्या ? इसमें मंत्री जी ने लिखा है 'हां' । इसका मतलब है कि निर्णय लिया लेकिन वह निर्णय क्या है ?

श्री अध्यक्ष--

आपने पूछा है कि क्या सोलिंग तथा पिच करने का कोई निर्णय लिया है तो उत्तर 'हां' है । इसका मतलब है कि निर्णय लिया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में, मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर शासन ने इस पर काम करने का निर्णय लिया है, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यानी पहले पुलिया बनायी जायेगी, सोलिंग होगी या अन्य कुछ होगा ? यानी उसकी प्रक्रिया क्या होगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन्, यह सड़कों का प्रश्न कई बार आ चुका है। सदन को जानकारी भी दे चुका हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में 29,892 कि0 मी0 सड़कें पाटी गयी हैं। खाद्यान्न योजना में बनी सड़कों को पक्की कराने में, इनको सोलिंग पर 299 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा। एक किलो मीटर सोलिंग कराने में, पुलिया वगैरह बनवाने में एक लाख रुपये का खर्च आता है। इस प्रकार 299 करोड़ रुपये का खर्च आता है। इतनी बड़ी धनराशि का एकदम से जुटाना संभव नहीं है। हम लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं, भारत सरकार को भी लिखा है, अपने साधनों को भी जुटा रहे हैं कि किस तरह से इसको पूरा कर सकते हैं। इतना बड़ा काम इस वजह से हुआ कि पिछले दिनों में सूखे का प्रकोप था, लोगों को काम देना था, इसलिए दिया गया, पटाई की गयी, उस समय इस बात का ख्याल नहीं रखा गया कि पक्का कब किया जायेगा। उस समय यह था कि लोगों को खाने के लिए गल्ला देना है, कोई भुखमरी का शिकार न हो। हम लोग विचार कर रहे हैं कि जो सड़कें बनी हैं, कई-कई गांवों को मिलाती हैं, उनको पटवाने की व्यवस्था हो जाये। सरकार का निश्चित मत है कि इनको सोलिंग होनी चाहिए, पुलिया बननी चाहिये। धन की कमी के कारण कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसे ही धन की व्यवस्था हो जायेगी सोलिंग का कार्य किया जायेगा।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

मंत्री जी के उत्तर से निश्चित रूप से सहमति प्रकट करते हुये कि सूखे के कारण, सूखे से राहत देने के लिए इन सड़कों का निर्माण किया गया था। निर्माण जो हुआ था, उससे कई मकसद थे। एक मकसद यह था कि रोटी मिले, दूसरा मकशद यह था कि क्षेत्र को कम्युनीकेशन के साधन उपलब्ध हों, विकास हो। आज इनको पक्की कराने, कांक्रीट कराने का काम है। जो सड़कें निकाली गयी हैं, उन्हें तमाम जगहों पर किसानों ने काट दिया है। इसलिए काट दिया है कि उन्हें अपनी-अपनी नाली निकालनी थी। इसलिए काटा कि गांव डूब रहे थे।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न पूछिए।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

वही पूछ रहा हूं। क्या इस बात को मद्देनजर रखते हुए यह आदेश करेंगे कि जहां पर काटा गया है, वहां पर पाइप लगाना चाहिए?

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय सदस्य की बात को मद्देनजर रखते हुए जो इनका कहना है उस पर विचार किया जायेगा।

श्री फिरंगी प्रसाद शिशारद—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि जैसा कि उन्होंने अपने लम्बे भाषण में उत्तर दिया, क्या यह बात आपकी जानकारी में है कि ग्राम्य विकास और पंचायत विभाग से सम्बन्धित जिन रास्तों पर सोलिंग और पिच करने की योजना थी, उनके लिए प्रत्येक जिले में जिला प्रगति समीक्षा समिति गठित की गयी है और हर जिलों में उसकी बैठकें होना शुरू हो गयीं हैं, परन्तु कुछ हो नहीं रहा है। क्या जिला प्रगति समीक्षा समिति एक धोखा है? उसमें कुछ हो नहीं रहा है?

इस तरह से बेकार में विधायकों और जन प्रतिनिधियों का समय क्यों लिया जा रहा है ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कहा कि यह सब धोखा है, तो ऐसी बात नहीं है। यह एक्सरसाइज इसलिए करायी गयी है कि जिस समय धनराशि मिले, उस समय यह समस्या न रहे कि किस विधायक को कहां सड़क चाहिये।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, जैसा कि केन्द्र सरकार कह रही है कि बफर स्टाक के लिए बाहर से गेहूं मंगाना आवश्यक है। तो मान्यवर, गेहूं की तो कमी हो गयी है और वहां से गेहूं मिलने की सम्भावना नगण्य है।

मान्यवर, पिछले शासन ने 17 करोड़ रुपये इस मद में रखा था तो आप भी अपने मद से कुछ रखेंगे इसमें ? तो मैं जानना चाहता हूं कि आप अपने बजट से भी कुछ प्राविधान कर रहे हैं, इन सड़कों को पक्का करने के लिए ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, इसके लिए भारत सरकार को भी लिखा है और अपने बजट से भी उन सड़कों के लिए जो लिंक रोड है, उनको देखकर कि कितना पैसा खर्च किया जा सकता है, खर्च करेंगे। लेकिन निश्चित धनराशि की सूचना अभी देना सम्भव नहीं है।

श्री हरीकिशन श्रीवास्तव--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस पर एक लाख रुपया एक किलोमीटर पर खर्च आयेगा। लेकिन यह पक्की सड़क करने में यह व्यय आता है। अगर सोलिंग करके छोड़ दें तो थोड़ा ही रुपया खर्च होगा, तो जिन सड़कों का निर्माण हो गया, उनको मिट्टी से मरम्मत करने के लिए या सोलिंग करने के लिये, ऐसा निर्णय लेंगे ?

दूसरा सवाल जो सड़कें ली गयी हैं, इनमें लाखों रुपये की भूमि बिना मुआवजे दिये ले ली गयी है। अगर इन सड़कों को छोड़ दें, तो फिर दुबारा सड़क बनायेंगे तो करोड़ों रुपये का मुआवजा देना पड़ेगा, तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन मार्गों को बनाया है, उनको बरकरार रखा जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने अभी जो राय दी है, वह बहुत कीमती है। जो सड़कें बारिस से कट गयी हैं, उनमें अगर मिट्टी नहीं डाली गयी और तवज्जो नहीं की गयी, तो वे खराब हो जायेंगी। मान्यवर, पिछले साल सूखे से तबाही थी और इस साल बाढ़ से हो रही है, तो हमने निश्चय किया है कि जो सड़कें टूट गयी है, उनको फूड फार वर्क में लेकर के कार्य कराया जायेगा।

दूसरा सवाल जो है, उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि सम्मानित सदस्य ने जो कहा कि पिच करने में एक लाख रुपया खर्च आता है, तो मान्यवर, यह दो साल पहले का तकमीना है। इस समय यह 1·75 लाख रुपये ब्लैक टाप पर होता है। इसमें पुलिया भी शामिल होती है। इसी तरह से सोलिंग करने में, कलवर्ट की भी समस्या है। इसलिए उसका खर्च एक लाख रुपया है।

श्री रियासत हुसैन---

माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि इस स्कीम में बंबों का प्रोविजन नहीं है और बिना पाइप के प्रोवीजन के इन सड़कों का मेंटीनेंस बिल्कुल असंभव है, तो क्या आपने प्रयास किया है कि स्कीम में बंबों, ह्यूम पाइप्स का प्रोविजन किया जाय ?

श्री अम्मार रिजवी---

हम इसमें ह्यूम पाइप की मदद ले रहे हैं। जहां-जहां जरूरत है, ह्यूम पाइप डलवाये जा रहे हैं।

क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत आगरा जिले में सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु बड़ौदा एवं सकतपुर ग्राम की ली गई भूमि एवं मुआवजा

*9---श्री बदन सिंह---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भू० पू० प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत आगरा जनपद के पालो ग्राम को राष्ट्रीय मार्ग नं० 11 से मिलान वाली लिंक रोड में आगरा जनपद की तहसील किरावली के बड़ौदा और सकतपुर गांवों की जो जमीन गई है उसका मुआवजा सरकार ने वहां के किसानों को दे दिया है ? यदि हां, तो कब तक और किस रेट से मुआवजा दिया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी---

क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत आगरा जनपद के पालो ग्राम को राष्ट्रीय मार्ग नं० 11 से मिलाने वाली लिंक रोड में आगरा जनपद की तहसील किरावली के बड़ौदा और सकतपुर गांवों की जो जमीन ली गई है वह जमीन सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से दी गई है। योजना के अन्तर्गत मुआवजा देने का कोई प्राविधान नहीं था।

श्री बदन सिंह---

मान्यवर, मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि बड़ौदा और सकतपुर गांव की जो जमीन ली गई है वह उन व्यक्तियों की स्वेच्छा से ली गयी है, मैं जानना चाहता हूं कि जिन व्यक्तियों की जमीन स्वेच्छा से ली गयी है। उनके नाम क्या हैं ?

श्री अम्मार रिजवी---

श्रीमन्, जो हमारे पास प्रार्थना-पत्र मिला है, जो शासन के पास आया है, जवाहर सिंह सोलंकी निवासी बड़ौदा ने 14-6-74 को जिलाधिकारी और अतिरिक्त जिलाधिकारी को एक प्रार्थना-पत्र दिया था जिसमें मांग की थी कि उनको मुआवजा दिया जाय।

श्री बदन सिंह---

श्रीमन्, मंत्री जी ने बतलाया कि श्री जवाहर सिंह सोलंकी का प्रार्थना पत्र आया है, लेकिन मेरी निजी जानकारी है कि वहां के सभी किसान अपनी जमीन का मुआवजा चाहते हैं, तो क्या मंत्री जी, जब उनके पास जो प्रार्थना-पत्र आयेंगे मुआवजा देने के लिए, उनको मुआवजा दिलवायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

श्रीमन् क्रैश प्रोग्राम के अंतर्गत मुआवजा देने का कोई प्राविधान नहीं है ? जवाहर सिंह सोलंकी ने दो दफे मुआवजा देने के संबंध में प्रार्थना की, दोनों दफे उनको सूचना दे दी गई कि मुआवजा देने का प्राविधान नहीं है, तो जो अन्य लोग हैं, उनको मुआवजा देने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

(प्रश्न संख्या 10 पुकारे जाने पर ।)

श्री बदन सिंह---

मान्यवर, एक प्रश्न और कर लेने दीजिए ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं, मैंने अगला प्रश्न ले लिया है ।

गोरखपुर जिले के ग्राम बागरानी तप्पा में मण्डी निर्माण हेतु ली गई कथित भूमि

*10--श्रीमती गौरी देवी--

क्या कृषि मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर के नवीन मंडी स्थल निर्माण हेतु मौजा बागरानी तप्पा व परगना हवेली, तहसील सदर, गोरखपुर की 34·30 एकड़ भूमि का अधिग्रहण दिनांक 28-3-79 को कर लिया गया है और उस पर कब्जा भी प्राप्त कर लिया गया है ? यदि हां, तो उस पर अभी तक मण्डी स्थल का निर्माण न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी नहीं ।

मंडी स्थल निर्माण किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती गौरी देवी--

माननीय मंत्री जी, नवीन मंडी स्थल के निर्माण का आधार क्या है ?

श्री मोहन सिंह--

वह पूछ रही हैं कि मंडी स्थल बनाने का आधार क्या है ।

श्री बलराम सिंह यादव--

जहां मंडी स्थल बनानी होती है उसके लिए सर्व प्रथम भूमि की आवश्यकता होती है और भूमि अध्याप्ति हो जाने के बाद ही मंडी स्थल का निर्माण किया जाना संभव होता है ।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि 28-3-1979 को 34·30 एकड़ भूमि एक्वायर हो गयी है, तो अब तक मंडी स्थल निर्माण न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, बागरानी में मंडी समिति को भूमि के लिये 34·30 एकड़ भूमि अध्याप्ति करने का प्रस्ताव जिलाधिकारी ने शासन को भेजा था ।

बाद में ऐसा हुआ कि श्री नागेश्वर शाही ने इस पर एतराज किया और यह कहा कि यहां मंडी स्थल नहीं बनना चाहिये इस भूमि पर। लेकिन पुनः शासन को लिखा गया कि वहां मंडी स्थल बनायी जाय, तो शासन ने जिलाधिकारी को लिखा और उन्होंने संस्तुति की कि इस स्थान पर ही मंडी स्थल बनाना उपयुक्त होगा। किन्तु बाद में जिलाधिकारी ने पुनः लिखा कि मंडी स्थल इस स्थान पर न बनायी जाय चूंकि यहां पर देवस्थान हैं और कुछ भवन भी हैं, एप्रोच रोड नहीं है, इसलिये मंडी यहां न बनायी जाय। लेकिन मंडी समिति का जो अध्यक्ष, परगनाधिकारी होता है, उसने लिखा है कि स्थान उपयुक्त है और यहां मंडी बनायी जाय। इसलिये अंतिम कोई निर्णय अभी तक इस पर नहीं हो सका है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इस बात को देखते हुये क्या मंडी समिति के अध्यक्ष ने शासन से अनुशंसा की है कि जमीन उपयोगी है, तो मैं जानना चाहूंगा कि मंत्री जी उस जमीन को एकवायर करने की कार्यवाही शीघ्र पूरी करके काश्तकारों को सुविधा देने के लिये वहां मंडी बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, इस मसले को हल करने के लिये मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि शीघ्र ही हम यहां से एक अधिकारी को वहां भेजेंगे जो जिलाधिकारी प्रश्नकर्ता और सभापति से बात करके कोई न कोई हल निकालेगा ताकि मंडी का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र पूरा हो सके।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के सहायक अभियन्ताओं के नियमितीकरण की मांग

*11--श्री शम्भूनाथ (अनुपस्थित)--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा में 1-2-1977 के पूर्व कार्यरत सहायक अभियन्ताओं का, शासन के निर्णय के अनुसार, नियमितीकरण कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं।

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर एक रिट याचिका के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति के विरुद्ध स्थगन आदेश पारित कर दिये जाने के कारण 1-1-77 के पूर्व कार्यरत् तदर्थ सहायक अभियन्ताओं का नियमित नियुक्ति के आदेश जारी करना संभव न हो सका।

विक्रय सहायक, एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन, शामली, मुजफ्फरनगर के विरुद्ध शिकायत-पत्र

*12--श्री धर्मवीर सिंह (अनुपस्थित)--

क्या सरकार को ज्ञात है कि दि यू० पी०-एग्रो कैराना, मुजफ्फरनगर में 22-1-80 को एम० डी० एग्रो इन्डस्ट्रीज, लखनऊ को विक्रय सहायक यू० पी० स्टेट एग्रो कारपोरेशन लिमिटेड, शामली के विरुद्ध एक शिकायत की कि विक्रय सहायक, शामली ने इस फर्म से यूरिया सप्लाई करने में 912·80 रु० ज्यादा जमा करा लिये हैं और खाद कम दिया है ? यह शिकायती-पत्र दिया गया

तथा एक कापी शाखा प्रबन्धक, मेरठ को भी दी ? यदि हां, तो सरकार व एम० डी०, लखनऊ ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां । शिकायती पत्र पर यू० पी० स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन के शाखा प्रबन्धक, मेरठ द्वारा जांच कराई गई जिससे ज्ञात हुआ कि यूरिया सप्लाई हेतु पार्टी ने 912·80 रु० नहीं, वरन् 11·20 पैसे अधिक जमा किये हैं जिसे वापस करने हेतु शाखा प्रबन्धक को निर्देश दे दिये गये हैं ।

*13--श्री सोमांश प्रकाश--

[4थे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जिला परिषद् फर्रुखाबाद के कर्मचारियों की ग्रेच्युटी का भुगतान

*14--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या पंचायतराज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् फर्रुखाबाद के 1968 से 1972 के बीच अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को अब तक ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इस देरी का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक जिला परिषद् के 1968 से 1972 के बीच में अवकाश प्राप्त कर्मचारी के ग्रेच्युटी प्राप्त करने का मामला है, तो इसमें सूचना एकत्र करने में अधिकारियों को इतना समय क्यों लग रहा है ? इनमें से एक अवकाश प्राप्त ऐसे थे जो इलाज के लिये रुपया नहीं पा सके और उनका स्वर्गवास हो गया, इस लिये क्या मन्त्री जी आश्वासन देंगे और जिला परिषद् के अधिकारियों की अकर्मण्यता के बावजूद निश्चित अवधि में सूचना सदन में प्राप्त हो जाय ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैं सहमत हूं कि सूचना एकत्र की जा रही है, इस तरह के जवाब से माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 23-8-80 को प्रश्न मुझे प्राप्त हुआ, इस लिये 27-8-80 को फर्रुखाबाद को लिखा गया और 2-9-80 को वहां तार भेजा गया पुनः 4-9-80 को तार भेजा गया, तो उन्होंने टेलीफोन से इत्तिला दिया कि सूचना एकत्र की जा रही है और 6-9-80 तक कोई अंतरिम रिपलाई भी नहीं दिया, इसलिये हमने सोचा कि कोई जवाब तो हमको देना है, इसलिये यह जवाब दिया । लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि एक महीने के अन्दर निश्चित इसकी सूचना मंगा कर दे दूंगा ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, मन्त्री जी की बात का उत्तर इतने दिनों में मिला है, तो आम जनता का क्या हाल होगा ?

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं ।

*15--श्री प्रदीप कुमार यादव--

[4थे सोमवार के लिये स्थगित।]

मलिहाबाद, जिला लखनऊ में उप-मण्डी का निर्माण

*16--श्री भीखा लाल (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ जनपद में मलिहाबाद तथा उसके आस-पास के क्षेत्र में आम के फलों के अत्यधिक उत्पादन को देखते हुए उसको विक्रय की समुचित व्यवस्था करने की दृष्टि से मलिहाबाद में एक आम की मण्डी लगाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां।

मलिहाबाद, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, लखनऊ का उपमण्डी स्थल है इस उपमण्डी स्थल का चयन निर्माण एवं विकास हेतु कर लिया गया है और जिलाधिकारी इसके लिये भूमि की व्यवस्था कर रहे हैं।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

फसल बीमा योजना पर विचार

**1--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार कृषि फसल का बीमा करने की योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो योजना की रूप रेखा क्या होगी ? योजना कब से लागू कर दी जायगी ? बीमा शासन द्वारा किया जायगा अथवा किसी बीमा कम्पनी द्वारा कराया जायगा ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां।

योजना की रूपरेखा पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। अन्तिम रूप से निर्णय लिये जाने के बाद योजना लागू की जायगी। योजना की रूपरेखा में यह प्रश्न भी निर्णय हेतु विचाराधीन है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सरकार ने कृषि का बीमा करने की योजना को सरकार ने सिद्धान्तः स्वीकार कर लिया है, तो सरकार उसको कार्यान्वित करने के बारे में विचार कर रही है अथवा सिद्धान्तः स्वीकार करना ही विचाराधीन है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मूल प्रश्न का उत्तर यह है कि अन्तिम रूप से निर्णय लेने के बाद ही योजना ली जायगी। जाहिर है कि सरकार विचार कर रही है कि इस योजना को लागू किया जाय या न किया जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, सरकार जब कोई योजना बनाती है, तो उसे पहले सिद्धान्ततः स्वीकार करती है। मैं फिर से प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कृषि

बीमा योजना को सिद्धान्तः स्वीकार कर लिया है । फिर सरकार ने कोई कमेटी बनायी होगी और उसके लिये एक्सपर्ट नियुक्त किये होंगे । अतः क्या मन्त्री जी बतायेंगे यदि सरकार ने कृषि बीमा योजना को स्वीकार कर लिया है, तो उस पर अन्तिम निर्णय लेने के लिये कोई कमेटी बनायी होगी ? उसके टर्म्स आफ रिफरेन्स क्या हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव--

बीमा योजना लागू करने का विचार यदि सरकार का न होता तो कमेटी बनाने का प्रश्न ही न होता । मान्यवर कमेटी बना दी गई है और वह सभी पहलुओं पर विचार कर रही है ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

म जानना चाहता हूं कि क्या यह कृषि बीमा योजना 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आता है ....

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य कृपया बैठें और 20 सूत्री कार्यक्रम के पहले वे सदन की नियमावली भी देख लिया करें ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या मन्त्री जी मेरी इस बात की सूचना मानकर कि पंजाब में फसल बीमा योजना लागू कर दी गई है, वहां वह किस तरह से लागू की गई है, उसके अनुभव का लाभ उठा कर यहाँ भी उसे लागू करने की कृपा करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, पंजाब के साथ ही साथ कुछ और सूबे भी इस पर विचार कर रहे हैं । हमारा विचार यह भी है कि हम 2/3 एक्सपर्ट विभागीय अधिकारियों को अन्य प्रदेशों में भेजें ताकि जो बीमा योजना लागू उन्होंने किया है, उसकी स्टेडी करें और अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने प्रस्तुत करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से भी कोई निर्देश या माडल या रूपरेखा शासन को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

ऐसी कोई रूपरेखा केन्द्रीय सरकार से प्राप्त नहीं हुई है ।

अतारांकित प्रश्न

जिला परिषद् के भवनों का जिला परिषद् के कर्मचारियों को आवंटन

1--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, 1980 में क्या कोई ऐसा शासनादेश जारी हुआ जिसके अन्तर्गत जिला परिषद् की इमारतों के आवंटन में परिषद् के कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाय ? यदि हां, तो इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए शासन ने क्या व्यवस्था की है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां । जिला परिषदीय आवासों के आवंटन में जिला परिषद् के कर्मचारियों को प्राथमिकता दिए जाने के आदेश दिए गए हैं इसके अनुपालन के आदेश भी जिलाधिकारी को जो अध्यक्ष जिला परिषद् भी हैं, दे दिए गए हैं ।

जिला परिषद् हरदोई द्वारा सम्पर्क मार्गों का निर्माण

2--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत हरदोई जिला परिषद् द्वारा निर्मित सम्पर्क मार्गों को पक्का कराने एवं उन पर पुलियों के निर्माण हेतु धनराशि की मांग फरवरी-मार्च, 1979 में शासन से की गई थी ? यदि हां, तो शासन ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री अम्मार रिजवी--

खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत निर्मित सम्पर्क मार्गों को पक्का करने एवं उन पर पुलियों के निर्माण हेतु जिला परिषद् हरदोई से फरवरी-मार्च, 1979 में कोई मांग प्राप्त नहीं हुई । जिला परिषद् से नवम्बर, 1979 में रु0 5,69,254 की मांग अवश्य प्राप्त हुई थी, परन्तु धनाभाव के कारण उसे स्वीकार नहीं किया जा सका ।

सीतापुर जिले के शाह महोली-रखौना मार्ग का निर्माण एवं मजदूरों की मजदूरी का भुगतान

3--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिला विकास खण्ड परसेंडी के साह महोली-रखौना सम्पर्क मार्ग की मजदूरी का गेहूं अन्तिम रूप से अभी तक नहीं बंटा है, जबकि सड़क बने एक वर्ष से अधिक समय हो गया है ? यदि हां, तो क्यों ? तथा गेहूं कब तक बंट जायेगा ? सड़क कब बनकर तैयार हो गई थी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां । विकास खंड परसेंडी में शाह महोली-रखौना सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मार्च, 1979 में पूर्ण कराया गया था । इस मार्ग के संबंधित इंचार्ज अवर अभियंता के यहां से कुछ मास्टर रोल चोरी हो गए थे तथा कुछ मस्टर रोल उनसे अप्रैल, 1980 में प्राप्त हो सके । चोरी गए मस्टर रोल, जिनकी कुल धनराशि रु0 5957·95 है, का भुगतान अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्वीकृति से किया जा चुका है । अप्रैल, 1980 में प्राप्त मस्टर रोल के भुगतान की कार्यवाही सार्वजनिक निर्माण विभाग के सम्बन्धित अधिकारी द्वारा की जा रही है ।

4--श्री बदन सिंह--

[3रे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 33 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

बाराबंकी जिले में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत मार्गों का निर्माण

5--श्री राम सागर--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत जनपद बाराबंकी में कितने मार्गों का निर्माण कार्य चयन किया गया था (वर्ष 78-79-80) में उसमें से कितने मार्गों का कार्य पूर्ण हो गया है और कितने का नहीं? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

वर्ष 1978-79 में 40 सम्पर्क मार्ग तथा वर्ष 1979-80 में 264 सम्पर्क मार्ग चयन किए गए। वर्ष 1978-79 में चयन किए गए सभी 40 सम्पर्क मार्गों का कार्य पूर्ण हो गया। वर्ष 1979-80 के चयन किए गए सम्पर्क मार्गों में से 120 सम्पर्क मार्गों का कार्य पूर्ण हो गया है तथा शेष 144 सम्पर्क मार्गों पर निम्न कारणों से कार्य पूरा नहीं कराया जा सका :--

(1) वर्ष 1979-80 में तालाबों, कूपों, हरिजन तथा निर्बल वर्ग आवासों को बनाने पर सम्पर्क मार्गों की अपेक्षा अधिक बल दिया गया।

(2) जनपद की तहसील नवाबगंज के विकास खंडों बंकी देवा, मसौली एवं हरख में श्रमिक पर्याप्त संख्या में नहीं मिल सके।

हार्टीकल्चर निदेशालय के ज्येष्ठ पौध रक्षा सहायकों का स्थायीकरण

6--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश हार्टिकल्चर निदेशालय के अन्तर्गत तदर्थ रूप से नियुक्त कितने ज्येष्ठ पौध रक्षा सहायक वर्ग ऐसे हैं जिनको 1-1-77 को तीन वर्ष से अधिक सेवा करते हो चुके हैं परन्तु उनको स्थायी नहीं किया गया है और क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

दो हैं। इनके विनियमितीकरण के मामलों पर चल रही आवश्यक कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् उनके स्थायीकरण के मामले में भी नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही प्रस्तावित है।

खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत देवरिया जिले में सड़कों का निर्माण

7--श्री हरिवंश सहाय--

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायत राज मन्त्री बतायेंगे कि अन्न योजना के अन्तर्गत 31 मार्च, 1980 तक देवरिया जिले में कितनी लम्बी सड़कें ब्लाक वाइज बनी हैं तथा उस पर अलग-अलग कितना धन व्यय हुआ है ?

श्री अम्मार रिजवी--

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 765 पर)

बस्ती जिले के विकास खंड सांथा में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत मार्गों का निर्माण

8--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या पंचायती राज मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि विकास खंड सांथा, जनपद बस्ती में 1 दिसम्बर, 1979 से 7 जून, 1980 तक खाद्यान्न योजना के किन-किन कार्यों पर कितना-कितना खाद्यान्न मजदूरी के रूप में दिया गया तथा कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो गये और कौन-कौन से अधूरे रह गये हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

जनपद बस्ती के विकास खंड सांथा में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत 1 दिसम्बर, 1979 से 7 जून, 1980 तक कुल 81 योजनाओं पर 11,075 कुन्तल खाद्यान्न दिया गया जिसमें से 22 सम्पर्क मार्ग तथा 59 पोखरों को गहरा कराने की योजनाओं पर क्रमशः 5435 कुन्तल तथा 5640 कुन्तल खाद्यान्न मजदूरी के रूप में वितरित किया गया। उक्त योजनाओं में से 4 सम्पर्क मार्गों तथा 13 तालाबों को गहरा कराने की योजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया तथा शेष 18 सम्पर्क मार्गों तथा 46 तालाबों को गहरा कराने की योजनाएं अभी पूर्ण नहीं हुई है।

बस्ती जिले के कतिपय विकास खंडों में कृषकों को दी गयी खाद पर सब्सिडी

9--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के विकास खंड, रुधौली, साथा तथा खंसरहा के किन-किन कृषि गोदामों से कौन-कौन सी खाद कितनी-कितनी मात्रा में छोटे तथा सीमांत कृषकों को सब्सिडी पर 1 दिसम्बर, 1979 से 31 मार्च, 1980 तक बेची गई तथा कुल कितना धन गोदामवार सब्सिडी पर व्यय हुआ ?

श्री बलराम सिंह यादव--

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 776 पर)

उर्वरकों के भन्डारण में छीजन की प्रक्रिया

10--श्री नन्द किशोर सिंह, श्री कुबेर, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री हरिवंश सहाय--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उर्वरकों में भंडारण और छीजन के फलस्वरूप शासन ने अपलेखन का प्राविधान निश्चित है और क्या यह सही है कि भंडारण के फलस्वरूप छीजन आदि के कारण क्षति की प्रक्रिया निरन्तर होती रहती है ? यदि हां, तो क्षतियां किस सीमा तक किस अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है, भंडारण के कितनी अवधि के पश्चात् छीजन की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है तथा क्षतियों के सुनिश्चितीकरण का क्या आधार है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां। भन्डारण के छः माह उपरान्त छीजन की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है। प्रत्येक मामले में गुण दोष के आधार पर उप कृषि निदेशक, संयुक्त कृषि

निदेशक, अतिरिक्त कृषि निदेशक एवं कृषि निदेशक क्रमशः 1000 2500 रु0 तथा 5000 अथवा 3 प्रतिशत तक जो भी कम हो क्षति का अपलेखन कर सकते हैं ।

विभागीय अधिकारियों द्वारा सत्यापन कर, क्षतियों की पुष्टि की जाती है ।

गोरखपुर जिले मे कृषि विभाग के उर्वरक का स्टाक

11---श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या कृषि मन्त्री बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद में 1 जून, 1980 एवं 8 जून, 1980 को किस-किस प्रकार का उर्वरक कितने मात्रा में था और क्या उसका विवरण उर्वरकों के मूल्य वृद्धि के दिन किया गया ? यदि हां, तो विवरण क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

गोरखपुर जनपद में कृषि विभाग के पास 1 जून एवं 8 जून, 1980 को उपलब्ध स्टाक विवरण संलग्न तालिका में इंगित है ।

जी हां, मूल्य वृद्धि के दिन अर्थात् 8-6-1980 को उर्वरकों का विवरण संलग्न तालिका के अनुसार था ।

देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 768 पर)

उन्नाव जिले के देवपुर अदन खेड़ा में पुल का निर्माण

12---श्री सच्चिदानन्द--

क्या पंचायती राज मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जनपद के सिकन्दरपुर करन ब्लाक में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा देवपुर अदनखेड़ा में कोई पुल बनाया जाना था ? यदि हां, तो उसकी क्या प्रगति है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां । ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा बनाये गये आगणन के आधार पर इस पुल का कार्य नींव तक पूर्ण हो गया है ।

बस्ती जिले के श्री गयापाल सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ के विरुद्ध शिकायतों की जांच

13---श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गयापाल सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ, जनपद बस्ती के विरुद्ध जनपद बस्ती में जांच चल रही है ? यदि हां, तो उसकी जांच रिपोर्ट सरकार को मिल गयी है ? क्या जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव-

श्री गयापालसिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ, बस्ती के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच चल रही है । अभी तक कुछ शिकायतों के बारे में अस्पष्ट प्राप्त हुई है जिसकी छान बीन की जा रही है । अतएव जनहित में इसे सदन के पटल पर रखना उचित नहीं है ।

बस्ती जिले में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत ली गयी योजनायें

14--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने कृपा करेंगे कि वर्ष 1978-79, 79-80 एवं 80-81 में बस्ती जनपद के अन्तर्गत खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत कुल कितनी योजनाओं का चयन हुआ है और किन-किन योजनाओं पर काम शुरू किया गया ? कितने पूरे हुये और कितने पर काम अभी अवशेष है ? क्या इसका पूरा विवरण विकास क्षेत्रवार कितना अन्न किस योजना पर खर्च हुआ, सरकार सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

बस्ती जनपद में श्रम हेतु खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत ग्राम विकास विभाग द्वारा वर्ष 1978-79 से 1980-81 तक चननित योजनाओं, योजनायें जिन पर कार्य प्रारम्भ किया गया, योजनायें जो पूर्ण हो गई तथा योजनायें जो अवशेष रहीं, से सम्बन्धित सूचना संलग्न तालिका में दी हुयी है। विकास क्षेत्रवार सूचना माननीय सदस्य मेरे कार्यालय कक्ष में देख सकते हैं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 769 पर)।

प्रदेश में यूरिया खाद का स्टाक

15--श्री राजेन्द्र सिंह--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 31 मार्च, 1980 तथा 9 जून, 1980 को कृषि विभाग, सहकारिता विभाग तथा एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन के खाद गोदामों में डी० ए० पी०, एन० पी० के० तथा यूरिया खादों का कितना स्टाक था ?

श्री बलराम सिंह यादव--

31 मई, 1980 तथा 9 जून, 1980 को कृषि विभाग, सहकारिता विभाग एवं एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन के खाद गोदामों में निम्न विवरण के अनुसार डी० ए० पी०, एन० पी० के० तथा यूरिया खाद का स्टाक उपलब्ध था।

31-5-1980 का स्टाक (मै० टन में)

	डी० ए० पी०	एन० पी० के०	यूरिया
कृषि विभाग	28184-283-399	3241-409-415	43456-118-290
सहकारिता	10113-731-642	21385-496-553	55050-617-227
एग्रो कारपो०	1536-603-985	578-341-200	8906-485-976

9-6-1980 का स्टाक (मै० टनों में)

	डी० ए० पी०	एन० पी० के०	यूरिया
कृषि विभाग	26712-249-865	2727-039-225	37291-157-420
सहकारिता	9596-138-965	19647-598-995	47299-350-095
एग्रो कारपो०	3217-627-875	574-199-700	7596-498-036

भूतपूर्व जिला कृषि अधिकारी, हरदोई, श्री आत्माराम के विरुद्ध शिकायती-पत्र

16--श्री कुबेर भण्डारी तथा श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या कृषि मंत्री को विदित है कि भूतपूर्व जिला कृषि अधिकारी, हरदोई (श्री आत्मा राम) के विरुद्ध शासन द्वारा वर्ष 1979-80 में 16 गम्भीर आरोपों से युक्त आरोप-पत्र उक्त अधिकारी को दिया गया है, जिसके सम्बन्ध में विधायकों का संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 26-6-80 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

भूतपूर्व जिला कृषि अधिकारी, हरदोई, श्री आत्मा राम को मार्च, 1980 में 15 आरोपों से युक्त आरोप-पत्र दिया गया था । इस सम्बन्ध में माननीय विधायकों का संयुक्त हस्तक्षरित पत्र दिनांक 26-6-1980 प्राप्त हुआ है, जो शासन के विचाराधीन है

प्रश्न नहीं उठता ।

मेसर्स अजय पेस्टी साइड एवं मेसर्स इण्टरनेशनल पेस्टी साइड एण्ड फर्टील इजर्स, जिला बहराइच के विरुद्ध शिकायतों की जांच

17--श्री नन्द किशोर सिंह तथा श्री कुबेर भण्डारी--

क्या कृषि मंत्री को विदित है कि फर्म अजय कुमार विजय कुमार, जनपद बहराइच के विरुद्ध श्री शक्तिनाथ सिंह, सदस्य, जिला परिषद्, बहराइच ने शिकायत की थी और उसकी जांच तत्कालीन उप निदेशक, उर्वरक एवं खाद (श्री रतन कुमार सिंह चौहान) ने वर्ष 1978-79 में किया था ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या था और उसमें सम्मिलित फर्म एवं अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां। श्री शक्तिनाथ सिंह द्वारा मेसर्स अजय पेस्टीसाइड चित्तोरा, बहराइच एवं मेसर्स इण्टरनेशनल पेस्टीसाइड एण्ड फर्टीलाइजर्स ट्रेडर्स के विरुद्ध शिकायत की गई थी। उर्वरक संबंधी बिन्दुओं की जांच रिपोर्ट तत्कालीन उप-निदेशक (उर्वरक एवं खाद), श्री रतन कुमार सिंह चौहान द्वारा वर्ष 1979-80 में प्रस्तुत की गई। जांच के दौरान जो आरोप सही पाये गये उन पर उचित कार्यवाही किये जाने के निदेश पारित कर दिये गये हैं।

शिकायती-पत्र में उल्लिखित अन्य बिन्दुओं की जांच जिला विकास अधिकारी, बहराइच से कराई गई थी लेकिन जांच संतोषजनक न प्रतीत होने के कारण कृषि निदेशक द्वारा पुनः जांच कराई जा रही है।

कृषि विभाग में श्रेणी एक के अधिकारियों के रिक्त पद

18--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि विभाग में श्रेणी एक (क्लास वन) के कितने पद कब से रिक्त हैं एवं उनके न भरे जाने के क्या कारण हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव--

कृषि विभाग में श्रेणी-1 विकास, शोध एवं अभियंत्रण शाखाओं में कुल उन्तीस पद वर्ष 1977 से 1980 तक की विभिन्न तिथियों में रिक्त हुए हैं। चार्ट संलग्न है।

इनके न भरे जाने का कारण निम्नवत् है:--

3 पद--अधिकरण के आदेशों के अन्तर्गत रिक्त रखे गये हैं।

1 पद-तैनाती के आदेश हो चुके हैं किन्तु अधिकारी विशेष ने अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है।

12 पद--12 पदों में 7 पदों पर चयन के उपरान्त तैनाती के आदेश प्रसारित हो चुके हैं। शेष 5 पदों को भरने की अलग से कार्यवाही की जा रही है।

13 पद-शोध शाखा के हैं। इस शाखा के श्रेणी-2 के अधिकारियों का कृषि विश्वविद्यालयों में संविलियन हेतु विकल्प के मामले की अभी अंतिम रूप न दिए जाने के कारण इन पदों पर प्रोन्नति विचाराधीन है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 770 पर)

विकास खण्ड, करनैलगंज, जिला गोंडा में मार्गों का निर्माण

19--श्री उमेश्वर प्रताप सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत वर्ष 1979-80 में गोंडा जिले के करनैलगंज विकास क्षेत्र में कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया तथा उन पर कितना व्यय किया गया? क्या इनके पक्का कराने की योजना शासन के विचाराधीन है?

श्री अम्मार रिजवी--

जनपद गोंडा के विकास खंड करनैलगंज में वर्ष 1979-80 तक कुल 33·199 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया तथा इन पर कुल 2,28,870·60 रु० का व्यय किया गया। कुल सड़कों को पक्का करने की योजना व उसमें लगने वाली धनराशि की उपलब्धि शासन के विचाराधीन है।

सीतापुर जिले के तम्बौर में मंडी का निर्माण

20--श्री मुख्तार अनीस--

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि तम्बौर (सीतापुर) में कृषि मंडी समिति द्वारा मंडी का निर्माण किया जा रहा है? इस कार्य के कब तक पूर्ण हो जाने की आशा है?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां। मंडी निर्माण का कार्य निर्माण सामग्री के समय से उपलब्ध होने पर निर्भर है। फिलहाल मंडी स्थल निर्माण के लिये कोई निश्चित समय बताना संभव नहीं है।

पुलियों के निर्माण हेतु पंचायत राज विभाग को दी गयी कथित धनराशि

21—श्री मुख्तार अनीस—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1979–80 में पुलियों के निर्माण के लिए विभाग को शासन द्वारा कितना धन आवंटित किया गया था ? इस धन का इस्तेमाल कितने जिलों में नहीं हो पाया है ?

श्री अम्मार रिजवी—

वर्ष 1979–80 में शासन द्वारा पंचायत राज विभाग को पुलियों के निर्माण के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई थी। अतः प्रश्न के अन्तिम भाग का प्रश्न ही नहीं उठता।

मण्डी समिति बांसी, जिला बस्ती द्वारा सड़कों का निर्माण

22—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के बांसी मण्डी समिति के द्वारा वर्ष 1977–78, 1978–79 तथा 1979–80 में कौन–कौन सी सड़कों का निर्माण (कच्ची सड़कें) किया गया तथा इनमें से कितनों को सोलिंग तथा पिच कराया गया तथा शेष की कब सोलिंग अथवा पिच कराये जाने की सम्भावना है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जनपद बस्ती की मंडी समिति, बांसी द्वारा वर्ष 1977–78 तथा 1978–79 में जिन कच्ची सड़कों का निर्माण कराया गया है उनके नाम इस प्रकार हैं :—

(1) नरही से बांसी मेहदावल मार्ग।
(2) कलना खोर से धर्मसिंहवा मार्ग।
(3) पसाई से बांसी मेहदावल मार्ग।
(4) रमवापुर से तेबुडाड मझारी मार्ग।
(5) पिपुरा मनैतापुर से रुधौली बाबिरा मार्ग।

वर्ष 1979–80 में किसी कच्ची सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है। इनमें से केवल कलना खोर से धर्मसिंहवा मार्ग पर तीन किलोमीटर तक सोलिंग कराये जाने के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग को धन दिया गया है। मार्गों पर पिच करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अब सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार मंडी समितियां अपने धन से सम्पर्क मार्ग का निर्माण नहीं करा सकतीं, अतः उनके द्वारा सोलिंग तथा पिच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत बस्ती जिले में सड़क एवं पुलियों का निर्माण

23—दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या पंचायतीराज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में कुल कितनी किलोमीटर तथा कौन–कौन सी सड़कें किन–किन विकास खण्डों में विभाग द्वारा गत एक जुलाई, 1977 से 30 जून, 1980 तक खाद्यान्न योजना में बनायी गयीं तथा इनमें से किन–किन सड़कों पर पुलियों का निर्माण हो

[श्री दिवाकर विक्रम सिंह--]

चुका है और किन-किन सड़कों पर कौन-कौन सी पुलियों का निर्माण करना शेष है ? तथा कौन-कौन सी सड़कों की सोलिंग अथवा पिच किया जा चुका है अथव किया जा रहा है तथा शेष सड़कों की सोलिंग अथवा पिच कब तक किया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

बस्ती जनपद में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत 1 जुलाई, 1977 से 30 जून, 1980 तक ग्राम्य विकास विभाग द्वारा 2493 किलोमीटर लम्बाई की 954 सड़कें बनाई गईं तथा कुल 116 पुलियों का निर्माण हो चुका है एवं 174 पुलियों पर कार्य चल रहा है तथा 2488 पुलियों का निर्माण अवशेष है । विकास खन्डवार सूचना माननीय सदस्य मेरे कार्यालय कक्ष में देख सकते हैं ।

निर्मित मार्गों की सोलिंग तथा पिच धनराशि की व्यवस्था होने पर ही कराना सम्भव हो सकेगा ।

बस्ती जिले के विषयवस्तु विशेषज्ञ, कृषि, श्री गया पाल सिंह का वेतन

24--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि (श्री गयापाल सिंह) अपने वेतनमान का न्यूनतम वेतन ही पा रहे हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या यह सत्य है कि उन्हें आहरण का अधिकार नहीं दिया गया है । यदि हां, तो किन परिस्थितियों में उन्हें बस्ती जनपद में आहरण अधिकार दिया गया है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

प्रश्न नहीं उठता ।

विषयवस्तु विशेषज्ञ के पद पर आहरण वितरण अधिकार प्रदत्त नहीं है ।

जिला विकास अधिकारी, बस्ती द्वारा श्री गया पाल सिंह को जिला कृषि अधिकारी एवं परियोजनाधिकारी, बस्ती का प्रभार हस्तान्तरित करने के फलस्वरूप उनके (श्री गयापाल सिंह) द्वारा दिनांक 1-4-1980 से 3-6-1980 तक आहरण एवं वितरण का कार्य सम्पादित किया गया और दिनांक 2-7-1980 से पुनः किया जा रहा है ।

उप कृषि निदेशक के रिक्त पद

25--हरिवंश सहाय--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि सर्वेक्षण संगठन में उप कृषि निदेशक, हाईड्रोलोजी तथा सैन्डी मेन्टेशन के पद कब से रिक्त हैं तथा रिक्त स्थानों पर श्रेणी 2 में कार्यरत अभियंत्रण योग्यता वाले अधिकारियों की प्रोन्नति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलराम सिंह यादव--

प्रश्नगत दोनों पद दिनांक 18-1-1978 से रिक्त हैं ।

इन पदों को विज्ञापित कराकर सीधी भर्ती के माध्यम से तदर्थ रूप से भरे जाने का निर्णय लिया गया है ।

26—श्री कृष्ण कुमार शुक्ल—

[3रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

27—श्री शंकर सिंह—

[3रे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

ग्राम सभा, पौण्डा, जिला बहराइच के ग्राम प्रधान, श्री दूधनाथ का निलम्बन

28—श्री जटा शंकर सिंह—

क्या पंचायतीराज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 1578/बी/2-96-70-पंचायतराज अनुभाग-2, दिनांक लखनऊ 21 दिसम्बर, सन् 1977 एवं जिला पंचायतराज अधिकारी के आदेश संख्या 7/स0 नि0-2-पौंडा, 79-80, दिनांक 28 मई, 1979 के अनुसार ग्राम सभा, पौंडा, जिला बहराइच के प्रधान श्री दूधनाथ को पंचायतराज अधिनियम की धारा 6(1) व (2) के अनुसार अयोग्य घोषित करते हुये तत्काल चार्ज लिये जाने का आदेश जारी किया गया था ? यदि हां, तो प्रधान से चार्ज किस तिथि में लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ।

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां । उप प्रधान, पौन्डा ने कार्यवाहक प्रधान पौन्डा का कार्यभार दिनांक 30-7-80 को संभाल लिया है ।

29—श्री सीता राम निषाद—

[1ले शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 28 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

सुल्तानपुर एवं रायबरेली के युवक मंगल दल को दी गयी धनराशि

30—श्री शम्भू नाथ—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर, रायबरेली जनपदों के 13 विकास क्षेत्रों के लिए संश्लिष्ट योजना के अन्तर्गत युवक मंगल दलों की आर्थिक योजना के लिए कितनी धनराशि वर्ष 1975-76 व 1976-77 में स्वीकृत की गई थी और इसमें से कितनी धनराशि युवक मंगल दलों द्वारा उपयोग में लायी गयी ? कितनी बची ?

श्री अम्मार रिजवी—

सुल्तानपुर तथा रायबरेली जनपदों के 13 विकास क्षेत्रों के लिये युवक मंगल दलों के कार्यक्रमों को सुसंगठित करने के उद्देश्य से वर्ष 1975-76 में 6.50 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई थी जिसमें से रु0 2,97,533.51 व्यय हुये और रु0 3,52,466.49 की धनराशि शेष रही ।

31—श्री शम्भू नाथ—

क्या सरकार यह भी कृपया बतायेगी कि बची हुई धनराशि के उपयोग के लिए सरकार क्या उपाय करने जा रही है ?

श्री अम्मार रिजवी--

बची हुई धनराशि सरकारी कोष में जमा कर दी गई है। अब उक्त धनराशि के उपयोग का प्रश्न ही नहीं उठता है।

बुन्देलखन्ड विकास निगम की अनियमितताओं के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र

32--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखन्ड विकास निगम की अनियमितताओं के सम्बन्ध में पिछली संसद के संसद सदस्य श्री चिन्ता बासु ने उत्तर प्रदेश सरकार को कोई प्रार्थना-पत्र वर्ष 1978-79 में माननीय मुख्य मन्त्री, श्री बनारसी दास को जांच हेतु दिया था ? यदि हां, तो अभी तक उस पर क्या कार्यवाही हुई और उसमें दोषी पाए गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां। उस पर अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश बुन्देलखन्ड विकास निगम लि0, झांसी से जांच करायी गई। शिकायतें निराधार पाई गईं। अतः किसी के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

बांदा, स्टेडियम की चहारदीवारी की जांच

33--श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतावेंगे कि क्या यह सत्य है कि अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, लखनऊ में दिनांक 30 अप्रैल, 1980 तथा मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश ने दिनांक 20 जून, 1980 को बांदा स्टेडियम की चहार दीवारी में पड़ी दरारों एवं दीवारों में की गयी सफेदी की पुतवाई की जांच की थी ? यदि हां, तो उक्त अभियन्ताओं ने अपनी क्या जांच आख्या प्रस्तुत की तथा दरारें पड़ने का क्या कारण था ?

श्री अम्मार रिजवी--

बांदा स्टेडियम की चहार दीवारी की अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, लखनऊ परिमंडल, लखनऊ द्वारा दिनांक 30 अप्रैल, 1980 को जांच की गई तथा मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 20 जून, 1980 को निरीक्षण किया गया था। मुख्य अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता की रिपोर्ट के अनुसार कार्य सामान्यतया अनुमोदित डिजाइन एवं संतोषजनक स्तर का हुआ है।

चहार दीवारी में इस प्रकार की दरार नहीं पड़ी है जिसके कारण उसके गिर जाने की कोई सम्भावना हो। कुछ स्थानों पर क्रैक्स नजर आये जो सम्भवतः फैलाव के कारण हुये, किसी स्ट्रैक्चरल डिफैक्ट के कारण नहीं।

34--श्री अकबाल हुसैन--

[4थे सोमवार के लिये स्थगित।]

देवरिया जिले के कतिपय विकास खन्डों में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

35--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया के ब्लाक गौरी बाजार, बैतालपुर, देसही देवरिया में दिनांक 31 जुलाई, 1980

तक खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत कौन-कौन कितनी लम्बी सड़कें बनी हैं ? उन पर कितनी लागत लगी है ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

36-37--श्री मान बहादुर सिंह--

[4थे सोमवार के लिए स्थगित ।]

38-श्री मान बहादुर सिंह--

[4थे सोमवार के लिए स्थगित ।]

39-श्रीमती गौरी देवी--

[3रे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 50 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

40--श्रीमती गौरी देवी--

[7वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 24 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

गोरखपुर जिले के कतिपय ग्रामों में गूलों का निर्माण एवं मजदूरों की मजदूरी का भुगतान

41--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या पंचायत राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूमि संरक्षण अधिकारी, सिसवा बाजार, गोरखपुर द्वारा माह अक्तूबर, 1979 से श्रम के बदले अनाज देने की योजना के अन्तर्गत 30-11-79 तक ग्राम सभा मुरेरी, अहरोली, भुवना, चुअना, सोफड़ा, होरलापुर आदि ग्रामों में गूल का निर्माण कराया गया है ? क्या यह सही है कि उसमें लगे मजदूरों को सुनिश्चित मजदूरी न देकर प्रति मजदूर एक किलो 285 ग्राम कम खाद्यान्न देकर पूरी मजदूरी मस्टर रोल में दर्ज करने और बिना काम में लगे मजदूरों का फर्जी नाम मस्टर रोल में दर्ज करके भुगतान करना दिखाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे मस्टर रोलों की जांच कराकर दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां, परन्तु निर्माण कार्य में लगाए गए मजदूरों को निर्धारित 6 रु0 (छः रुपया) प्रति मजदूर की दर से खाद्यान्न (चावल) 1.40 रु0 प्रति किलो की दर से मापन एवं सत्यापन के पश्चात् भुगतान किया गया । फलस्वरूप कर्मचारियों के दोषी पाये जाने व उनके विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

कृषि अभियंत्रण विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का साक्षात्कार

42--श्री रामेश्वर नाथ चौबे--

क्या कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग के अभियंत्रण अनुभाग द्वारा दिनांक 8-7-1980 को चतुर्थ श्रेणी पदों को भरने हेतु मुख्यालय पर साक्षात्कार किया गया था ? क्या यह सत्य है कि रिक्त पद जिनके लिए

[श्री रामेश्वर नाथ चौबे--]

मुख्यालय पर साक्षात्कार किया गया, जनपदों के रिक्त पद थे ? यदि हां, तो जनपदों में बनी चयन समितियों द्वारा उक्त चयन न करने का क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां ।

प्रश्नगत नव सृजित पद लखनऊ जोन तथा बलिया व एटा जनपदों के लिए हैं ।

जोनल कृषि अभियन्ता तथा सम्बन्धित जनपदों में सहायक कृषि अभियन्ताओं की नियुक्ति न होने के कारण मुख्यालय स्तर पर एक चयन समिति का विधिवत गठन करके चयन किया गया है ।

गोरखपुर जिले के विकास खंड सिसवा बाजार में खाद्यान्न योजना के संबन्ध में शिकायती-पत्र

43--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद गोरखपुर के विकास खंड निचलौल सिसवां में जनसम्पर्क मार्गों के निर्माण में श्रम के बदले अनाज की योजना अनियमित ढंग से बिना इस्टीमेट के ही फर्जी मस्टर रोल बनाकर मानव-दिवस को गल्ला बिना दिये ही मस्टर रोल पर फर्जी निसान पहले ही लेने की शिकायत शासन को 19-6-80 को भूतपूर्व क्षेत्रीय विधायक, शारदा प्रसाद जायसवाल द्वारा की गई थी ? क्या सरकार दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही कराने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां । श्री शारदा प्रसाद जायसवाल, भूतपूर्व विधायक के 19-6-80 के शिकायती-पत्रों पर आवश्यक जांच कराई जा रही है । जांचोपरान्त उचित कार्यवाही की जायेगी । विकास खंड, सिसवा बाजार में श्रम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत श्री अवधेश प्रसाद चौबे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जिला युवक कांग्रेस गोरखपुर से भी शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जांच के आधार पर तत्कालीन खंड विकास अधिकारी, सिसवा बाजार, सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), ग्राम सेवक एवं पंचायत सेवक को निलम्बित कर दिया गया है ।

44--श्री सत्यपाल सिंह--

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 26 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

सिसवा बाजार, गोरखपुर में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा गूलों का निर्माण एवं ठेकेदार का भुगतान

45--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या पंचायत राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिसवा बाजार, गोरखपुर के भूमि संरक्षण विभाग द्वारा वर्ष 1979 में हो रहे गूल निर्माण कार्य का निरीक्षण करते समय मंडल आयुक्त ने गूल नं0 9 बेतवा के निर्माण कार्य की जांच की ? निर्माण कार्य में घटिया सामानों को पाकर लिखित आदेश दिया कि निर्माण कार्य को तोड़वाकर पुनः बनवाया जाय और संबन्धित ठेकेदार का सारा भुगतान तब तक के लिए रोक दिया जाय जब तक पुनः नए निर्माण की जांच न

कर ली जाय ? तत्कालीन भूमि संरक्षण अधिकारी, सिसवा बाजार ने मार्च 1979 में बिना नव निर्माण कार्य कराये अपने स्तर से ठेकेदार को सारा धन भुगतान कर दिया ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराएगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां, किन्तु प्रश्नगत मामले में गंडक आयुक्त द्वारा जांच के उपरान्त दिए गये आदेशों का उल्लंघन नहीं किया गया, बल्कि ठेकेदार को भुगतान नव-निर्माण की जांच के उपरान्त ही किया गया। अतः पुनः जांच कराने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

उन्नाव जिले के ग्राम मवई घनश्याम की हरिजन बस्ती में कूप का निर्माण

46--श्री शिव दर्शन--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1978-79 में ग्राम मवई घनश्याम विकास खण्ड, गंज मुरादाबाद, जिला उन्नाव में श्री शम्भू हरिजन के घर के सामने एक हरिजन पेयजल कुयें का निर्माण प्रस्तावित तथा स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो क्या उक्त हरिजन पेयजल कुआं स्वीकृत स्थान पर निर्मित हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

वर्ष 1978-79 में ग्राम मवई घनश्याम विकास खण्ड, गंज मुरादाबाद में श्री शम्भू हरिजन के घर के सामने एक हरिजन पेयजल कूप का निर्माण प्रस्तावित तथा स्वीकृत हुआ था। उक्त हरिजन पेयजल कूप प्रस्तावित तथा स्वीकृत स्थान पर न बन कर दूसरे स्थान पर निर्माणाधीन है क्योंकि पूर्व प्रस्तावित एवं स्वीकृत स्थल के पास तालाब है तथा हरिजन आबादी कम है जब कि वास्तविक निर्माण स्थल के आस-पास हरिजनों की घनी आबादी है तथा कोई तालाब नहीं है।

लखीमपुर जिले के फुलवेहट थाने के दो सिपाहियों द्वारा देवरिया गांव की एक हरिजन महिला कलावती के साथ बलात्कार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से आदरणीय सदन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि पुलिस कर्मियों द्वारा महिलाओं की इज्जत लूटने की घटनाओं में, शासन के हजार आश्वासन के बाद भी, अभी कमी नहीं आयी है। अगस्त के अन्तिम सप्ताह में लखीमपुर जिले के फुलवेहट थाने के दो सिपाहियों ने देवरिया गांव की एक हरिजन महिला कलावती के साथ बलात्कार किया है। घटना इस प्रकार है कि दोनों सिपाही उक्त गांव गये और कलावती को लेकर चौकीदार के घर गये। वहां कुछ जांच करने के लिए कलावती को चौकीदार के घर के भीतर ले गये और उसके साथ बलात्कार किया। चौकीदार के घर के बाहर कलावती का पति नीचे खड़ा सब देखता रहा। रात्रि के तीन बजे सिपाहियों ने कलावती को यह कह कर भगा दिया कि यदि उसने मुंह खोला तो उसके पति को मार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

दिया जायेगा । प्रातः काल इस घटना की जानकारी गांव वालों को मिली । कलावती ने इस घटना की जानकारी पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर को दी, सिपाही निलम्बित कर दिये गये हैं । प्रश्न उठता है कि क्या निलम्बन पर्याप्त है, चाहिये यह था कि सिपाहियों को ऐसा कठोर दण्ड मिलता कि वे भविष्य में ऐसा दुष्कर्म करने का साहस न कर पाते ।

अतएव इस घटना की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कर प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं ।

लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ प्रांगण में स्वर्गीय रवीन्द्र सिंह की प्रतिमा लगाने पर रोक के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती गौरी देवी--

मान्यवर, लखनऊ विश्वविद्यालय के अनेक छात्र नेताओं ने छात्र संघ भवन प्रांगण में शहीद रवीन्द्र सिंह की प्रतिमा न लगाये दिये जाने पर आंदोलन करने जा रहे हैं । शहीद रवीन्द्र सिंह, लखनऊ, गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघों के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के नौजवानों में लोकप्रिय थे । 30 अगस्त को उनकी प्रथम पुण्य तिथि पर छात्र संघ उनकी प्रतिमा लगाना चाहता था परन्तु कुलपति ने व पुलिस ने प्रतिमा लगाने नहीं दिया और 16 छात्र नेताओं एवं एक भूतपूर्व विधायक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया । मूर्तिकार श्री राघवेन्द्र के स्वतंत्र व्यापार में पुलिस उनका घर घेर कर बाधा पहुंचाई है । विश्वविद्यालयों में परीक्षायें चल रही हैं । छात्रों व नौजवानों में अत्यन्त रोष व असंतोष है ।

इसलिए लोक महत्व के मामले को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से प्रभावी कदम उठाने का अनुरोध करती हूं ।

श्री त्रिवेनी--

मैंने भी एक सूचना दी थी, मान्यवर ।

श्री अध्यक्ष--

आपकी सूचना स्वीकार नहीं हुई ।

(व्यवधान)

मैंने 5 सूचनायें स्वीकार की हैं । पहले वह पूरी हो जांय उसके बाद आप कुछ उठाना चाहें तो उठा सकते हैं ।

जिला कारागार देवरिया में श्री गाजर पुत्र लगन की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से देवरिया जिला कारागार में घटित एक नृशंस अमानवीय घटना की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

विगत जुलाई महीने में देवरिया जिले के पटहेरवा थाना अन्तर्गत ग्राम सोनवरसा में भूमिहीन मजदूरों के एक संघर्ष में एक नायब दरोगा श्री छोटे लाल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यादव की हत्या कर दी गयी थी इस सिलसिले में तमाम निरपराध लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी मामले से सम्बन्धित एक बन्दी श्री गाजर पुत्र लगन, ग्राम नरायणपुर, थाना पटहेरवा, जिला देवरिया को दिनांक 17-7-80 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत गिरफ्तार कर जिला कारागार देवरिया में बन्दी बना लिया गया, पुलिस ने अपराध स्वीकार कराने के लिए उसे बुरी तरह से पीटा था और जेल में चिकित्सा की समुचित व्यवस्था नहीं हुई जिसके कारण वह जेल के अन्दर ही दिनांक 31-8-80 को दिवंगत हो गया। अभी तक इस मामले में मजिस्टीरियल जांच नहीं हुई है और स्थानीय अधिकारी मामले को दबाने के चक्कर में हैं। इस सूचना के माध्यम से मैं यह मांग करता हूं कि जिला कारागार देवरिया में नियुक्त चिकित्सक को अविलम्ब चिकित्साधिकारी के पद से निलम्बित कराया जाय और मामले की मैजिस्ट्रीरियल जांच कराकर मृतक परिवार को मुआवजा दिया जाय।

पर्वतीय क्षेत्र में खरीफ की फसल में कुरमुला कीड़े के प्रकोप से नुकसान के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जसवंत सिंह बिष्ट—

महोदय, पर्वतीय क्षेत्र की अधिकांश खरीफ की फसल धान, मंदिरा, मिर्च कुरमुले नामक कीड़े के प्रकोप से नष्ट हो गई है। शासन ने गत तीन वर्षों में जिला अल्मोड़ा के विकास खण्ड सल्ट विकास खण्ड स्याल्दे, विकास खण्ड चौखुटिया जिला पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बिरेखाल व नैनीडाण्डा में निःशुल्क कीटाणुनाशक दवा का छिड़काव किया गया था। मुझे यह भी कहना है कि जो दवा बी0 एस0 सी0 10 तथा एल्डीन का छिड़काव किया गया है वह दवा पुरानी थी जिससे कुरमुला नामक कीड़ा नष्ट नहीं हुआ है। उसका परिणाम यह है कि इस समय फसल समाप्त हो गयी है जिससे पर्वतीय क्षेत्र के कृषकों में हा-हाकार मचा है। मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि अविलम्ब क्षेत्रों की जांच की जाय। क्योंकि अधिकांश फसल उन्हीं खेतों की नष्ट हुई हैं जिनमें कृषि विभाग द्वारा उपरोक्त दवा का छिड़काव हुआ है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर कृषि मंत्री जी से वक्तव्य दिलवाया जाय।

श्री त्रिवेनी द्वारा नियम 301 की सूचना उठाये जाने का प्रयत्न

श्री त्रिवेनी—

मैंने नियम 301 के अन्तर्गत एक प्रश्न दिया था....

श्री अध्यक्ष—

कई सदस्यों ने दिया था।

*श्री त्रिवेनी—

ऐसा है कि वह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण इसलिए है कि आजमगढ़ जनपद में बड़ी भयानक बाढ़ आई है, उस सिलसिले में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता था...(व्यवधान), वहां सभी फसल बर्बाद हो गई है। मैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री त्रिवेनी]

चाहता था कि इस प्रश्न को आप इजाजत दे दें। (व्यवधान) वहां बहुत जबरदस्त बाढ़ है जिससे हजारों मकान गिरे हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 1978-79 (सिविल) तथा उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे 1978-79 एवं विनियोग लेखे 1978-79†

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 1978-79 (सिविल) तथा उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे 1978-79 एवं विनियोग लेखे 1978-79 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का वार्षिक लेखा विवरण-पत्र 1975-76††

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक लेखा विवरण-पत्र 1975-76 को इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 की धारा 69 की उपधारा (5) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र (भाग प्रथम व द्वितीय) वर्ष 1980-81††

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र (भाग प्रथम तथा द्वितीय) वर्ष 1980-81 को इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 की धारा 61 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की वर्ष 1976-77 की 22वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण††

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की वर्ष 1976-77 22वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 38 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापे नहीं गये।

††छापा नहीं गया।

सदन के पटल पर रखे गये राज्य विद्युत् परिषद् के वित्तीय विवरणों के सम्बन्ध में चर्चा कराने की मांग

*श्री धर्म सिंह--

आज के आईटम नं0 4 व 5 का, जिसे विद्युत् मंत्री जी ने पटल पर रखा है, उस सबन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि हालात को देखते हुए और प्रदेश में बिजली की जो बुरी दशा है, उससे पता चलता है कि जितना पैसा इस सदन के द्वारा दिया जाता है, उसका बड़ा दुरुपयोग होता है। श्रीमन्, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप सरकार से कहें कि इस पर एक दिन बहस होनी चाहिए, जिससे इसका जस्टीफिकेशन हो सके।

श्री रियासत हुसैन--

मैं भी इसका समर्थन करता हूं, यह बड़ा गम्भीर मसला है।

श्री अध्यक्ष--

अभी तो यह केवल टेबुल पर रखा गया है। जिसको चिन्ता है वह बताए और लिखकर दे कायदे से। हम, नियमों में जो होगा, करेंगे।

श्री फखरे आलम--

मैंने विशेषाधिकार का एक प्रश्न उस दिन दिया था...

श्री अध्यक्ष--

वह भी आ जायगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा दिये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न को न लिये जाने पर आपत्ति

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। विशेषाधिकार की अवहेलना की बात एक गम्भीर प्रश्न है, जिसमें माननीय सदस्यों के अपमान का मामला निहित रहता है। आप उस पर शासन की रिपोर्ट देंगे और उसमें एक-एक महीने की देरी हो जाएगी, तो हमारे सम्मान की रक्षा कैसे होगी? यह 14 जुलाई का मामला है और अभी तक आया नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य के सम्मान के लिए, सदन और अध्यक्ष उतने ही चिन्तित हैं, जितने माननीय सदस्य। मगर कभी कुछ देर हो जाती है। ठीक है, माननीय सदस्य ने इस वक्त याद दिलाया है। इसमें देर होने का कोई प्रश्न नहीं है और न उसके महत्व में कमी होने का प्रश्न है। कई अत्यन्त महत्व के प्रश्न यहां आए थे, इसलिए इसमें देर हुई, यह माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिए।

श्री फखरे आलम--

मान्यवर, तारीख तो मालूम हो जाय ताकि उस दिन मैं सदन में उपस्थित हो सकूं।

श्री अध्यक्ष--

उस पर निर्णय देने के पूर्व आप को सुना जायेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधान सभा की समितियों तथा स्थायी समितियों के सदस्यों को नाम निर्देशित करने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव

ग्राम विकास मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(1) उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 200 (1) के साथ पठित नियम 229 (2) के अनुसार लोक लेखा समिति में 21 से अनधिक सदस्य, नियम 231 (2) के अनुसार प्राक्कलन समिति में 25 से अनधिक सदस्य, नियम 232-ख के अनुसार सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति में 25 से अनधिक सदस्य,

(2) विधान सभा तथा विधान परिषद् द्वारा क्रमशः दिनांक 6 अगस्त, 1974 एवं दिनांक 14 अगस्त, 1978 को पारित प्रस्ताव के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति में 21 सदस्य, तथा

(3) मंत्रियों को परामर्श देने के लिए स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्यविधि के नियम 1 (ङ) साथ पठित नियम 1 (क) के अनुसार 29 स्थायी समितियों में प्रत्येक में 16-16 सदस्य, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए विधान सभा द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं।

उक्त सम्बन्धित नियमों तथा प्रस्ताव के उपबन्धों के अनुसार वर्ष 1980-81 के लिए सदन की उक्त समितियों तथा मंत्रियों को परामर्श देने के लिए 29 स्थायी समितियों के लिए निर्वाचन किया जाना है।

सम्बन्धित नियमों एवं प्रस्ताव के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए जहां तक वे उक्त समितियों के निर्वाचन की प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, यह सदन श्री अध्यक्ष को, समस्त समितियों में वर्ष 1980-81 के लिए विधान सभा के सदस्यों को नाम निर्देशित करने हेतु प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में सम्बन्धित नियमों एवं प्रस्ताव की अपेक्षानुसार वर्ष 1980-81 के लिए विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।

श्री राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन्, इस प्रस्ताव पर हमारी सहमति है

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे यह सदन स्वीकार करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज नियम 56 के अन्तर्गत जो 3 सूचनायें प्राप्त हुयी थीं। इनमें पहली सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की अलीगढ़ में श्री पवन कुमार जैन नामक प्रतिष्ठित

पत्रकार को गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में है, दूसरी सर्वश्री हरी किशन श्रीवास्तव व राम गोविन्द की लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन के सामने पार्क में भूतपूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्री रवीन्द्र सिंह की प्रतिमा लगाने से सम्बन्धित कुछ छात्रों को बन्दी बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है और तीसरी श्री प्रदीपकुमार यादव को रामपुर जिले में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा छापा मार कर अवैध हथियार एवं गोला बारूद बरामद किए जाने के सम्बन्ध में है। मैंने ये तीनों सूचनायें अस्वीकृत कर दी हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि अलीगढ़ के श्री पवन कुमार जैन, जो एक प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, उन्होंने सरकारी सूत्रों (वहां के कमान्डर) से जानकारी प्राप्त करके एक समाचार दिया कि वहां पर 400 होमगार्ड लापता हो गये हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि उनमें से कुछ तो मर गये हैं और कुछ अपने घर भाग गये हैं। इस समाचार पर श्री पवन कुमार जैन, पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया गया और हथकड़ी लगाकर न्यायालय ले जाया गया। यह स्वतंत्र पत्रकारिता पर कुठाराघात और इस सरकार के एमर्जेन्सी के कार्यों को परिलक्षित करता है। इस लिए मेरा निवेदन है कि इस पर कार्य–स्थगन प्रस्ताव, विषय के अविलम्बनीय महत्व को समझते हुए, को स्वीकार किया जाय। मान्यवर, यह कितना नामुनासिब है कि एक पत्रकार जो सरकारी सूत्रों से समाचार दे रहा है, उसको जेल में डाल दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष––

आप कृपया बैठें।

श्री मोहन सिंह––

इस समय सारे प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भावना खतम हो गयी है और जब इस तरह के समाचार प्रसारित होंगे तो स्थिति और नाजुक हो जायेगी और शासन ही इस तरह की अफवाहें फैलाता है, इसलिये इस पर विचार करने के लिये समय दें और इसे आप स्वीकार कर लें।

(व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र सिंह––

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो कार्य–स्थगन का प्रस्ताव रखा है अलीगढ़ की घटना के सम्बन्ध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां की यही कोई पहली घटना नहीं है, वहां के अधिकारियों ने इस तरह का व्यवहार पत्रकारों के साथ पहले भी किया है। इसके पूर्व भी एक घटना हुई थी जिसमें वहां के कमिश्नर महोदय ने जेल के अन्दर 'अमर उजाला' के रिपोर्टर को डांटा और बुरी तरह से अपमानित किया। तो इस तरह की घटनायें हो रही हैं।

श्री अध्यक्ष––

जो विषय माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने उठाया है उसको मैंने कार्य–स्थगन के रूप में तो स्वीकार नहीं किया है, लेकिन चूंकि उन्होंने इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि पत्रकार को यह सूचना श्री के0 के0 सिंह, जो सरकारी अधिकारी हैं उन्होंने दी, इसलिये मैं यह उचित समझता हूं कि शासन इस मामले में एक वक्तव्य दे दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

ठीक है ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

(व्यवधान)

श्रीमन्, मेरा वाला भी बहुत ही महत्वपूर्ण है । अगर आप उस पर चर्चा का मौका नहीं देंगे नियम 56 के अन्तर्गत, तो इस सदन की क्या उपयोगिता रह जायेगी । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आपकी सूचना अगर स्वीकृत न हो तो आपका यह कहना कि फिर इस सदन का क्या महत्व है, मैं समझता हूं यह बहुत अच्छी बात नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री रामगोविन्द--

एक मैंने दिया था स्वर्गीय रबीन्द्र सिंह, भूतपूर्व अध्यक्ष की प्रतिमा लगाने के बारे में, वह बड़े महत्व का है उसे आप स्वीकार कर लें । इस सम्बन्ध में कुलपति से बात भी हो चुकी है, यूनियन के छात्र चाहते हैं, इस सम्बन्ध में 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है । छात्रों में बड़ा रोष है और आन्दोलन हो सकता है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें । सरकार का ध्यान आकर्षित हो गया है । प्रदीप कुमार यादव जी की सूचना किसी नियम के अन्तर्गत न होने के कारण अस्वीकृत है । सभी सूचनाओं को मैंने अस्वीकृत किया है । कार्य-स्थगन का प्रस्ताव उन पर नहीं लाया जा सकता । अस्वीकार किसी कारण से किया गया है, अकारण नहीं किया है ।

(व्यवधान)

1980-81 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 38-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा), अनुदान संख्या 39-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण), अनुदान संख्या 40-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) तथा अनुदान संख्या 77-चिकित्सा विभाग-पूंजीगत परिव्यय

[12 बजे अपराह्न]

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 38-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 33,08,21,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 39-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,13,43,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 40-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,35,27,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 77-चिकित्सा विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 37,15,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, मूल रूप से यह प्रश्न आज उपस्थित है कि वर्तमान परिस्थितियों में जब कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 11 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है चिकित्सा और स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सुविधायें ये दो चीज हैं। श्रीमन्, आज चिकित्सा की सुविधायें बढ़ाई जायं। आज उत्तर प्रदेश में 38 हजार शैय्यायें राष्ट्रीय चिकित्सालयों में उपलब्ध हैं। छठीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत शासन का यह विचार है कि शैयाओं की संख्या बढ़ा कर 1 लाख 8 हजार कर दी जायं तथा आने वाले 5 वर्षों में 90 हजार शैयायें बढ़ाई जायं। इसी के अन्तर्गत श्रीमन् हमारे देश की, जो प्राचीन चिकित्सा सुविधायें रही हैं, आयुर्वेदिक, यूनानी और वर्तमान में होम्योपैथिक, इन चिकित्सा सुविधाओं के अन्तर्गत शैयाओं की संख्या अब उन्हीं 38 हजार के अन्तर्गत लगभग साढ़े 4 हजार और 5 हजार के बीच में है। शासन का दृष्टिकोण है कि इन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए उन्हें 90 हजार के कार्यक्रम के अन्तर्गत इन शैयाओं की संख्या बढ़ा कर 3 हजार कर दी जाय।

श्रीमन्, स्वास्थ्य विभाग जिसके अन्तर्गत चिकित्सा (स्वास्थ्य) है, आज के वर्तमान परिस्थिति में जब हम उस पर दृष्टिकोण डालते हैं तो कुछ मूल कठिनाइयां सामने आती हैं। आज हमारे चिकित्सालयों में इस बात की सुविधा

[श्री लोकपति—]

है कि अगर नगरपालिका क्षेत्र से सम्बन्धित जलपूर्ति में व्यवधान हो जाय, तो वहां चिकित्सालय के अन्दर जलपूर्ति कैसे की जाय। हमारे चिकित्सालयों में आज अगर आवश्यकता के समय विद्युत् की आपूर्ति न हो तो कोई अन्य सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिससे विद्युत् आपूर्ति की जा सके। विशेषतौर पर हमारे चिकित्सकों के सामने उस समय परेशानी उठ खड़ी होती है जब वह किसी मरीज की शल्य चिकित्सा कर रहे होते हैं और उसी समय बिजली चली जाये। तो इन बातों को दृष्टिकोण में रखते हुए इन बातों की ओर विचार किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के समस्त चिकित्सालयों में उनकी अपनी बिजली सुविधा करा दी जाए। और बिजली की ही कमी के कारण वहां सफाई व्यवस्था भी ठीक ढंग से नहीं हो पाती है। सम्मानित सदस्यों ने आमतौर से यह बात कही कि चिकित्सालयों में अक्सर पर्याप्त सफाई की व्यवस्था नहीं रहती, और गंदे रहते हैं। जो मरीज वहां स्वस्थ्य होने के लिए जाता है और वहीं गंदगी होगी तो मरीज स्वस्थ्य कैसे होगा। यह बात उनकी सही भी है। इन्हीं सब चीजों को दृष्टि में रखते हुए श्रीमन् यह भी निर्णय किया जा रहा है कि इस वर्तमान परिस्थिति में जहां एक ओर शैयाएं तो 8 गुना बढ़ी हैं, मगर उसी अनुपात में वहां कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, वार्ड ब्वाय, सफाई कर्मचारी तथा अस्पताल की देख-रेख करने वाले अन्य स्टाफ में वृद्धि नहीं हुयी है। इसलिए इस ओर भी ध्यान देते हुए इस माप-दण्ड से वहां की इस कमी को दूर करने का निर्णय लिया जा रहा है। साथ ही यह भी विचार किया जा रहा है कि आज हमारे चिकित्सालयों में जनरेटर की आवश्यकता है, जो लगभग उत्तर प्रदेश के 40 चिकित्सालयों में इसी वर्ष लगभग 128 जनरेटर लगाये जाने का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है और इनको एक डायरेक्ट फीडर लाइन से जोड़े जाने की व्यवस्था की जा रही है। वैसे तो यह कार्य 3 वर्षों के अंदर किया जाना था, परन्तु आज की आवश्यकता को देखते हुए यह 3 वर्षों से पहले किये जाने हेतु निर्णय लिया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार ने इस ओर भी निर्णय लिया है जैसा कि आज कल हमारे सामने एक अहम मसला दवाओं का है, जिसके बारे में इस सदन में सम्मानित सदस्यों ने उठाया और डिविजनल, जो बैठकें हुयी उसमें भी सम्मानित सदस्यों ने कहा। इस लिए निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश के समस्त चिकित्सालयों के लिए जो दवाएं खरीदी जायेंगी, चाहे वह कैप्सूल हो, चाहे टैब्लट्स फार्म में हो या कोई भी दवा हो, उसमें उत्तर प्रदेश शासन अंकित रहेगा, ताकि जो भी चर्चा इससे पूर्व में हुयी या शंकाएं हुयी इन दवाओं के सिलसिले में उनका निवारण हो सके और जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र में दवाओं के निर्माणकर्ता हैं, उनसे वरियता के आधार पर दवाएं ली जायेंगी और यदि इन दवाओं में कोई गड़बड़ी या खराबी हुयी तो हम इन दवाओं के निर्माताओं को इंगित भी कर सकेंगे और श्रीमन्, इसी के सम्बन्ध में चिकित्सा के सम्बन्ध में मैंने आपसे अनुरोध किया कि 90 हजार शैय्याओं को बढ़ाया जायेगा। इसके पूर्व कुछ मूल सिद्धान्तों से आपके माध्यम से इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं।

स्वास्थ्य विभाग जो आय-व्ययक है उसका 82 प्रतिशत अंश ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य के लिये निर्धारित किया गया है। आज यह प्रश्न नहीं है, शहरी और देहात का। मगर वस्तु स्थिति जो है वह यह है कि जिन परिस्थिति में हमारे ग्रामीण भाई रहते हैं यह आश्चर्य की चीज है कि वह स्वस्थ कैसे रहते हैं। सिवाय इसके कि चाहे प्रकृति कहे चाहे भगवान कहें चाहे खुदा कहें उन्होंने भारतीय लोगों को इस राज्य के निवासियों को शायद यह ताकत दे दी है कि

उनके अन्दर रोग से लड़ने की अपने आप में शक्ति है। कुएं का जल निहायत आवश्यक है और जन प्रदूषण हमारे चाहे कुयें हो, पानी की टंकी हो चाहे हमारी नदियां हों सब का जल प्रदूषण हो गया और प्रश्न आयेगा तो अनुरोध करूंगा और इस स्थिति में कुछ कर्तव्य होते हैं शासन के, कुछ शासन के दायित्व हैं उनको दृष्टिगत रखते हुये यह फैसला लिया गया है कि आज की वर्तमान परिस्थिति में, किसी युग में रहा होगा, वर्तमान परिस्थिति में ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत जो हमारी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई जो वहां पर चिकित्सक हैं अगर उन स्थानों पर नहीं जाता तो यह अनुशासन की कार्यवाही मानी जायगी।

हमारे माननीय सदस्य ने प्रिवेंटिव डिटेन्शन ऐक्ट के खिलाफ बहुत बात कही थी और शासन ने आश्वासन दिया था कि इसका प्रयोग राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं किया जायगा। जो चिकित्सक जिस चिकित्सा केन्द्र पर जिसको नियुक्ति कर दी गई वह चिकित्सक उस चिकित्सा केन्द्र पर नहीं जा कर जहां पर वह वर्तमान में कार्य कर रहा है वहां न जा कर अगर लखनऊ में घूम रहा है, क्या सजा देंगे आप सस्पेंशन, ट्रान्सफर। इससे क्या आप उम्मीद करते हैं इस प्रदेश के ग्रामीण स्थानों पर जहां उत्तर प्रदेश के 80 प्रतिशत व्यक्ति हैं, जहां केन्द्रों पर बिजली नहीं पानी नहीं है वहां चिकित्सक इस लिये नहीं जायेगा कि वहां सब सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं लखनऊ में रहने की कार्यवाही करेगा। क्या प्रिवेंटिंग डिटेंशन ऐक्ट नहीं लागू किया जा सकता है। श्रीमन् इसी के अन्तर्गत हमारे प्रदेश में आज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है 903 जिनमें से 381 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के ऊपर आज भवन नहीं है तो यह निर्णय लिया गया है कि आने वाले 5 वर्षों के अन्तर्गत यह सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भवन निर्माण कर दिया जायेगा। छठीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत यह निर्माण करा दिया जायेगा। श्रीमन् यह भी निर्णय लिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में सुधार स्वास्थ्य चिकित्सा उपलब्ध कराने में 50 हजार की आबादी के ऊपर एक स्वास्थ्य केन्द्र रखा जाय। कुछ जिले हैं हमारे प्रदेश में 8 पहाड़ी जिले और बुन्देलखण्ड, ललितपुर, झांसी के जिले जहां पर सम्भवतः आबादी 50 हजार के ऊपर लगभग मगर एक लाख के नीचे है। अधिकांश उत्तर प्रदेश के विकास खण्डों की आबादी एक लाख से अधिक है। पचास हजार के माप दण्ड को मान कर हर विकास खंड में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोल दिया एक यह भी निर्णय पूर्व सरकार का था। दुख है कि उनकी पद्धति, मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं, रोलिंग प्लान की थी। अपने शासन काल में कुछ ग्रामीण विकास केन्द्रों के उच्चीकरण के प्रस्ताव को स्वीकार किया था। परन्तु उन्होंने एक भी कार्यक्रम प्रारम्भ नहीं किया। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि हर चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अन्तर्गत एक उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 30 शय्याओं वाला पुरुष और स्त्री दोनों चिकित्सा पद्धति वहां रहेगी और आधुनिक आवश्यकताएं हैं, पैथालजी की, कार्डियोलाजी की एक्सरे की, सर्जनरी की यह जो आवश्यकताएं हैं इन आवश्यकताओं की भी आपूर्ति उन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जो उच्चीकृत किये जायेंगे उन पर की जायगी।

छठी पंच वर्षीय योजना में हमारे 903 स्वास्थ्य केन्द्र हैं उनमें से करीब डेढ़ सौ ऐसे हमारे स्वास्थ्य केन्द्र हैं जिनको अस्वीकृत किया जायगा। छठी पंच वर्षीय योजना काल में और उनको पूर्ण किया जायगा। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक चिकित्सा के दृष्टिकोण से, उत्तर प्रदेश में 254 तहसील हेडक्वार्टर्स हैं।

[श्री लोक पति—]

उन स्थानों में या अन्य किसी जगह पर जो आवश्यकता के अनुरूप होंगे, अन्यथा हर तहसील के मुख्यालय के ऊपर इसी प्रकार 30 शैय्याओं के चिकित्सालय की व्यवस्था की जायेगी स्त्री और पुरुष दोनों की और उनमें वही सुविधाएं उपलब्ध करायी जायगी जो हमारे सदर तहसील के मुख्य चिकित्सा केन्द्र पर रहती है आधुनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ।

सदन में चर्चा के समय यह चीज दृष्टिकोण में आया कि आधुनिक कुछ बीमारियां हैं । जो पुरानी है हम सब जानते हैं, हैजा, मलेरिया, फाइलेरिया । मगर आज जो वातावरण का प्रदूषण है इससे नयी-नयी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं । दो वर्ष पूर्व एक ऐसे ही बीमारी आयी थी जिसमें भारत सरकार को जापान से विशेषज्ञ बुलाने पड़े थे उस बीमारी के निदान और उसको दूर करने के लिए और हमारे प्रधान मन्त्री ने मार्च के महीने में लेडी हार्डिंज कालेज के कनवोकेशन एड्रेस पर कहा था कि हमारे देश में ट्रापिक्क डिसीजेज का सेन्टर स्थापित होना चाहिए । तो शासन का निर्णय है कि उत्तर प्रदेश के नौ मेडिकल कालेज में ट्रापिकल डिजीज इनवेस्टिगेशन सेन्टर स्थापित होना चाहिये । तो शासन का निर्णय है कि उत्तर प्रदेश के नौ मेडिकल कालेज में ट्रापिकल डिजीज इनवेस्टिगेशन सेन्टर कायम किये जायं और जिन कमिश्नरी के हेड क्वार्टर पर मेडिकल कालेज नहीं है वहां एक प्राथमिक चिकित्सालय है उसमें सेन्टर कायम किया जाय ताकि इस तरह का कोई वायरस फैले, जो आज भी देखते हैं फैला है, सर्दी जुकाम कितने ढंग से फैला हुआ है, डाक्टर कहते हैं कि अलर्जी है, अलर्जी है तो कितने प्रकार की अलर्जी है, कोई उसका निदान नहीं है और जैसा मैंने आपसे कहा कुछ प्रकृति की देन है या ईश्वर की देन है, हमारी भौतिक रचना इस प्रकार की है कि हम स्वतः अपने को स्वस्थ करते हैं । मानसिक शान्ति अवश्य हो जाती है कि हमने दवा की । क्या बीमारी है इसको न जानकर जो स्टैण्डर्ड दवाइयां हैं उनको लोग खाते हैं । जो वर्तमान बीमारियां हैं उनकी जानकारी हमको नहीं है । इसलिए उनको बढ़ायें, यह हमने सोचा है । तहसील मुख्यालयों पर और ब्लाकों के मध्य जो अस्पताल हैं वे सब एलोपैथिक नहीं हैं । आज आयुर्वेदिक पद्धति के अन्तर्गत शल्य चिकित्सा आ गयी है । ये दोनों चलेंगे । इसी सन्दर्भ में जो आर्थिक स्थिति है, उसके संबंध में हमारे सम्मानित सदस्य अवगत हैं । यू0 एन0 ओ0 की एक परिकल्पना है कि सन् 2000 तक विश्व के प्रति व्यक्ति तक चिकित्सा पहुंचा दी जाये और प्रदेश में हर व्यक्ति को चिकित्सा पहुंचा दी जाय । वह श्रीमन् आपका भी उद्देश्य है और हमारे सम्मानित सदस्यों का भी है । इसमें हमें होम्योपैथिक को लेना होगा । शल्य चिकित्सा के अलावा एलोपैथी में क्योर नहीं है, रिलीफ है । बीमारी को जड़ से दूर करना एलोपैथी में नहीं है । अगर जड़ से दूर करना है तो शल्य चिकित्सा है कि उतना काट दिया जाये । मगर 3 पद्धतियां हैं जो क्यूरेटिव हैं । अगर मर्ज का पूर्ण रूप से सफाया करना है तो हमें यूनानी, आयुर्वेद और होम्योपैथी पर चलना होगा । इसलिए श्रीमन् प्रदेश में जो होम्योपैथी के संस्थान थे उनका अधिग्रहण पूर्व शासन ने किया था, हम उसके लिए उन्हें बधाई देते हैं । मगर दुःख है कि उसके आगे कदम नहीं उठाया । वर्तमान में अभी 9 कालेज रखे हैं मगर 6 होम्योपैथी के कालेज शासन चलायेगा । उन होम्योपैथिक कालेजों के अन्तर्गत जितने चिकित्सक अध्यापक उनमें है समाविष्ट किये जायेंगे, जो छात्र हैं, जो उनके उपकरण हैं जो आज काम आ सकते हैं और आवश्यक हैं ले लिये जायेंगे जो भवन श्रीमन् उनको हम लेंगे, जो 6 स्थान नियत करेंगे जितने विद्यालय प्रारम्भ करेंगे, उन भवनों का साज, शैय्या का उचित मुआवजा भी हम देंगे ।

जल प्राकृतिक चिकित्सा का श्रोत है । इसी तरह श्रीमन् आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक भविष्य में यह चिकित्सालय सिर्फ शासन द्वारा ही चलाये जायेंगे । किसी भी निजी या स्वायतशासी संस्था को यह अधिकार नहीं रहेगा जैसा हमारे मेडिकल कालेज को है । यह शिक्षण संस्थायें राष्ट्रीकृत कर दी जायेंगी । राष्ट्रीयकृत हो रही है जैसा हमने सदन में आश्वासन दिया है । श्रीमन् इसी संदर्भ में, हमारे माननीय सदस्य ने कहा भी है, प्रश्न भी किया है, योग का संबंध शरीर से है । बहुत सी बीमारियां योग से दूर हो जाती हैं । बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका कोई निदान नहीं है, न होम्योपैथी में है, न एलोपैथी में है, न यूनानी में है, उनका निदान योग में है । एक बलरामपुर चिकित्सालय जो आपका है, उसमें योग केन्द्र है । इसी तरह से श्रीमन् हर जिले के मुख्यालय में जो सदर अस्पताल हैं वहां भी योग-केन्द्रों का स्थापना होगी । योग पद्धति को भविष्य में हम तहसील स्तर पर ले जायेंगे, विकास खण्डों के स्तर पर ले जायेंगे ।

दो-एक चीजें और आपके सम्मुख रखना चाहता हूं । स्वास्थ्य से संबंधित चिकित्सालय जरूर खोले जा रहे हैं । मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि स्वास्थ्य की जिम्मेदारी किस की है, जिस विभाग का मैं मंत्री हूं उसकी, या किसी अन्य विभाग की, मेरा दृष्टिकोण साफ है कि यह जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की है । चाहे वह ग्रामीण स्तर पर हो चाहे वह नगरीय स्तर पर हो, यह जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की है । स्वच्छता रखना उसकी जिम्मेदारी है, वह अन्य विभागों से संपर्क स्थापित करें, उनका सहयोग प्राप्त करें । मलेरिया को दूर करने की बात होती है, वह कैसे दूर होगी । जब तक मच्छर दूर नहीं होंगे मलेरिया दूर नहीं होगी । मच्छरों को समाप्त करने की बात होनी चाहिये ।

हमारे विभाग में सेनेटरी इन्सपेक्टर हैं । नाम है उनका सेनेटरी इन्सपेक्टर । सेनेटेशन की देखभाल करना उनका काम है । लेकिन काम करते हैं वह मिलावट को देखने का । यह प्रश्न मेरे समय में नहीं आया । अगर मेडिकल मैनुअल में कोई भी ऐसा प्राविधान है कि सेनेटरी इंस्पेक्टर फूड एडल्टरेशन का काम नहीं देखेगा, तो, मान्यवर, आपकी आज्ञा से और माननीय सदन की आज्ञा से उस मैनुअल में प्राविधान बदल दिया जायेगा और सेनेटरी इंसपेक्टर का कार्य नगर तथा गांवों की स्वच्छता का रहेगा । फूड एडल्टरेशन को रोकना जरूरी है उसको रोकने के लिए यदि आपको नयी विंग बनानी है, तो बना लें । हम चाहते हैं कि सफाई आदि के लिए ये अपने कर्तव्यों का पूरा पालन करें ।

अब मैं आप लोगों के सुझावों का प्रार्थी हूं । जिससे कि उसको अमल में लाया जा सके ।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रियासत हुसैन—]

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 38—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 39—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 40—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 77—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान मांगने के लिए अपना भाषण दिया उससे सारे ही प्रदेश का जिसकी जन संख्या 10 करोड़ से भी ऊपर है, का सीधा संबंध है और जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है, श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने कहा कि अच्छे स्वास्थ्य वालों से होशियार रहें, तो, मान्यवर, अब अच्छे स्वास्थ्य वाले तो उनके दल में ही बैठे रहे हैं। वह चाहे उर्मिला जी हों या जती भाई हों। बहरहाल यह मांग तो पूरे सदन के नोट करने के लिए आयेगी जिसमें अच्छे स्वास्थ्य वाले भी नोट करेंगे और जिनका स्वास्थ्य गिरा है और जो अब केवल 115 हैं, वे भी रहेंगे। और हम लोग कमजोर हैं ही, इसीलिए अनुदान पास हो जायेंगे। इसमें दो राय नहीं।

मान्यवर, जो रूपरेखा माननीय मंत्री जी ने रखी है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि आज हालत क्या है। आगे और माननीय सदस्य भी रोशनी डालेंगे। लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो पूरे सूबे का नक्शा खींचा तो उससे जाहिर हुआ कि वह 930 बिल्डिंग बनवायेंगे। और 381 तो इसी साल बना देंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में जहां स्वीपर दवा बांट रहे हैं और एम० बी० बी० एस० का काम कर रहे हैं, वहां डाक्टर भेजे जायेंगे। इसी तरह से सेनेटरी इंस्पेक्टर का जो सही मायने में काम होना चाहिए, वह काम उससे लेंगे। जो सफाखानों में पानी और बिजली अभी तक ठीक से नहीं मिलती, उसके लिए जनरेटर के प्राविधान करने की बात थी। उसमें कुछ डायरेक्ट लाइन लेने की बात थी। ये सारी चीजों का नक्शा माननीय मंत्री जी ने माननीय सदन में रखा।

जब यह प्रश्न आता है, श्रीमन्, इस वक्त अगर निगाह डाली जाय तो बारह रात जितना सम्बन्ध इस विभाग का प्रदेश की जनता से है उतना किसी और का नहीं है। यह विभाग ऐसा है, इसमें आदमी जहां भी कहीं जाता है मरीज बनकर या मरीज का तीमारदार बनके तो श्रीमन् वह पैसा भी देता, रिश्वत भी देता है और मजबूर भी है। मजबूर इसलिए है कि वह रिश्वत देकर भी यह नहीं कह

सकता है कि डाक्टर को मैंने रिश्वत दी है। वह डरता है कि अगर मैंने कहीं रिश्वत का जिक्र कर दिया तो कहीं ऐसा न हो कि मेरे मरीज के साथ तीमारदारी और इलाज ठीक से न किया जाय।

श्रीमन्, यह देखा गया है कि जितना ज्यादा रश पढ़े लिखे नौजवानों का एम0 बी0 बी0 एस0, पी0 एम0 टी0 पर होता है उतना और किसी इम्तहान के लिए नहीं होता। इसके बाद आई0 ए0 एस0 वगैरह में लोग जाते हैं और जो इम्तहान या सेलेक्शन होता है उसमें भी शिकायतें आती हैं। हालांकि बड़ा फूल प्रूफ दाखिला होता है, पता नहीं क्या रोल नम्बर है, कापियां कहां जायेंगी। यह सब चीजें पता नहीं चल पाती हैं फिर दाखिले में शिकायतें होती हैं। कहीं 10 हजार रुपए लेकर कहीं किसी तरह से दाखिले हो जाते हैं। न जाने किस-किस तरकीब से दाखिले लोग ले लेते हैं। जब वह डाक्टर बनकर आपके विभाग में आते हैं तो देखा यह गया है वह यही कोशिश करते हैं कि उनको जल्दी तजुर्बा हासिल हो जाय और वह अच्छे डाक्टर कहलाने लगें। इसी के दौरान में वह डाक्टर साहब अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस चलाकर अपने संरक्षण में कोई न कोई दवाइयों की दूकान चाहे वह उसमें डाइरेक्ट हिस्सेदार बन जायं या इनडाइरेक्ट हिस्सेदार बन जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि 2-4-5 साल में तजुर्बा हासिल करने के बाद कुछ पैसा इकट्ठा करने के बाद यह सोचने लगते हैं कि अब इस सरकारी नौकरी में कुछ है नहीं, प्राइवेट प्रैक्टिस खोल लेते हैं। यही कारण है कि जो आपकी डिस्पेंसरीज हैं वहां जब आप लोग डाक्टर्स को ट्रांसफर्स करते हैं तो आर्डर होने के बावजूद, उन आर्ड्स में बहुत कम दखलदाजी इस माननीय सदन के सदस्यों की होगी, चाहे आप उनको पहाड़ी क्षेत्रों में भेजें, बुन्देलखंड क्षेत्र या देहात के अन्दर भेजने के आर्डर करें लेकिन उन आर्डर्स को इक्जीक्यूट नहीं करा पाते हैं। ऐसे भी तमाम मामले हुए हैं कि डाक्टर्स ने लम्बी-लम्बी छुट्टियां ले ली हैं या इस्तीफा दे दिया है। जनता सरकार में माननीय श्री कल्याण सिंह ने सख्ती के साथ इस पर अमल कराने की कोशिश की तो पता चला कि बहुत से डाक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया और प्राइवेट प्रैक्टिस करने लगे। उन्होंने सोचा कि सरकारी नौकरी की कोई जरूरत नहीं है प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करो।

श्रीमन्, यह गम्भीर प्रश्न है। जैसा कि आपने कहा कि गांव में रहने वाला गरीब से गरीब है लेकिन मेरा कहना है कि गांव में रहने वाला हो या शहर में सभी को चिकित्सा सुविधायें और दवाइयां पाने का समान अधिकार है। लेकिन देखने में आया है कि जिनके पास सम्पत्ति है, पैसे की कमी नहीं है वह अपना प्राइवेट इलाज कराते हैं और आपके वहां प्राइवेट वार्ड और पेइंग वार्ड में इलाज कराते हैं, इस प्रकार उनकी देखभाल में कोई कमी आने वाली नहीं है। लेकिन दुख और खेद की बात है कि भारतवर्ष की 80 फीसदी जनता देहातों में रहती है और इस साल तो अपने प्रदेश 46 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, ऐसे समय में बुनियादी सवाल है कि 30-33 साल बाद भी बुनियादी आधार पर चाहे पहाड़ हो या देहात के इंटीरियर क्षेत्र हों या बुन्देलखंड हो, आपके विभाग को जो चिकित्सा सुविधा उनको मिलनी वह क्या वह पा सके हैं। जबकि हर साल बजट यहां पास होता है और यही सारी चीजें उस समय कही जाती हैं।

[श्री रियासत हुसैन—]

पहले मान्यवर, एक स्लोगन था कि "मच्छर रहेगा, मलेरिया नहीं रहेगा, लेकिन आज इनका कहना है मच्छर को मारना पड़ेगा तब मच्छर जायेगा। मान्यवर, इस सिलसिले में श्री दाऊ दयाल खन्ना जो यहां मंत्री थे तो उन्होंने अपने भाषण में कहा था, "मच्छर मारो उस समय स्कीम चल रही थी डी0 डी0 टी0 से तो उनसे पूछा गया था कि कितने मच्छर मारे गए तो उनकी श्री खन्ना ने संख्या बतलाई थी कि इतने अरब, इतने खरब मच्छर मारे गए। तो यह तो वही कहावत हो गयी कि किसी ने पूछा तेरे सर पर कितने बाल हैं, तो उसने कहा कि इतने अरब, इतने खरब आप गिन लें। उसी तरह उन्होंने कहा था कि इतने मच्छर मार दिए दिए इतने टन डी0 डी0 टी0 से। तो उन्होंने मालूम किया होगा कि एक ग्राम से कितने मच्छर मारे जा सकते हैं तो उसको कालकुलेट कर लिया होगा कि इतने टन डी0 डी0 टी0 छिड़कने से कितने मच्छर मरे और फिर चाहे वह डी0 डी0 टी0 खेत में छिड़क गया हो या नशे में प्रयोग की गयी हो। तो आज जब नशाबंदी समाप्त हो गयी जिससे पीने के बाद जो एक्सीडेन्ट होंगे और इलाज के लिए आयेंगे तो उनका कैसे इलाज होगा और मलेरिया से पीड़ित लोगों तो इलाज की सुविधाएं क्या गांवों में आप दे सके हैं।

तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि जितना जनता का नीचे से नीचा आदमी और जनता के हर वर्ग स्त्री, नवजवान, बच्चा हर एक से इसका सम्पर्क है उतना ही यह विभाग सेवा करने में असफल रहा है। इसके कारण में इस माननीय सदन के हर सदस्य ने हर साल चर्चा में भाग लिया और सुझाव दिए हैं कि क्या चीज होनी चाहिए जिससे इस विभाग को हम प्रभावी और शक्तिशाली बना सकें।

श्रीमन्, एक दफे जो आपका डाइरेक्टरेट है उसमें दस पैसे के जो परचे थे वह तीन साल तक छपते रहे। आठ लाख रुपए के दस पैसे के परचे अनअथाराइज्ड तरीके से पूरे सूबे में बांटे गए। वे आपके जो गवर्नमेन्ट प्रेस हैं उनमें छपे नहीं थे, बुलन्दशहर मालूम नहीं किसी और जगह छपे होंगे। इस तरह से अनअथाराइज्ड तरीके से छापे गए और बांटे गए। तीन साल के बाद जब डाइरेक्टरेट के अन्दर आपस में कुछ रुपए पैसे के बटवारे का झगड़ा चला तो स्कैंडल लाइट में आया। श्रीमन्, आपको ताज्जुब होगा कि इस सदन के 13 एम0 एल0 ए0 ने ज्वाइंट तरीके से उस चीज को उठाया पत्र लिखा डाइरेक्टरेट में उसकी इन्क्वायरी की गई, लेकिन इस बात का पता नहीं चला कि वह पत्र कहां गया। इसी तरीके से एक स्कैंडल बहुत बड़ा आपने पकड़ा है दवा का, ना मालूम कहां-कहां से आई हैं, असली हैं या नकली हैं। यह भी मानते हैं कि न मालूम क्या गहराई है मामले की, गहराई है भी या नहीं। यह तो बतलाना जैसा कहा गया जनहित में नहीं होगा। तो यह स्कैंडल पकड़ा गया है गोरखपुर के अन्दर। जो गोरखपुर में आपके डाक्टर साहब हैं कुष्ठ रोग निवारण के वी0 पी0 ओझा, सेकेटरी 1977 में मामला चला सी0 एम0 ओ0 के विरुद्ध। डा0 जी0 एन0 सक्सेना ने 28, 29 मई, 1979 को खुद इन्क्वायरी की। श्री सक्सेना के विरुद्ध खुद इनक्वायरी चल रही है। एक बड़ा प्रश्न यह है कि कौन सा ऐसा रास्ता होगा कि जो सी0 एम0 ओ0 डी0 सी0 एम0 ओ0, एम0 बी0 बी0 एस0 आफिसर्स हैं, इन सारे लोगों ने जो गड़बड़ घोटाले किए हैं इनकी इनक्वायरी कौन करे। विभाग के अधिकारी इनक्वायरी करें जैसे डाइरेक्टर हैं, डिप्टी डाइरेक्टर हैं, तो वे तो डिपार्टमेन्ट के ही हैं, उन्हीं के द्वारा होती है। टेक्नीकल मामला है। ऐसी भी चीज नहीं है कि सड़क पर से किसी को पकड़ लिया जाय कि चलो सफाखाने में दवाई के बारे में

इनक्वायरी करो, असली है कि नकली है, सप्लाई गलत हुई है या नहीं हुई है। हम से ही आप कहें साहब आपही कर दीजिए लेकिन हम तो यह इनक्वायरी नहीं कर सकते। दवाई क्या है हमें तो इसके बारे में भी डाक्टर से पूछना पड़ता है, गलत तो नहीं है, खाने]की है कि नहीं है। तो टेक्नीकल विभाग होने की वजह से बड़ा एडवान्टेज आपके विभाग को मिल रहा है। अगर किसी भी छोटे डाक्टर की, कोई डाक्टर गांव का ही हो, उसकी शिकायत हो तो उसकी इनक्वायरी कौन करे, उसकी इन्क्वायरी करने के बाद किस निर्णय पर पहुंचे, उसको कैसी सजा मिले और सजा इफैक्टिव कैसे हो, यह बड़ा प्रश्न है। जो डाक्टर है वह कहता है कि साहब मैं सर्विस छोड़ दे रहा हूं, इस्तीफा है, घर बैठ कर प्रैक्टिस करूंगा। ऐसी-ऐसी मिसलें बहुत हैं। डाक्टर का ट्रान्सफर हुआ वह नहीं गया क्योंकि उसकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस चल रही है। यह आपको सोचना पड़ेगा माननीय मंत्री जी कि जिसके विरुद्ध कम्पलेन्ट है उसकी इन्क्वायरी कौन से माध्यम से हो और इन्क्वायरी के बाद उसे कैसे इम्पलीमेंट करें और इम्पलीमेंटेशन के बाद उसका रिप्लेसमेंट कैसे करें। डाक्टर तो सस्पेन्ड कर दिया, या उसने छुट्टी ले ली, रिजाइन कर दिया, पता चला कि जो डिस्पेन्सरी थी वह बिना डाक्टर के ही है। आप किस तरह से रिप्लेस करेंगे। इन सब चीजों की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा।

अब आपकी पद्धति है, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा, आयुर्वेदिक, यूनानी। इसमें दो राय नहीं है कि यह वह इलाज है कि इसमें देर में स्वास्थ्य लाभ होता है लेकिन रोग को जड़ से उखाड़ फेंकता है। पिछले पन्द्रह साल से इस प्रदेश के अंदर किस तरह से इन दोनों पद्धतियों का मटियामेट कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। जो विद्यार्थी लोग आयुर्वेदिक पढ़ते थे, यूनानी मेडिकल कालेज में पढ़ते थे, उनका सारा समय इसी संघर्ष में लगा रहा कि साहब हमारा डायरेक्टरेट है, बोर्ड है, वह समाप्त हो, हमको किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएट किया जाय हमारा किस तरीके से उच्चीकरण हो, हमारी समाज में इज्जत हो। वे जानते हैं कि ये दोनों पद्धतियां ज्यादा अच्छी हैं एलोपैथिक डाक्टर की यूनानी तथा आयुर्वेदिक डाक्टर के मुकाबले ज्यादा इज्जत मिलती है। आपको यह विचार करना होगा कि कौन सा तरीका ऐसा निकले जिससे समाज में उनकी इज्जत बढ़े, इन दोनों पद्धतियों की ओर लोग आकर्षित हों और लोग यूनानी तथा आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज कराने लगें। यह बहुत मुश्किल काम है और आपको इसका काफी अनुभव भी है। इन दोनों को आगे करने के लिए बड़ा सोच विचार करना होगा। वैसे यह बड़ा नाजुक मुहकमा है। अगर इस मुहकमे को क्रिटसाइज करें अथवा नर्सों से जा कर कहें कि तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है तो पता नहीं कि कल से उस नर्स का व्यवहार अच्छा हो जायगा अथवा और बिगड़ जायगा। चेतराम जी गंगवार इसके शिकार हो चुके हैं। बरेली के डाक्टरों का उनके साथ क्या व्यवहार हुआ था उससे वह इतने नाराज हो गये थे कि एक दफा विधान सभा से त्याग-पत्र तक देने को तैयार हो गये थे। हर आदमी जानता है कि डाक्टर का काम डाक्टर ही करेगा। यह नहीं हो सकता कि हम अपने मरीज के अपने आप देख लेंगे। इस विभाग में जो व्यापक भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसे मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है। सन् 62 से मैं इस पर बोलता चला आया हूं और आपको इस पर बताने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं जानते हैं कि दवाइयां कैसे बिकती हैं, हर डाक्टर अलग से अस्पताल कैसे चलाता है। इन बातों को मद्दे नजर रखते हुए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को रखता हूं।

श्री प्रवीन कुमार शर्मा—

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं स्वास्थ्य मंत्री को भी बधाई देता हूं कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, जो इस जन प्रिय सरकार ने बनाई है, उसने क्या-क्या योजनायें बनाई हैं उनको उसने सदन के समक्ष रखा है। जो अनुदान पेश किया गया है और उसपर जो कटौती का प्रस्ताव विरोधी पक्ष ने पेश किया है उसके सम्बन्ध में मैं यह जरूर कहूंगा कि भारतवर्ष में जो पुरानी चिकित्सा प्रणाली रही है उस सम्बन्ध में अगर सुश्रुत और चरक को उठा कर देखें तो हमको देखने को मिलेगा एक जगह यह लिखा हुआ है कि रोगी का ठीक होना या न होना हरि इच्छा पर निर्भर है, अल्लाह ताला के हुक्म पर ही है। जब आदमी ठीक होता है और दवा उतनी कारगर नहीं होती है लेकिन फिर भी जो एक चिकित्सा प्रणाली एलोपैथिक की अपनाई और अपने देश के अन्दर जो पाश्चात्य सभ्यता थी उसको छोड़कर हम इस प्रणाली के ऊपर आधारित होकर चलने लगे। मंत्री जी ने बताया कि केवल इसी से काम नहीं चलेगा बल्कि उन्होंने होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धतियों को भी तरक्की देने की योजना के बारे में कहा जिससे हम अधिक से अधिक रोगियों को सुविधा दे सकें। यह बहुत ही प्रशंसनीय बात है जो हमारी सरकार करने जा रही है। माननीय मंत्री जी ने अभी कुछ चीजों की घोषणा की लेकिन मैं समझता हूं कि वे एक चीज कहना भूल गये जो इस जनप्रिय सरकार ने किया है। वह है कानपुर के अंदर कैंसर यूनिट की स्थापना। वहां पर एक कैंसर अस्पताल खोला जा रहा है। उसपर 6 करोड़ रुपया लागत लगने की सम्भावना की जा रही है। यह बड़ा भारी काम है जो उत्तर प्रदेश सरकार करने जा रही है। मैं इसी के साथ ही यह कहूंगा कि जहां माननीय मंत्री जी ने और इस सरकार ने हमें कैंसर यूनिट खोलने की योजना उपलब्ध करायी है वहां पर अगर किडनी ट्रांसप्लान्ट के लिये भी कोई योजना उनके पास हो तो सदन को बता दें। मान्यवर, किडनी ट्रांसप्लान्ट के लिये यहां लोगों को देश विदेश भटकना पड़ता है और आज यह बीमारी आम बनती जा रही है।

माननीय मंत्री जी ने बताया कि हमारे प्रदेश में शैयाओं की संख्या बढ़ायी जा रही है और जो हमारे पब्लिक हेल्थ सेन्टर्स हैं, उनको अधिक सुविधायें दी जा रही हैं, उनके भवन पक्के बनवाये जा रहे हैं। उन्हें जेनेरेटर की सुविधा हम देने जा रहे हैं। मैं अनुदान की कटौती की मांग करने वाले माननीय सदस्यों से विनम्रतापूर्वक यह जानना चाहूंगा कि वे अपने भाषण में यह सूचना जरूर दें कि तीन साल के जनता शासन काल के अन्तर्गत उन्होंने कितनी शैयायें बढ़ाई, कितने भवन पक्के किये और कितने भवनों को जेनरेटर्स से युक्त किया और भवनों में सीवर लाइन्स की योजना चलाई गई? इन बातों का वे कृपया भाषण में जवाब दे दें।

हमारे एक माननीय सदस्य उठकर चले गये हैं वे डाक्टरों के ट्रांसफर्स के सिलसिले में कह रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि डाक्टरों को उचित सुविधायें नहीं दी जा रही हैं। मैं जनता शासन काल के समय में अपने विधान सभा क्षेत्र के एक कस्बे अनूपशहर की बात उनको बताना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि जनता शासन काल में हमारे यहां मेडिकल आफिसर थे उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया कि इनके जो कार्यकर्ता थे उन्होंने उनको अस्पताल से खींच-खांच कर उनको जहांगीराबाद कस्बे में ले जाकर डाल दिया। मैं समझता हूं कि उस समय मालवीय जी यहां पर स्वास्थ्य मंत्री थे उनको पेश कर दिया गया। उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया वह अकारण था। उनके साथ ऐसा व्यवहार उस समय किया गया जब वे शल्य चिकित्सा में थे और बीमार को टांके लगा रहे थे।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय मंत्री जी जब गोरखपुर गये थे तो आपके एक कार्यकर्ता ने डाक्टर को दौड़ाया था और मंत्री जी के सामने उसे पेश कर दिया था। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे, वे चले गये।

श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

हमारे मन्त्री जी ने बतलाया कि इतने मच्छर मारे गये। तो मैं यहां पर एक नमूना जनता शासन का देना चाहता हूं मच्छर जो हैं वह एक प्रदेश तक सीमित नहीं है वह पूरे भारत वर्ष की समस्या है इधर-उधर से भी चले आते हैं। तो हमारे जनता शासन में दिल्ली में जब राज नारायण जी स्वास्थ्य मन्त्री थे उस समय उन्होंने कहा था दिल्ली में मलेरिया कंट्रोल हो गया है डी0 डी0 टी0 का छिड़काव कर दिया गया है लेकिन यह मच्छर जो हैं दिल्ली के नहीं है यह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से आ गये हैं। तो उनकी यह कार्यप्रणाली थी तो अगर हमारे मन्त्री जी ने कह दिया कि इतने मच्छर मर गये हैं तो उसका कम से कम उन्होंने आगणन तो किया। लेकिन यह कहना कि गाजियाबाद से आ गये हैं यह कितना युक्ति संगत है।

इसके अलावा एक निवेदन और करना चाहता हूं हालांकि इस शासन को आये तीन माह ही हुए हैं लेकिन मैं इसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि बतलाने जा रहा हूं। हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक बलावपुर गांव है वहां पर इसी पिछले महीने में कौलरा की रिपोर्ट हुई। 12 30 बजे मुझे सूचना मिली और 1.30 बजे मैंने पुलिस कप्तान बुलन्दशहर को कहा कि वायरलेस सूचना सी0 एम0 ओ0 को दें। उनको सूचना देने पर तीन घंटे के अन्दर यानी 4.30 बजे वहां कौलरा टीम मौजूद थी और वह टीम लोगों को कौलरा के टीके लगा रही थी। तो मैं बतला रहा हूं कि कितनी जल्दी इस चीज का इंतजाम हुआ (व्यवधान)।

श्री माता प्रसाद पान्डेय--

बस्ती में पांच आदमी मर गये, वहां कुछ नहीं हो रहा है..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य आपस में बात न करें। आपका समय 9 मिनट होगा, 7 मिनट के बजाय।

श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

अन्त में मैं दो सुझाव दे रहा हूं। एक तो यह है कि मन्त्री जी इस बात को जरूर उठायेंगे और प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे, दवाओं में एडल्ट्रशन के लिए कुछ देशों में मृत्यु दंड दिया जाता है, यदि मृत्यु दंड नहीं तो कम से कम कठोर दंड इसके लिए हो इसको वह रखें।

[श्री प्रवीन कुमार शर्मा]

दूसरा सुझाव जैसा मन्त्री जी ने बताया कि सफाई इंस्पेक्टर जो है उनको यह कार्य सौंपने का प्रस्ताव रखा है तो मेरा निवेदन है कि यह बहुत अच्छा रहेगा । इसके साथ ही निवेदन है कि आजकल हृदय रोग हर जगह तेजी से फैल रहा है । इसके लिए हर अस्पताल में एक इंटेंसिव कार्डिक केयर यूनिट की व्यवस्था की जाय जिले के हर हैडक्वार्टर में यह जरूर खोल दें ।

अंत में आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया ।

(श्री कुंवर सिंह नेगी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मसरूर जाफरी--

मैंने भी कटौती प्रस्ताव दिया है । मुझे भी मौका दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने भी दिया है ।

(व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण में छठीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य सुविधायें देने के बारे में बहुत ऊंची उड़ान भरी है । पर ऐसा लगता है, जिस गति से यह सरकार चल रही है, जिस गति से बजट इतने लम्बे समय में पास किया जा रहा है, उससे ऐसा लगता है कि इस लम्बी मंजिल तक पहुंचने में यह नाकामयाब रहेंगे और यह शेखचिल्ली वाली बात ही रह जाएगी ।

श्री अध्यक्ष--

आप कामना तो कीजिए ।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

हमारे पर्वतीय जिले में अक्सर यह होता है कि 30 मार्च के दौरान शासन से अनुमति जाती है जिला अस्पतालों को कि इतनी दवाएं खरीद लीजिए, भवन के लिए इतना बजट है-उसको इस्तेमाल कर लीजिए और गाड़ी खरीद लीजिए-इसके लिए इतने पैसे का बजट है । एक दिन के अन्दर यह सब काम होना है । इसलिए जो बजट यहां से जाता है उसका सही उपयोग नहीं हो पाता है । स्वास्थ्य मन्त्री जी ने बताया है कि जो चिकित्सक अपनी नियुक्ति के स्थान पर ड्यूटी पर नहीं जाएंगे, उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी । हमारे जनपद चमोली में, जैसा कि मन्त्री जी को पता है, 32 अस्पताल ऐसे हैं, जिनमें चिकित्सक नहीं हैं तथा कुछ ऐसे अस्पताल भी हैं, जो जब से खुले हैं उन्होंने डाक्टरों का दर्शन ही नहीं किया है । वहां दिक्कत यह है कि मैदानी क्षेत्र से जो डाक्टर नियुक्ति पा कर जाते हैं, वहां की परिस्थिति उनके अनुकूल नहीं होती है, इसलिए वे वहां रहना पसन्द नहीं करते । इसलिए मैंने शासन से निवेदन किया था कि वहां पर वहीं के डाक्टरों की आवश्यक रूप से नियुक्ति की जाए और हिल-कैडर के बारे में उनसे अनुरोध किया था । मन्त्री जी को यह भी पता होगा कि सीमान्त जिले के छात्रों को डाक्टरी शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है, जिसमें उनके साथ यह अनुबन्ध होता है कि जब वह डाक्टरी कोर्स पास कर लेंगे, तो जरूरी रूप से इतने वर्ष उत्तर प्रदेश में सेवा करेंगे । आज हमारे सीमान्त

जनपद में कितने ही डाक्टर ऐसे पड़े हैं जिन्हें न तो अबतक प्रदेश में नौकरी मिली है और न अनुबन्ध में बंधे रहने के कारण दूसरी जगह सेवा हेतु जा सकते हैं। आप भी उनको नौकरी नहीं दे रहे हैं और वहां पर डाक्टरों के बिना अस्पताल खाली पड़े हैं। इसलिए....

श्री लोकपति—

ऐसे डाक्टरों की लिस्ट आपके पास हो तो दे दें, उनकी नियुक्ति कर दी जाएगी।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में मन्त्री जी ने कहा है कि आयुर्वेदिक और एलोपैथी दोनों को वे समान दर्जा देना चाहते हैं। मेरे जिले में जिला आयुर्वेदिक अधिकारी हैं उनको ऐसी किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं हैं जो सी0 एम0 ओ0 को प्राप्त हैं, हमारे जिले चमोली में एक जिला आयुर्वेदिक अस्पताल की काफी समय से मांग है, लेकिन इस सम्बन्ध में अभी तक कुछ नहीं किया गया है। मेरा मन्त्री जी से निवेदन है कि चमोली जिला आयुर्वेदिक दवाओं के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पर इस हेतु जड़ी-बूटियां और औषधियां प्रचुर मात्रा में हैं। वहां की जनता की काफी समय से सरकार से मांग है कि सरकार वहां पर एक आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोले ताकि वहां पर इस प्रकार की शिक्षा पर्वतीय आंचल के लड़कों को मिल सके। इस सम्बन्ध में वहां के लोगों का काफी समय से सरकार से अनुरोध है कि उत्तराखंड विद्यापीठ में एक महाविद्यालय स्थापित कराया जाय। वहां पर पर्याप्त भवन भी हैं, वहां पर आयुर्वेद की रसायनशाला भी है और जड़ी बूटियों से दवाइयां भी बनायी जा सकती हैं। मेरी मन्त्री जी से प्रार्थना है कि इसी पंचवर्षीय योजना में वहां पर एक महाविद्यालय की स्थापना करायी जाय।

अभी मन्त्री जी ने कहा कि सनिटरी इन्सपेक्टर्स फूड एडल्ट्रेशन के बारे में चालान नहीं करेंगे लेकिन मेरा निवेदन है कि यदि इस मामले में सख्ती नहीं की जाती है तो इस पर हम कन्ट्रोल नहीं कर पायेंगे। यदि आप एडल्ट्रेशन को चेक करने में कुछ कामयाबी चाहते हैं तो इसमें जो अभियोजन का कार्य है, प्रोसिक्युशन कराने का कार्य है, वह भी इन्हीं लोगों को करना पड़ता है, जिसका इन्हें पर्याप्त ज्ञान नहीं होता है। आपको इस कार्य के लिए एक अलग से एजेन्सी कायम करनी चाहिए ताकि प्रोसीक्युशन का काम ठीक ढंग से चल सके। इस सम्बन्ध में मेरा यह भी सुझाव है कि जो प्रिवेन्शन आफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है, इसमें कुछ इस तरह के परिवर्तन किए जायं जिससे वह सख्ती से लागू हो सके और जुर्म करने वाले छूट न सकें।

मलेरिया के बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि हमारे जनपद चमोली में, एक मलेरिया आफिसर है। जब उनसे वहां पर डी0 डी0 टी0 छिड़कवाने के लिए कहा जाता है तो वे कह देते हैं कि जबतक उनके पास 5 केसेज की रिपोर्ट नहीं आयेगी, तब तक वे डी0 डी0 टी0 का छिड़काव नहीं करा पायेंगे और जो डी0डी0टी0 वहां पर भेजी जाती है वह बन्द की बन्द ही रह जाती है। में ीजें उचित नहीं हैं।

[श्री कुंवर सिंह नेगी—]

इनके अलावा मेरा यह भी निवेदन है कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र में अस्पताल एवं मातृ शिशु कल्याण सेन्टर्स की अधिक से अधिक स्थापना कर दी जाय।

श्री मुईद अहमद—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं अपने स्वास्थ्य मन्त्री जी को भी बधाई देता हूं कि स्वास्थ्य विभाग में जो-जो कमियां थीं और जो बातें थीं, उन सब को खुले हृदय से इस सदन के सम्मुख रखीं। दर असल में इन्सान के लिए स्वास्थ्य ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है और हम सब जानते हैं कि अगर आदमी स्वस्थ्य नहीं रहेगा तो सब कुछ खो देगा। कहावत भी है कि "साउन्ड माइंड इन साउन्ड हेल्थ"। लेकिन हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि स्वास्थ्य विभाग में बहुत सी कमियां हैं।

(इस समय 1 बजकर 13 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

जिसके कारण जो तरक्की होनी चाहिये विभाग में वह नहीं हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपने भाषण में यह भी बताया कि जिस प्रदेश की जनसंख्या 11 करोड़ से बढ़कर और अधिक हो रही है, वहां पर अभी तक केवल 38,000 शइयायें हैं जो आबादी को देखते हुए बहुत ही कम हैं और उनको बढ़ाने की जरूरत है। हमारे जनपद सुल्तानपुर में आज से 40-50 साल पहले जो बेड्स की संख्या थी उसको आज तक नहीं बढ़ाया गया है। उस चिकित्सालय में विभाग तो थोड़े से खोले गये हैं, पर बेड्स नहीं बढ़े हैं और उनके न बढ़ने से डाक्टरों को भी परेशानी होती है, मरीज अस्वस्थ होते हुये भी अस्पताल से रिलीव कर दिये जाते हैं। जहां आप अस्पताल खोल रहे हैं वहां पुराने अस्पतालों में बेड्स की संख्या भी बढ़ायी जाये। दवाओं का प्रबन्ध भी ठीक से किया जाये। आज रोगी को बड़ी मुश्किल से मामूली टैब्लेट और लोशन मिल जाता है, अच्छी दवा उसे मिलती ही नहीं है।

अच्छे-अच्छे डाक्टर गांवों में जाना नहीं चाहते, यह बात बड़ी ही सोचनीय है। मंत्री जी का इस ओर इशारा भी था। क्या प्रीवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट उन पर लागू नहीं हो सकता? यह कैसे हो सकता है कि डाक्टर की इच्छा के अनुकूल ही उसे जगह मिले। उनका काम ऐसा है कि दूसरा नहीं कर सकता, इसलिए उनका दृष्टिकोण मानवता वाला होना चाहिये।

डाक्टरों में भ्रष्टाचार भी बढ़ गया है, इस ओर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये। मैं एक उदाहरण सुल्तानपुर का दे रहा हूं, वहां पर एक लड़की ने आत्महत्या कर ली या ससुराल वालों ने या तो उसे जान से मार डाला, यह बात निर्विवाद सत्य है, कि वह जल कर मरी। डाक्टर ने पोस्टमार्टम में उसे लिख दिया कि मृत्यु का कारण अज्ञात है। यह स्थिति ऐसी है कि मजबूर करती है, यह सोचने के लिये कि उनके खिलाफ भी कोई ऐक्शन हो।

पहले डी0 डी0 टी0 का छिड़काव होता था तो एक-एक हफ्ते तक उसकी दुर्गन्ध आती थी या गन्ध आती थी, आज यह हालत है कि अभी दवा छिड़की जाती है, उसमें कोई गन्ध नहीं आती। इसलिए मच्छर आदि कोई मर नहीं पाते।

एक बात विद्युत के बारे में कहना चाहता हूं। जेनरेटर्स लगाने की बात कही गयी यह बहुत सुन्दर बात है। किन्तु विद्युत विभाग को भी ऐसे आदेश जाने चाहिये कि अस्पतालों में बिजली बराबर दी जाये। चाहे इमरजेन्सी हो, चाहे कुछ हो, वहां बिजली नहीं कटना चाहिये। बिजली चले जाने से उस मरीज का तो दम ही निकल जाता है जो अपरेशन थियेटर में होता है और जिसका आपरेशन हो रहा होता है।

यह बात सही है कि एलोपैथिक दवा जल्दी असर करती है पर मर्ज की जड़ खत्म करने की शक्ति यूनानी और आयुर्वेदिक दवाओं में ही होती है। किन्तु सरकार का ध्यान इन अस्पतालों की ओर नहीं रहा है। यह अस्पताल नेग्लेक्टेड रहे हैं। आज जो यूनानी चिकित्सालय चलाये जा रहे हैं वे प्राइवेट कमेटियों द्वारा चलाये जा रहे हैं जिनकी कार्य पद्धति बड़ी ही दोषपूर्ण है। अच्छे किस्म के यूनानी डाक्टर लोग बाहर हैं और अन्दर कई प्राइवेट कमेटियों के द्वारा गन्दे से गन्दे किस्म के लोग उनको चला रहे हैं। मेरा सरकार से यह निवेदन होगा कि यूनानी हास्पिटल्स को प्राविंशिलाइज किया जाय। जैसे लखनऊ का यूनानी कालेज जो है, अब इसमें कुछ सुधार हो रहा है, लेकिन जितने यूनानी कालेज हैं उन्हें प्राविंशिलाइज करना अत्यन्त आवश्यक है। इसके साथ मैं पुनः धन्यवाद देता हूं जो मुझे बोलने का अवसर मिला है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री के अनुदान का समर्थन करता हूं।

* श्री गोरी शंकर एडवोकेट--

मान्यवरें, मैं आपका बहुत आभारी हूं जो मुझे आपने बोलने का अवसर दिया। श्रीमन् स्वास्थ्य मंत्री जी एक काबिल मंत्री हैं इसमें तो कोई दो राय है नहीं और पुराने भी हैं अनुभवी भी हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि कुछ बिन्दुओं पर उनका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करूं। श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी के इस बजट में जो कमियां हैं, उनके विषय में तो कुछ कहना ही चाहूंगा, लेकिन साथ ही साथ में चाहूंगा कि मूल सुझाव भी दे सकूं ताकि इस विभाग में उन्हें कुछ कर सकने का मौका मिले। उत्तर प्रदेश में 100 करोड़ की दवाइयों की खपत है और 100 करोड़ दवाइयों में से 8 करोड़ की दवाइयां हमारे उत्तर प्रदेश की यूनिट ही बनती हैं, शेष 92 करोड़ की दवाइयां दूसरे प्रदेश से आती हैं। तो आपके बजट में मुझे कोई एसी चीज दिखायी नहीं पड़ी कि आपने इस पर प्रकाश डाला हो कि जो 92 करोड़ की दवाइयां बाहर से आती हैं, इस पर आपने कोई प्रकाश नहीं डाला है। मैं चाहूंगा कि यह जो हमारा प्रदेश 92 करोड़ की दवाइयां दूसरे प्रदेश से खरीदता है, इसके लिए हमारी धनराशि दूसरे प्रदेश को न जाय और अपने प्रदेश में ही इसके लिये बढ़ावा दें। श्रीमन् ऐसी बात नहीं है कि केवल 8 करोड़ की ही औषधि हमारे प्रदेश में बन सकती है, बल्कि विभाग इस विषय में कोई चिन्ता ही नहीं करता, बढ़ावा देने की बात तो दूर रही, बल्कि रोड़ा अटकता है। हमारे प्रदेश में ऐसी यूनिट जो हैं उनको केवल 5 घंटे बिजली मिलती है जोकि आपकी जीवन औषधि हैं जैसे गुलूकोज है, जब तक इसको 8 घंटे बिजली न मिले, तो वह गुलूकोज का पाउडर बेकार हो जायेगा। इसके लिये ज्यादा से ज्यादा बिजली मिले, इसके लिये आपका प्रयास होना चाहिये। ड्रग लाइसेन्स देने के लिये आपका यहां पर एक पेनल बना हुआ है, लेकिन उस पेनल की मीटिंग जो एक-एक महीने में हो जानी चाहिये, वह मीटिंग 3-3 महीने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गौरी शंकर एडवोकेट]

तक नहीं होती है । इस पर आपका श्रीमन् ध्यान जाना चाहिये । दवाइयों की जो नई फैक्टरियां हैं, उनको न तो कोई सुविधायें मिलती हैं और न विभाग के पास कोई तकनीकी सलाह के लिए ही कोई प्राविधान है । उल्टे प्रदेश की आबोहवा के मुताबिक नौकरशाही जितने रोड़े अटका सकती है, अटकाती है । जब कि सच्चाई यह है कि इस व्यापार और सारे चिकित्सा विभाग पर मल्टी नेशनल पूंजीवादी कम्पनियों का शिकंजा कड़ा है । विभाग में लघुउद्योग को बढ़ावा देकर रोजगार को साधन उपलब्ध कराने की न दूरदर्शिता है और न प्रदेश के उद्योगीकरण के लिए कोई उत्साह ही दिखाई पड़ता है ।

श्री लोकपति--

हमारे पास उद्योग विभाग नहीं है ।

श्री गौरी शंकर, एडवोकेट--

जी हां, दवाओं से सम्बन्धित जितने भी छोटे-उद्योग हैं, उनकी ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिए । मल्टीनेशनल बड़ी पूंजी वाली कम्पनियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने एक अनोखा नियम बना रखा है कि नई यूनिट की दवाएं दो वर्ष तक विभाग नहीं खरीदेगा । सहज ज्ञान की बात तो यह है कि प्रारम्भ में हर व्यापार को उभरने की लिए कुछ प्रोत्साहन की जरूरत होती है, किन्तु उत्तर प्रदेश की उल्टा प्रदेश भी कुछ लोग ठीक ही कहते हैं । फिर इस सरकार को मैं क्या कहूं । मान्यवर, भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र में चार औषधि बनाने की कम्पनियां हैं । (1) आई० डी० पी० एल०, (2) हिंदुस्तान एंटी बाइटिक, (3) बंगाल इम्युनिटी और 4 स्मिथ स्टैन्डर्ड । जिनमें से केवल एक आई० डी० पी० एल० हमारे प्रदेश में है और....

श्री लोकपति--

हमारे इस प्रदेश में एक यू० पी० डी० एल० भी है ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

होगी, शेष 3 अन्य प्रदेशों में हैं । और शासन सार्वजनिक क्षेत्र में स्वंय कुछ युनिटों के निर्माण की योजना बना रहा है या नहीं बजट में इस पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है । और साथ ही गरीब जनता का शोषण भी इन सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा भी हो रहा है । जो ऐस्प्रीन की टैब्लेट्स आई० डी० पी० एल० 23 हजार रुपए में बेचता है उसी क्वालिटी की टैब्लेट्स मेडीकल कालेज, लखनऊ में लखनऊ की ही एक कम्पनी 13 हजार रु० में सप्लाई करती है । तो इस तरह मान्यवर, एक ओर तो औषधालयों में दवाइयों की कमी और गरीब मरीजों की बेबसी और दूसरी ओर सरकारी और बड़ी कम्पनियों की लूट खुलेआम हो रही है । इसे शासन कैसे रोकेगा इस पर कोई सोच-विचार इस नजर में तो मुझे नहीं दिखाई देता है । इन 8 करोड़ की दवाइयां बनाने वाली युनिटों में लगभग 15 हजार आदमी रोजगार पाए हुये हैं और यदि इन 92 करोड़ की दवाइयां प्रदेश में और बनने लगें तो इस प्रकार 1 लाख 65 हजार व्यक्ति रोजगार और पा सकते हैं ।

"बड़ा शोर सुनते थे, पहलू में जिनका,
जब चीरा तो एक कतरा-ए-खूं न निकला ।"

भ्रष्टाचार को जो विभागों में आज हर जगह व्याप्त है । इस पर बड़ी चर्चा सुनी, बड़ी पब्लिसिटी इस ओर आल इन्डिया रेडियो द्वारा कराई गयी, बड़ा अखबारों ने भी शोर मचाया कि सरकार द्वारा भ्रष्टाचार मिटाया जा रहा है । पर जब देखने में आया तो पता यह चला कि केवल 5 जिलों में ही छापा मारा गया । 15 अगस्त को आपकी तकरीर सुनी तो मने समझा कि अब शायद भ्रष्टाचार का अन्त ही होकर रहेगा । लेकिन इन 5 जिलों में छापा मारे जाने से पता चला कि कुछ नहीं होना है । आपके प्रदेश में तो 57 जिले हैं, उन सब में क्यों नहीं छापे मारे गये दो साल से कोई रेट कान्ट्रेक्ट नहीं हुआ । लास्ट टेन्डर अप्रैल, 79 में मांगा गया था और सवा साल में यह अब तक तय नहीं हो पाया है । वह इफिशियेन्सी है शासन की । बजट तो आज पास हो जायेगा लेकिन जिलों में यह मार्च, 81 तक ही पहुंचेगा जब कि इसे सितम्बर और हद से अक्टूबर तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होगा, 2 प्रतिशत देकर बजट खरीद लिया जायेगा । जब कि आज महाराष्ट्र पूरे प्रदेश की आवश्यकता का 50 प्रतिशत डिमान्ड पूरी करता है अकेले और उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है जिसे देश का दिल कहा जाता है उसकी हालत यह है कि अगर भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं तो जो यह 2 परसेंट है इसको समाप्त करिये । जो करप्ट है उसको पकड़िये । मात्र 5 जिलों में छापा मार कर कोई कीर्तिमान स्थापित कर लिया है तो कम से कम मैं तो इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं । जो ऊंची-गद्दियों पर बड़ी-बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुये अधिकारी हैं अपने पावर का इस्तेमाल करके, जिनसे उनकी कमीशन की धनराशि नहीं मिली, नाराज हैं उनको पकड़ने के लिये मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को बुलाते हैं और मुख्य मन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्री के बयान आते हैं और छापा डाला जाता है ।

श्री लोकपति--

माननीय सदस्य ने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है यह आपत्ति-जनक है ।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर, एडवोकेट--

"हमारी सदा को दबाना तो खैर मुमकिन है,
मगर हयात की तलवार कौन रोकेगा,
फसीले आतसो आहन बहुत बुलन्द सही,
बदलते वक्त की रफतार कौन रोकेगा,
नए ख्याल की परवाज रोकने वालों,
नए अवाम की तलवार कौन रोकेगा ।"

अब आप बोलें ।

श्री लोकपति--

उपाध्यक्ष जी, इन्होंने कहा कि जो 5 जगहों पर छापे पड़े हैं वह इसलिये पड़े कि ऊंचे-ऊंचे अधिकारियों, और मन्त्री को धन नहीं मिला । इसको वापस लें यह असंसदीय है, यह आरोप है ।

श्री गौरी शंकर, एडवोकेट--

मैंने कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं किया है । ऐसी परिस्थिति में 57 जिलों में से 5 जिलों में छापे पड़े इससे आपकी मंशा जाहिर होती है । 57 जिलों में छापा पड़ा होता तो आपकी नियत साफ हो जाती । मैंने मंशा की बात की है ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं देख लूंगा, आपत्तिजनक होगा तो हटा दूंगा ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के विषय के इस बजट के अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मन्त्री को बधाई देना चाहूंगा कि कम से कम प्रदेश के अन्दर उनके मन्त्रित्वकाल में एक बहुत बड़े घुटाले का पर्दाफाश हुआ । मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि सन् 1974 में इसी सदन में मैंने सदन का ध्यान आकृष्ट किया था कि करोड़ों रुपया की दवाओं की खरीद होती है, सी0 एम0 एस0 डी0 में करोड़ों का घोटाला है । उसके बाद के वर्षों में भी जब मैं इधर था या उधर था श्रीमन्, मैंने शासन का ध्यान आकृष्ट किया लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं की गई । यह पहली बार वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री के कार्यकाल में एक बहुत बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ, उनके प्रयास के द्वारा । वह बधाई के पात्र हैं ।

श्रीमन् मैं जानता हूं कि मेरे प्रदेश में करोड़ों रुपयों की दवाओं की खरीद होती है उसमें कुछ प्रतिशत सेन्ट्रल मेडिकल स्टोर्स (सी0 एम0 एस0 डी0) कमेटी के द्वारा की जाती है । यह दुर्भाग्य का विषय रहा है श्रीमन् कि कुछ शक्तिशाली लोग उसमें निजी फायदा उठाते थे । दवाओं की वास्तविक निर्माताओं से खरीद की जानी चाहिये थी किन्तु उनसे न खरीद कर उन लोगों के द्वारा खरीद की गई जो मिडिल मैन थे, जो बिचौलिये थे ।

जो दवाएं बनाते नहीं, दवा बनाने वालों से खरीद कर अपना कमीशन लेकर शासन को बेच देते थे और उसमें अनाप-शनाप फायदा उठाते थे । वह इतनी शक्तिशाली लाबी थी, वह इतनी हावी थी विभाग के ऊपर कि जिस सी0 एम0 ओ0 का चाहे जहां ट्रांस्फर करवा दें, जिस ज्वाइंट डाइरेक्टर का चाहे जहां ट्रांस्फर करवा दें और ट्रांस्फर करवाने के बाद जिले में उसके माध्यम से लाखों रुपये की दवाओं की खरीद करवाते थे और अपनी दवाएं बेचते थे । अभी कई सी0 एम0 ओ0 और कई ज्वाइंट डाइरेक्टर का निलम्बन हुआ । अगर उन सब का इतिहास उठा कर देखें तो वह लोग थे जो पोस्टिंग और स्थानान्तरण डायरेक्टर और सेक्रेटरिएट में बैठ कर अपने मन माफिक स्थानों पर करवाते थे ।

(व्यवधान)

आपके जमाने की बात कर रहा हूं । आप बड़ी जल्दी भूल गये । हमें उसका प्रायश्चित करना पड़ रहा है । तो श्रीमन्, यह पहली बार फैसला किया

गया और उसमें सतर्कता विभाग द्वारा जांच जारी है। उसमें बहुत से अन्य तथ्य भी सामने आयेंगे। इस विषय में आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो दवाओं की खरीददारी होती है उसमें, सेंट्रल परचेज कमेटी का पुनर्गठन करना बहुत जरूरी है। कुछ डाइरेक्टरेट के लोग हैं जो पी0 एम0 ओ0 कहलाते हैं, केवल एम0 बी0 बी0 एस0 पास हैं, जो मेडिकल कालेज के लिए दवाएं खरीदते हैं जहां पढ़ाई और रिसर्च होती हैं, जहां विशिष्ट सेवाएं दी जाती हैं। दवा वह खरीदते हैं जिनको ज्ञान नहीं है उस क्षेत्र का और दूसरे विभागों के, डायरेक्टरेट के लोग हैं, कुछ प्रिंसिपल हैं मेडिकल कालेज के। वह कभी उस कमेटी की मीटिंग में नहीं आते। कभी-कभी उनके प्रतिनिधि आ जाते हैं। पांच सात लोग बैठ कर करोड़ों की दवाइयां खरीदते हैं। उसका पुनर्गठन आवश्यक है। उसमें ऐसे लोग लिये जायं जो विशेषज्ञ हों जिनकी उस क्षेत्र में जानकारी हो कि कौन दवाएं इस्तेमाल होती हैं। उसमें आम जनता के बीच जो वरिष्ठ डाक्टर हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र के हों, उनको भी शामिल किया जाय। इसके साथ-साथ श्रीमन्, जो पब्लिक अंडरटेकिंग हैं, मन्त्री जी ने फरमाया कि उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लेकिन उसके साथ-साथ में यह भी अनुरोध करूंगा कि जब हम दवाएं खरीदते हैं तो पब्लिक अन्डरटेकिंग्स को कम्पटीशन के रूप में, बिजिनेस मैन के रूप में आना चाहिए। जो छोटी-छोटी फर्में हैं, जब टेंडर मांगते हैं, तो उनसे भी मांगे जायं। मुझे याद है कि जो भारत सरकार की पब्लिक अंडरटेकिंग (आई0 डी0 पी0 एल0) दवाएं देती है उनके रेट भिन्न होते हैं जो प्रदेश की सरकार को देती है। भारत सरकार को टण्डर देते हैं लेकिन हमारे यहां बिना टण्डर के दवाएं ली जाती हैं। मैं चाहूंगा, यह असंगति दूर होनी चाहिए। उनको एक कम्पेटीटर के रूप में आना चाहिए। जो फर्म हैं वह सामने आएं उनसे बात करके, उनके रेट को कम करें। 15-20 परसेंट ज्यादा कीमत चली जाती है। उसमें एक और शर्त होनी चाहिए क्वालिटी कंट्रोल की, चाहे आई0 डी0 पी0 एल0 हो, चाहे मेरठ या दिल्ली की फर्म दवाएं बनाने वाली हो, हर कन्साइनमेंट की सैम्पिलिंग और एनालिसिस होनी चाहिए। अगर दवा सब-स्टैण्डर्ड निकले तो कम से कम पांच साल के लिए ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। मेरी जानकारी में है कि आई0 डी0 पी0 एल0 एक दवा बनाती है औस्सीटैट्रा साइक्लीन इंजेक्शन बड़ा हल्ला हुआ, सबस्टैन्डर्ड साबित हुई, लेकिन उसके खिलाफ आज-तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। आज भी वह दवा चल रही है, आज भी उसकी खरीदारी की जा रही है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको कण्ट्रोल करना बहुत आवश्यक है। रेट कन्ट्रोल बहुत आवश्यक है और करता कौन है डाइरेक्टर इण्डस्ट्रीज, जिनको जानकारी नहीं है दवाओं की। मैं अनुरोध करूंगा कि इस कार्य को मेडिकल डाइरेक्टर को करना चाहिए। वे रेट कन्ट्रैक्ट करें उन फर्मों, दवा बनाने वालों से। अस्पताल में श्रीमन् जो दवाएं हम हास्पिटल यूज के लिए खरीदें उन सब के ऊपर लेबिल लगा हो "यू0पी0 गवर्नमेन्ट की सेवा के लिए", या 'भारत सरकार की सेवा के लिए' या उनका रंग अलग हो जो आम बाजार में मिलते हैं उनके रंग से भिन्न हो। ताकि जब वे बाजार में बिकने के लिए जायें तो मालूम हो जाये कि वह नम्बर 2 की दवा है। (लाल बत्ती जलने पर) नहीं श्रीमन् मुझे 2 मिनट का समय और दें, वर्षों डाक्टर होने की वजह से मैं ज्यादा प्रकाश डाल सकूंगा। श्रीमन्,

[डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल---]

एक बात मैं और अनुरोध करना चाहूंगा कि मार्च में जो एलोकेशन धनराशि का करते हैं उसके जरिये 30-31 मार्च को लाखों रुपया बांट देते हैं। आगरा के अन्दर ढाई लाख रुपया मरीजों के भोजन के लिए दे दिया। अब श्रीमन् एक दिन में कैसे खर्च कर सकते हैं। श्रीमन् 10 परसेन्ट मरीजों को अस्पताल खाना देता है और 31 मार्च को ढाई लाख रुपया दे दिया। अच्छा होता किसी अनाथालय को दे देते। श्रीमन् यह परम्परा समाप्त करनी होगी। मैं चाहता हूं कि कम से कम एक माह पहले जितना भी रिक्वायरमेन्ट हो वह ले लें हर जिले के सी0 एम0 ओ0 से। उसके बाद पैसा बांट दें।

अब श्रीमन् मेडिकल एजूकेशन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। श्रीमन् आज जो मेडिकल कालेजों का स्तर है डाक्टरों का बहुत ही निम्नस्तर का है और उसके लिए मैं किसी एक को दोषी नहीं ठहरा सकता, वह न्याय संगत नहीं होगा। ब्रिटेन में भी श्रीमन् जितने भी मेडिकल कालेज थे वह हेल्थ मिनिस्टरी के अन्दर आते थे। 1944 में ब्रिटेन में एक "फूड एनफ कमेटी" का निर्माण किया गया और उसने संस्तुति की कि जितने भी मेडिकल कालेज है वे युनिवर्सिटी के अन्तर्गत कर दिये जायें। यही अमेरिका में है, यही लखनऊ में है। और आज आप उनके स्तर को देखें। अतः श्रीमन् अगर आप वास्तव में स्टैन्डर्ड उठाना चाहते हैं तो इन मेडिकल कालेजों को युनिवर्सिटी के अन्तर्गत करना होगा। इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को धन्धे से लगा दिया श्रीमन् और उसने जो घोटाला हुआ, वह "ऐड किट" होता है वह खरीदा गया श्रीमन् जिसमें एक बक्सा दिया और दवाइयां 50 रुपये की रख दी। जिस कम्पनी ने सप्लाई किया दवा बनाने का लाइसेन्स नहीं था। अगर आज ड्रग इन्सपेक्टर जाये पकड़े तो किसको पकड़े। बड़े अधिकारियों के खिलाफ कुछ कह नहीं सकता, नहीं तो वह खुद ही साफ हो जायेगा। जी0 एस0 एस0 टी0 डी0 सी0 देहली से खरीदा गया करोड़ों रुपये में ....

श्री उपाध्यक्ष--

आप का समय हो गया।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

दो मिनट और लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आपका समय समाप्त हो गया।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

एक मिनट मान्यवर।

आगरे के अन्दर मेडिकल कालेज में जो एमरजन्सी वार्ड है, कबूतरखाना है। अच्छा-भला आदमी जा नहीं सकता।

(शोर)

हमारा आप से निवेदन है कि 100 पलंग का इमरजेन्सी हास्पिटल आगरे के अन्दर बनायें लेडी लायल में जगह मौजूद है। फैकल्टीज की आकस्मिक चिकित्सा की व्यवस्था हो, जहां अच्छा माहौल हो, ठीक होने के बाद उसे अस्पताल में भेज दें। इसमें एक्सरे मशीन हो आपरेशन थ्येटर हो आदि।

एक सदस्य--

एक मिनट हो गया।

(शोर)

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री चेतराम गंगवार--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मान्यवर, मैं आप का आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस विभाग में जो चिकित्सालय हैं, वहां पर जो डाक्टर्स और नर्सेज रहते हैं, वहां का जो स्टाफ है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है मरीजों से, लोगों से, चाहे जनप्रतिनिधि हों वह भी उसमें सम्मिलित हैं। मान्यवर, मैं आपका ध्यान आपकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आप ऐसे परिवार से हैं कि तीसियों वर्षों से आप शासन में हैं। जब भी कोई विधायक आपके पास जाता रहा है आपका व्यवहार अत्यन्त सराहनीय रहा है। मैं इससे आगे बढ़कर कहना चाहता हूं मंत्रिपरिषद् में जितने व्यक्ति हैं उन सबसे श्रेष्ठतम व्यक्ति हैं फिर भी आपके अन्दर अहम नहीं है। छोटे से छोटे डाक्टर के पास जायें तो उसका भी व्यवहार ठीक नहीं है। मेरे यहां की इन्ट्रीग्रेटेड डिस्पेन्सरी है। वहां पांच हजार की दवा मिलती है वहां पिछले दो सालों से डाक्टर नहीं है। मुकर्जी साहब देख आये, रहने की व्यवस्था है वहां, मगर एक दिन भी कोई डाक्टर नहीं रहता। इकबाल अहमद एक वार्ड ब्वाय है। मैंने ही उसे रखवाया है। लोग उसे इकबाल अहमद उर्फ डाक्टर साहब कहते हैं। वहां और दो चपरासी रहते हैं। मेहरोत्रा जी कोई 2-3 महीने पहले दो दफा हो आये। ज्वाइनिंग रिपोर्ट दे दिया, एक दफा भी वहां नहीं मिलते। प्राइवेट में दिखाओ 50 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। डाक्टर कृष्णवीर सिंह जी कौशल के पास जाओ रुपये ले लेंगे। बरेली की चिकित्सा की बात कहना चाहता हूं। सन् 72 में मो0 शफीक साहब बैठा करते थे, चौधरी साहब के राइट हैण्ड थे। मान्यवर, मौलाना सफीना अपने भतीजे को देखने अस्पताल गये थे। उनको डाक्टर ने पिटवाया। वे बलरामपुर अस्पताल में भर्ती रहे और एक दिन भी सेशन अटेन्ड नहीं कर सके। इसी तरह से और जौहर शास्त्री एक पात्र थे, उनको गुप्ता डाक्टर ने पिटवाया। वहां पर इसी को लेकर 4-5 दिन स्ट्राइक रही। लेकिन डाक्टर गुप्ता नहीं रहे। मान्यवर, मन्त्रि परिषद् में जब मैं या तो तीसरी बार एक आदमी को दवा लेने के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को अस्पताल गया। यह तीसरा इत्फाक था हास्पिटल में जाने का। मान्यवर, वहां मुझको करीब डेड़/दो सौ आदमियों से पिटवाया गया। एक कुमारी जो वहां पर नर्स हैं। बरेली डिस्ट्रिक हास्पिटल का मसला है। डाक्टर ने कुमारी नर्स को रेप करना चाहा। उसके कपड़े फाड़ दिये, उसके सीने को मसला और सारे कुकर्म किये और आज तक उसने ज्वाइन नहीं किया। बरेली डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में हड़ताल भी हुयी तो यह हालत है आपके अस्पतालों की।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चेतराम गंगवार--]

जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैंने कोई शिकायत नहीं की । माननीय मंत्री जी ने कहा कि लिखकर दे दिया । लेकिन मैं लिखकर देना चाहता हूं । मैं आज लिखकर दे दूं और दस बार हाथ जोड़ने जाऊं कि नहीं हुआ । जितने डाक्टर साहबान हैं- चाहे पुग्हानी जी हो, तोमर हों या चड्डा हों, सभी अपने क्लीनिक चला रहे हैं । 35-सिविल लाइन में वर्षा क्लीनिक चलती थी । इसी तरह से डाक्टर चड्ढा अपना क्लीनिक चला रहे हैं । डाक्टर उप्पल हैं । उन्होंने कहा कि हमें यह फक्र हासिल है कि हमने 7 मुख्य मंत्रियों को बदलवा दिया । वह एक आर्थोपोडिक्स सर्जन हैं । माननीय मंत्री जी अभी तो आपको एक साल हुआ है । कहीं वह आपको भी न बदलवा दें ।

मान्यवर, अब मैं अपने क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । मान्यवर, हमारे यहां भटपरा ब्लाक में क्योलड़िया स्थान है । मेरा निवेदन है कि यह नवाबगंज तहसील, बरेली में है । निवेदन है कि वहां पर एक पी0 एच0 सी0 सेंटर कर दे । क्योलड़िया में अगर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर से हो जाय, तो कम से कम 50 प्रतिशत तो मिलने ही लगेगी ।

नवाबगंज में एक डिस्पेंसरी चल रही है । उसका प्रान्तीयकरण किया था । निवेदन है कि उसको बड़ी डिसपेंसरी कर दिया जाय । कोई 30/40 बेड का कम्बाइड अस्पताल वहां कर दें । नवाबगंज तहसील हेडक्वार्टर है मान्यवर, वहां महिला डेस्पेंसरी है । निवेदन है कि वहां का भवन पक्का करवा दें । इसी तरह से पंचपेड़ा डेस्पेंसरी का पक्का भवन करवा दें । धन्यवाद ।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मान्यवर, मैं आपका बड़ा अनुग्रहीत हूं कि आपने चिकित्सा विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया । मान्यवर, मैं इस बजट के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बजट पेश हुआ है और जिन नयी बातों को करने के लिये इस बजट में वायदे किये गये हैं उससे इस विभाग को और जनता को बड़ी राहत मिलेगी । कुछ बातें हैं जिनकी चर्चा अभी हमारे माननीय सदस्य गौरी शंकर जी ने की है, बड़े जोरदार शब्दों में उन्होंने उसकी चर्चा की है । मैं अभी माननीय भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौशिक जी का यह बजट भाषण पढ़ रहा था । मैंने देखा कि इस पूरे भाषण में कहीं भी तजकिरा उन्होंने जो भारी घपले होते हैं दवाओं के सम्बन्ध में, उसका कहीं भी तजकिरा उन्होंने नहीं किया है या उनकी सरकार और उनका ध्यान उस पर गया ही नहीं था । बड़ा जजबा है और बड़ा गुस्सा है हमारे माननीय गौरी शंकर जी को । मैं पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार से हम मुकाबला करना नहीं चाहते हैं । आपका हमारा मुकाबला ही क्या ? क्योंकि आपमें वह सलाहियत थी ही नहीं आपमें वह अंदाज था ही नहीं, आप कुछ दिनों के लिये आये और चले गये । आपसे मुकाबला क्या करें, मुकाबला उनसे करें जिन्होंने कुछ किया हो । लेकिन यह बात सही है कि दवाओं में घपला होता है और मैं यह कहना चाहता हूं और कहते समय मैं बड़े पेशोपेश में भी हूं क्योंकि इत्तफाक से मैं एक डाक्टर का लड़का हूं और इत्तफाक से मैं एक डाक्टर का शौहर भी हूं । तो मैं बड़े पशोपेश में हूं । मुझे इस सम्बन्ध में थोड़ा बहुत तजुर्बा है, कभी-कभी तजुर्बा डाक्टर बीबी से होता है । मेरे पिता जी यह कहा करते थे कि "डाक्टर इज गाड आन द अर्थ" डाक्टर धरती पर ईश्वर होता है, ईश्वर का अवतार होता है । हमारे स्वास्थ्य मंत्री ऐसे गाड को कंट्रोल करते हैं जो गाड अब गाड न रह कर वह

एक तरीके से राक्षस बनकर बैठ गया है। मैं इस बात को तसलीम करता हूं, इस हैसियत से तसलीम करता हूं कि मैं इत्तफाक से एक डाक्टर परिवार से आता हूं, डाक्टर नहीं हूं। मैंने देखा है कि किस तरह से मरीज और मरीज की जिंदगी के साथ खिलवाड़ डाक्टर करते हैं। मैंने देखा है कि किस तरह से डाक्टर घर में बैठकर सौदा करते हैं। मैंने देखा है कि किस तरह से दवायें बाजार में बिकती हैं। लेकिन यहां यह देखा है वहां आपको यह समझना है कि इनको ठीक करने के लिये शासन तो जिम्मेदार है ही, माननीय सदस्य जो यहां बैठे हैं, हम और आप भी जिम्मेदार हैं, हम-आप उनको सिफारिश के लिये दौड़ते हैं। मैं कहना चाहता हूं इस सम्मानित सदन से कि आप लोगों को ठीक करना चाहते हैं, असल बात यह है कि अगर हम नहीं ठीक होंगे तो लोग ठीक नहीं होंगे। पहले मैं ठीक होऊंगा तो लोग भी ठीक होंगे। हम पहले देखें कि सिफारिशों के सम्बन्ध में हमारा कर्त्तव्य क्या है। हमने कभी पूछा है कि आप डाक्टर साहब आये हैं, आप अहेलकार साहब आये हैं, आप थानेदार साहब आये हैं, सिफारिश को लेकर कि इधर से उधर कर दिया जाय लेकिन आप जिस कुर्सी पर बैठाये गये हैं, आपका जो फर्ज है उसका क्या आप अंजाम देते हैं। लेकिन मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से एक बात कहना चाहूंगा कि हमने यह भी महसूस किया है कि देहातों में डाक्टर नहीं जाना चाहते हैं, किन्तु उसकी भी वजह है। मैंने जब डाक्टरों से बात किया है तो उनका कहना है और मुझे दुःख है कि अस्पताल कागजों पर खुले हैं, इमारत तक नहीं है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि डाक्टरों को जो आदेश आप देंगे उनको वह पालन करना पड़ेगा लेकिन साथ ही साथ देखना पड़ेगा कि जहां उनको भेजा है वहां उनको रहने के लिये जगह है कि नहीं, कम्पाउन्डर के लिये जगह है कि नहीं, दफ्तर के लिये जगह है कि नहीं। कुछ डाक्टर शिकायत करते हैं कि कुछ जगहों पर जाकर हम अपना पेशा ही भूल जाते हैं।

मान्यवर, अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि लखनऊ मेडकल कालेज में डेन्टल विभाग है। उसमें मैं गया हूं तो यहां देखा है कि आपरेशन थिएटर तो है लेकिन आपरेशन की व्यवस्था नहीं है। (व्यवधान) तो ऐसा नहीं होना चाहिये। अन्त में मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

[2 बजे अपराह्न]

*श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसके मैं समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जिस विषय पर सदन में चर्चा छिड़ी हुई है यह उतना महत्वपूर्ण विषय है कि कहना यह चाहिये कि जिन्दगी का यह एक हिस्सा है, यदि इसे उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है तो जिन्दगी की एक हिस्से को उपेक्षा की दृष्टि से हम देखते हैं। मान्यवर, चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तीन हिस्से हैं। इनमें मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यदि स्वास्थ्य की ओर ध्यान दिया जाय तो चिकित्सा और परिवार कल्याण बातें गौण रह जाती हैं मुख्य स्वास्थ्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामआसरे वर्मा--]

हो जाता है । लेकिन देखने को यहां उल्टा मिलता है और जोर चिकित्सा पर दिया जाता है, स्वास्थ्य का उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है । यदि कोई बीमारी किसी क्षेत्र से समूल नष्ट कर दी जाय तो जरूरत नहीं रहेगी उस बीमारी के सम्बन्ध में दवाओं को बांटने की जरुरत नहीं रह जायेगी उस मर्ज से सम्बन्धित मरीजों का किन्हीं स्थानों में पहुंचाने को । मान्यवर, यही बात परिवार कल्याण के बारे में है । परिवार कल्याण प्रदेश भर के परिवार कल्याण कर्मचारी किसी न किसी रूप में हमसे सम्बन्धित रहा है इसलिए उनके दुख और कठिनाइयों को हम जानते रहे हैं और समय-समय पर उनसे हमारी बात होती रही है कि उस मकसद को बखूबी किस किस तरह से पूरा किया जाय । मैंने चाहा भी कि शासन भाव और उनके बीच समझदारी का एक सिलसिला कायम हो । मान्यवर उनके ऊपर जिम्मेदारी थोपी जाती है नशबन्दी की जिम्मेदारी थोपी जाती है, लूपों की जिम्मेदारी थोपी जाती है लेकिन कुछ ऐसे सुझाव उनके दिमाग में चलते रहते हैं जिनका उपयोग नहीं करना चाहते । परिवार कल्याण का तात्पर्य है कि जो समाज का जन्म दर है वह कम हो । जन्म दर कम करने के लिए वही व्यक्ति सुझाव दे सकते हैं जो इस अभियान के साथ लगे हुए हैं और मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह इस बात के लिए करूंगा कि यद्यपि स्वास्थ्य विभाग के कुछ अधिकारी बड़ी सूझबूझ से काम ले रहे हैं और उन कर्मचारियों के साथ बैठकर बातें भी करते हैं, सलाह मश्विरा लेते हैं लेकिन अगर उस ओर अधिक रूप दिया जाय और जो लोग परिवार कल्याण के कार्य के साथ लगे हुए हैं उनसे बहुमूल्य सुझाव उसके मांगे जायें कि जन्म दर कम करने के और तारीके क्या हो सकते, कैसे एक अच्छे तरीके से इस लक्ष्य को पूरा किया जाय, तो मैं समझता हूं कि वह रास्ता भी निकालेंगे ।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक प्रणाली हैं । लेकिन ऐसा लगता है कि एलोपैथिक के सामने सारी की सारी चिकित्सा प्रणाली दबी हुई है । आयुर्वेदिक, जिसका सम्बन्ध हमारे देश की संस्कृति के साथ अगर जोड़ा जाय तो अनुपयुक्तसंगत नहीं होगा । आज जिस आयुर्वेदिक के लिए चीन देश विशेष प्रकार की खोजें करवा सकता है उसे प्रोत्साहन देने के लिए तमाम प्रयत्न कर सकता है यदि हम अपनी ही धरती में जन्म हुई उस पद्धति के बारे में उपेक्षा का दृष्टिकोण अपनाते हैं तो यह अच्छा नहीं लगता । आयुर्वेद का सम्बन्ध हमारी संस्कृति से है । इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए ।

मान्यवर, पिछले दो तीन सालों में हमारे प्रदेश की धरती पर एक चिकित्सा पद्धति और उभर कर आयी है, धूलधूसित थी, होम्योपैथी चिकित्सा प्रजाली । होम्योपैथी में लगे छात्र दो, दो, ढाई, ढाई साल लगातार संघर्ष के बाद उस प्रणाली को धूल से निकालकर ऊपर लाये और लम्बे समय के बाद शासन से उन्होंने जो कुछ हासिल किया उससे इस प्रणाली को भी मुखरित किया है और मैं समझता हूं कि होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली का दूसरी किसी प्रणाली से प्रभाव कम नहीं है और उसको प्रोत्साहन दिये जाने से लिए शासन के स्तर से समान व्यवहार अपनाना चाहिए ।

मान्यवर, एक चर्चा यहां पर पिछली बार हुई थी कि इस तरह की यूनिवर्सिटी बनायेंगे जिसमें हम अपने यहां के तमाम चिकित्सा प्रणालियों को समान

अवसर, समान सुविधा देंगे, उनको विकसित करेंगे लेकिन आज में नहीं सुन पा रहा हूं कि कोई इस तरह के विश्वविद्यालय की चर्चा इस सदन के अन्दर हुई है।

मान्यवर, मैं इन बातों के साथ कुछ अपने जिले की स्थिति की तरफ माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दवाओं की खरीद फरोख्त में जो घोटाला होता है उसे किसी एक जिले के साथ लगा दिया जाय कोई माने नहीं रखता।

अभी थोड़े दिन पहले इसी हाउस में सवाल किये थे अपने हरदोई जिले की दवाइयों के बारे में। जैसे ही सवालों का जवाब देने की नौबत आती है वैसे ही रोशनदानों से दवायें चोरी हो जाती हैं। अखबार ने लिखा भी कि यह चोरी है दवाइयां की पट उत्तर है राम रासरे वर्मा के सवालों का। रोशनदानों से हजारों रुपये की दवायें चोरी में दिखाई गयी। माननीय मंत्री जी ने जो सिलसिला चोरी पकड़ने का शुरू किया है इससे दहशत फैली है और उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मेरे जिले में एक मल्लावां क्षेत्र पड़ता है। दो प्राइमरी हेल्थ सेन्टर्स हैं माधोगंज तथा मल्लावां। दोनों सेन्टर्स परिवार नियोजन में आगे रहे हैं और वहां के जन प्रतिनिधियों का उसमें सहयोग रहा है लेकिन उस सहयोग का अर्थ यह लिया जाता है कि वहां के कर्मचारी राजनीति से प्रेरित हैं। एक मास ट्रान्सफर्स वहां से कर दिये जाते हैं। इसी तरह से एक डाक्टर हरदोई अस्पताल में डा० जे० सी० गुप्ता हैं। वहां के रहने वाले हैं। काफी पैसे वाले हैं। उन्होंने वहां पर क्लिनक भी खोल रखा है। सत्ता पार्टी के जो विधायकगण हैं वे भी उनके द्वारा चूसे गये होंगे। उनका घर वहीं है लेकिन फाइल पर कानपुर दिखाया गया है। वह सर्जन हैं। अगर अस्पताल से कोई प्लास्तर भी चढ़वाता है तो कहते हैं कि बिना पैसे दिये हुए प्लास्टर चढ़वा लो लेकिन उसका कोई असर नहीं होगा। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। जो सुझाव मैंने दिये हैं उन पर मन्त्री महोदय गौर करेंगे और मेरे क्षेत्र से जो स्थानान्तरण इस मास हुए हैं उनको निरस्त करने की कृपा की जायगी।

*श्री राम नरेश शुक्ल—

उपाध्यक्ष महोदय, आपको इस आसन पर पाकर मुझे प्रसन्नता हुई है जिसके लिये मैं आपको बधाई देता हूं। आपके माध्यम से मैं स्वास्थ्य मन्त्री जी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा बजट हमारे सम्मुख रखा है। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान प्रदेश के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं। कल मैं एक बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में घूम रहा था। मेरे जिले प्रतापगढ़ में भी बाढ़ आई हुई है। वहां पर कुओं का पानी तक पीने लायक नहीं रह गया है। आज ही माननीय मंत्री जी सख्त आदेश दें कि कोई भी कुआं प्रभावित क्षेत्र में बिना दवा डाले न रह जाय। वहां पर बीमारियां शुरू होने के लक्षण शुरू हो गये हैं। कई गांवों में बुखार लोगों को आना शुरू हो गया है, शरीर में दर्द होना शुरू हो गया है। सिर में दर्द है तो छोटी-छोटी मामूली टैबलेट्स से ठीक हो जायेंगे। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि उन्हें यह

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम नरेश शुक्ल--]

कार्य टाप प्रायोरिटी और वार लेबुल पर कराना चाहिये कुंओं में दवा डालने का काम और टीके लगाने का काम । जहां तक मेरे क्षेत्र का सम्बन्ध है, मैं कहना चाहता हूं कि पिछड़े जिलों में प्रतापगढ़ भी एक जिला है और मेरा क्षेत्र जहां से मैं आता हूं वह सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है । वहां पर दो अस्पताल हैं । इसका मतलब यह है कि बीस-बीस और पच्चीस-2 मील की दूरी बिना किसी दवा दारू के पड़ी हुई है । मैं आपके द्वारा मंत्री जी से कहूंगा कि वे एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं अपने विभाग के लिये अधिक पैसा लें और वहां पर अधिक अस्पताल खुलवायें और दवाई दिलायें । उस पक्ष में जो लोग बैठ हुये हैं वे कहते हैं कि अस्पतालों में कुछ नहीं होता है । मैं कहता हूं कि जब वहां पर कुछ नहीं होता है तो क्यों अस्पतालों में इतनी भीड़ लगी होती है । जहां कुछ नहीं होता है वहां पर लोग क्यों जायेंगे ।

इसके अतिरिक्त जहां तक विभाग में व्याप्त घोटाले और गड़बड़ी का प्रश्न है, जैसे ही हमारे ये स्वास्थ्य मंत्री आयें, धर पकड़ शुरू हो गई । कौन कहता है कि इसका प्रभाव नहीं पड़ा । इसका प्रभाव पड़ा है । यह जरूरी नहीं है कि हर जिले में छापा मारा जाय । जैसे ही एक-दो जगह छापा मारा गया, उससे सारा प्रदेश चौकन्ना होगा और जहां कहीं कोई ढीठ लोग रह गये हैं उनको फिर पकड़ा जायेगा । इसलिये इस तरह की अनर्गल और बेहूदगी के तर्क देकर मंत्रियों के ऊपर लाछन लगाये जांय तो इस तरह की भाषा की उम्मीद मैं नहीं कर सकता . . . ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

मान्यवर, "अनर्गल" और "बेहूदगी" शब्द असंसदीय हैं । किसी सदस्य के लिये मैंने अपने भाषण में इस तरह के असंसदीय शब्दों का प्रयोग नहीं किया है । मात्र गाली ही ऐसा शब्द रह जायेगा जो कि संसदीय होगा और इस तरह के "बेहूदगी" "बदतमीजी" "नालायक" आदि शब्दों का प्रयोग असंसदीय है ।

श्री चेतराम गंगवार--

माननीय सदस्य "अशोभनीय या असंसदीय" शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं । लेकिन "अनर्गल" और "बेहूदगी" असंसदीय हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर इन शब्दों का प्रयोग किसी सदस्य के लिये किया तो वह असंसदीय है लेकिन भाषण के किसी हिस्से के लिए किया जाय तो वह संसदीय है ।

श्री राम नरेश शुक्ल--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं । मैं कभी भी विश्वास नहीं करता हूं कि असंसदीय शब्दों का प्रयोग करूं । मैं एक बात अन्त में निवेदन करना चाहता हूं कि आपके जो स्वास्थ्य रक्षक हैं वे क्या कर रहे हैं ? आपने कभी उनका पता लगाया कि वे कहां हैं और कहां रहते हैं । मैंने अपने क्षेत्र के स्वास्थ्य रक्षक का पूरे बाढ़ एरिये में ढूंढ़ा लेकिन उसका पता नहीं चला कि वे कहां हैं । उपाध्यक्ष जी, स्वास्थ्य रक्षक की नियुक्ति जैसे ही हुई वे पता नहीं क्यों चुप्पी साधे हुये हैं । इसलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इन स्वास्थ्य रक्षकों या भक्षकों को देखें । अधिक अस्पताल बनायें, रोगियों को दवा दिलायें और इस तरह से प्रदेश का कल्याण करें ।

श्री मसरूर जाफरी--

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे स्वास्थ्य के बजट पर बोलने का मौका दिया। जहां तक बजट का सवाल है मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मंत्री जी खुद जानते हैं कि पिछले 33 सालों में यहां स्वास्थ्य की क्या दशा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जहां आपने इस प्रदेश के आयुर्वेदिक 8 कालेजों का प्रांतीयकरण किया है वहां आपसे अपील करूंगा कि इसी प्रकार यूनानी का भी प्रान्तीयकरण किया जाय क्योंकि यूनानी और आयुर्वेदिक भारत की पुरानी तहजीब और संस्कृति से जुड़ी हुई हैं।

दूसरी बात जो सबसे बड़ी चीज है कि इस 10 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में जो स्वास्थ्य में पिछले 33 सालों में खर्च हुआ है या होने जा रहा है वह सरकारी अस्पतालों में बड़े-बड़े आदमियों को अच्छी-अच्छी दवा देने में हुआ है। जैसा स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा जो देहात में रहने वाला है झोपड़ी में रहने वाला है उसके लिए हमको ज्यादा से ज्यादा दवायें पहुंचानी हैं। यह बात तब हो सकती है जब ग्रामीण क्षेत्रों में ज्याद से ज्याद स्वास्थ्य यूनिट खोले जायं। आज अस्पतालों में क्या होता है अगर किसी को दस्त आता है तो ए0 पी0 सी0 दी जाती है, अगर बुखार आता है तो उसमें भी ए0 पी0 सी0 दी जाती है और कोई टी0 बी0 का मरीज है तो उसको भी ए0 पी0 सी0 दी जाती है। तो किस प्रकार से लोगों का भला होगा।

मैं एक चीज की बधाई देता हूं स्वास्थ्य मंत्री जी को कि उन्होंने दो करोड़ का घोटाला पकड़ा जिसमें 12 अधिकारियों को निलम्बित किया है। इस घोटाले से पूरे प्रदेश में अच्छा असर पड़ा है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को याद होगा कि डेढ़ लाख रु0 की दवाओं का घोटाला मैंने स्वयं गोंडा में पकड़वाया जिसके लिए आडिट के आदेश हुए हैं। आडिट में भी वह साबित हो गया है। सरकारी अस्पताल में आप चले जायं वहां पर किसी प्रकार की दवा गरीबों को नहीं मिलती है। पूरी अफसरशाही का बोलबाला है। वहां पर 3 माह से एक्सरे प्लांट खराब पड़ा हुआ है।

जिस क्षेत्र से मैं चुन कर आया हूं उतरौला में महिला चिकित्सक एवं चिकित्सक न होने के कारण मैंने 27 तारीख को प्रश्न में कहा था आज तक उतरौला अस्पताल में डाक्टर नहीं गया है। एक लाख 40 हजार से ज्यादा वहां गरीब मजदूर रहते हैं जिनकी खेती दो एकड़ से कम है। वहां पर अस्पताल में तीन साल से कोई डाक्टर नहीं है। अगर एक डाक्टर है भी तो उसकी यह हालत है कि जब मरीज जाते हैं तो वह उसे नोच नोच कर खाता है और सारी दवायें गायब रहती हैं। पहले वहां पर डाक्टर राय थे और अब एक नये डाक्टर हैं डा0 चट्टी, पता नहीं चलता है कि दवा कहां जाती है। ए0 पी0 सी0 के अलावा सारी दवायें ब्लैक में बिक जाती हैं। वहां पर ज्यादा तर टी0 बी0 के पेशेंट हैं उनसे कहा जाता है कि बी0 कांप्लैक्स स्टैपटोमाईसीन आदि दवायें बाजार से लाइये। तो स्टेप्टोमाईसीन बाजार में एवेलेबल नहीं है। मैं स्वास्थ मंत्री जी से अपील करूंगा कि वहां पर महिला अस्पताल में चार साल से डाक्टर नहीं है जब से वह खुला है। इसलिए वहां पर महिला डाक्टर की नियुक्ति कर दें और दो अस्पताल ग्रामीण क्षेत्र में हैं वहां पर एक-एक डाक्टर है

श्री मसरूर जाफरी—

जब कि दो दो डाक्टर पहले रहते थे । मेरे क्षेत्र के दो विकास खण्ड में अस्पताल की बिल्डिंग बनाई जायं । यह इलाका उतरौला का एक लाख से ऊपर की आबादी का है अगर यहां पर एक एक्सरे प्लांट नहीं मिलेगा तो वहां का गरीब जो है कैसे 29 कि0 मी0 बलरामपुर और 52 कि0 मी0 गोंडा जायेगा । हमारे यहां आवागमन के लिए रोडवेज के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है । इसलिए वहां पर एक्सरे प्लांट जरूर होना चाहिये । इसके अलावा आज वहां का जनता की हालत यह है कि जब उनको आक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो जो सी0 आई0 ए0 की एजेंसी प्रेम आश्रम है उनसे 100 रु0 देकर लेना पड़ता है । तो उस गरीब क्षेत्र में जहां पर आदमी दो-दो और चार-चार रु0 की मजदूरी करते हैं कैसे 100 रु0 दे सकता है आक्सीजन के लिए क्या वह 100 रुपये में आक्सीजन ले पायेगा ? तो मैं निवेदन करूंगा कि उतरौला के बारे में खास करके इन्तजाम किया जाय । आयुर्वेदिक की कुछ दवायें खरीदी गई हैं, आपके मंत्रालय में आने के पूर्व । मैंने स्वयं उन दवाओं का इस्तेमाल किया है, इसका कोई भी मरीज को फायदा नहीं होता है । इसके अलावा जो एलोपैथी में बी-काम्पलेक्स इन्जेक्शन हैं, उसमें मालूम पड़ता है कि कोई जर्द रंग मिलाकर केवल विटामिन बी-काम्पलेक्स की मोहर लगा दी गई है । इसके अलावा उससे कोई किसी को फायदा नहीं होता है । जिला अस्पताल गोंडा के डाक्टर अपना शानदार मकान बनवाए हुए हैं, जिस समय वहां पर डेढ़ लाख की दवायें पकड़ी गई है, वहां पर डाक्टरों ने एक दम से लम्बी हड़ताल कर दी । आप डेढ़ लाख के दवाओं के घोटाले की तो जांच करायें ही, लेकिन साथ ही वहां से उस डाक्टर को हटा दें, जिन्होंने यह घोटाला किया है । उतरौला में भी महिला चिकित्सक की व्यवस्था करके आप डाक्टर चट्टी को अवश्य ही हटा दें ।

*श्री दयाल कृष्ण—

मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने विभाग के अनुदान पेश करने से पहले क्षेत्रीय विधायकों को बुलाकर उनके सुझाव मांगे थे । हम उस दिये गये सुझावों की काफी झलक इस बजट में देख पाते हैं । मैं उनका अनुगृहीत हूं कि उन्होंने हमारा यह सुझाव मान लिया । मैंने, आगरा कमिश्नरी की जो विधायकों की मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें कहा था कि सारी दवायें बल्क परचेज की जायें और उन पर 'यू0 पी0 हास्पिटल्स' लिखा रहा करे, छपवाया जाये, जिससे उसकी बाहर बाजारों आदि में बिक्री न हो सके । इसके साथ ही मेरा यह भी सुझाव है कि जो यंत्र खरीदे जाते हैं, उन पर भी 'यू0 पी0 हास्पिटल्स' छपा रहा करे । जैसे रेलवे में, उनके इस्तेमाल की सारी सम्बन्धित चीजों पर रेक्सीन, ग्लास आदि पर इन्डियन रेलवे' लिखा रहता है, वैसा ही यहां के सारे यंत्रों आदि पर यह लिख दिया जाया करें । इसके अलावा अस्पतालों में प्रयोग में आने वाली तौलिया आदि पर भी बुनने के समय बुनाई में यह छाप दिया जाया करे । इससे उसका बाहर बिकना मुश्किल हो जायेगा और बहुत हद तक भ्रष्टाचार समाप्त होने में मदद मिलेगी । जैसे रेलवे में 'रेलवे प्रापर्टी अनलाफुल पजेशन ऐक्ट' बना हुआ है, उसी प्रकार का एक ऐक्ट दवाओं आदि के भ्रष्टाचार को रोकने के लिये यहां विधान सभा में भी पास किया जाये, जिससे कोई भी अनधिकृत व्यक्ति जिसके पास सरकारी दवाएं मिलें, उसके ऊपर यह भार रहे कि वह यह दवाएं कहां से लाया है, कैसे प्राप्त की हैं और ऐसे दोषी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पाये गये व्यक्तियों को दण्डित अवश्य किया जाया करे । इससे काफी भ्रष्टाचार रुक सकेगा और चोरी को रोक सकेंगे । इस सम्बन्ध में मान्यवर, आपके माध्यम से एक सुझाव रखना चाहता हूं । स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में मेरा निवेदन है कि उनके अन्दर हमारे बहुत से अनुभवी डाक्टर्स हैं जो बोतलों में कुछ बूंदें इकट्ठी करके उनको एनैलिसिस के लिये भेज देते हैं । फारसी की एक कहावत है कि "पढ़ें फारसी बेचें तेल यह देखो कुदरत के खेल" तो जिन डाक्टर्स पर हमारा इतना खर्च होता है काम उनसे क्या लिया जाता है एडुकेशन का जिनके सेम्पुल्स ये लोग भर कर भेजते हैं । मेरी प्रार्थना है कि यह काम उनसे लेकर अलग किया जाना चाहिये और जो डाक्टर्स इस कार्य में रत हैं उनसे मैडिको वर्क लेना चाहिये । इससे उनकी पढ़ाई का दुरुपयोग हो रहा है। जब हमारे अस्पतालों में डाक्टर्स की कमी है, वास्थ्य सेवाओं में कमी है तो उनको वहां पर क्यों नहीं लगाया जा रहा है । यह भी देखने में आता है कि बहुत से स्वास्थ्य अधिकारी केवल प्रशासनिक कार्य ही करते हैं । वह काम जिसको एक मामूली सा ग्रेजुएट भी कर सकता है वह हम एम0 बी0 बी0 एस0 डाक्टर्स से ले रहे हैं ।

अब मैं मैडिको लीगल के बारे में कुछ कहना चाहूंगा । मेरा 32 साल का फौजदारी वकालत का अनुभव है । बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो आज मेडिको लीगल में हो रहा है । इसके अन्दर बड़ा घपला है । 100-100 और 150-150 रुपया छोटे से मायने के लिए जाते हैं । आज इसके ऊपर कोई चेक नहीं है । गम्भीर चोटों को पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में गम्भीर चोटों को मामूली दिखा देते हैं । इसलिये मेरा इस सम्बन्ध में एक सुझाव यह है कि पोस्टमार्टम कम से कम 2 डाक्टर्स करें, एक सीनियर और एक जूनियर ताकि कुछ कम घोटाला हो सके खास कर, एक्सीडेन्ट्स केसेज वालों को नहीं, मर्डर वाले केसेज में जिसमें कोई खास गम्भीरता हो और जिसमें घोटाला होने की संभावना ज्यादा हो । साथ ही उस पेनल के मेम्बर्स की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की एक नकल जो सिर्फ डाक्टर और पुलिस के पास रहती है, उससे जनता को संतोष नहीं मिलता है मेरा प्रस्ताव है कि उसकी एक नकल तुरन्त सम्बन्धित अदालत में भेजी जाय ताकि सम्बन्धित पक्ष उसको वहां पर देख सकें और यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो अपना एतराज पेश कर सकें। जहां तक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के स्थानान्तरण का सम्बन्ध है, उसके लिये एक निश्चित नियम होना चाहिये और निश्चित अवधि समाप्त होने के उपरान्त उनका स्थानान्तरण हो जाना चाहिये ताकि उनके मन में अनिश्चितता न हो और वे अपने कार्य में रुचि ले सकें और वे अनिश्चितता की स्थिति में न रहें ।

श्री दलगंजन सिंह--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । सवाल यह है कि माननीय पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार है कि कोई सदस्य निर्वाचित होकर यहां आये और पूरे 5 वर्ष तक उसको बोलने न दिया जाय, इस पर मेरी प्रार्थना है कि आपका निर्णय होना चाहिये ?

श्री उपाध्यक्ष--

काल्पनिक प्रश्नों पर कोई व्यवस्था नहीं दी जा सकती है । आपका प्रश्न काल्पनिक है ।

श्री जटा शंकर सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। अभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपने विभाग से सम्बन्धित मांगों को पेश करते हुये एक बात कही थी कि सभी जनपदों के चिकित्सालयों में जल की आपूर्ति के लिये व्यवस्था की जायेगी। मैं उसका समर्थन करते हुये यह बतना चाहूंगा कि बहराइच जनपद में जो जनपद चिकित्सालय नलकूप लगा हुआ है वह वहां के अधिकारियों की लापरवाही के कारण जून और जुलाई के माह में नहीं चला, जब कि वहां के विद्युत भी मिलती रही और मरीज बिना पानी के पीने के लिये तरसते रहे। जल पूर्ति की व्यवस्था होते हुये भी अस्पताल में पानी नहीं मिला।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि बहराइच जनपद अस्पताल में जो एक्सरे प्लान्ट लगा है और उसके जो इन्चार्ज शमीम साहब हैं, जब भी कोई गरीब एक्सरे के लिए जाता है उससे वे यही कह देते हैं, एक्सरे प्लेट नहीं है वह ले आओ। इस अस्पताल के सामने एक प्राइवेट डाक्टर अपना एक्सरे प्लान्ट लगाये हुये हैं। जिनका कोई सोर्स या पहुआ नहीं है उनका अस्पताल में एक्सरे नहीं होता है और उनको कहा जाता है कि वह बाहर से एक्सरे प्लेट ले आवे और वह इसी सामने वाले डाक्टर से जब प्लेट खरीद कर ले आता है तो उसका एक्सरे अस्पताल में कर दिया जाता है। इन प्राइवेट डाक्टर की अस्पताल के डाक्टर से मिली भगत रहती है, अस्पताल की एक्सरे प्लेट्स वहाँ पहुंचती हैं और बिकती हैं। इस ओर भी मंत्री जी ध्यान देने की कृपा करें।

जनरेटर्स के लिये माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने 3 वर्ष का समय लेने की बात कही है। बहराइच जनपद अस्पताल में विद्युत की काफी इरेंगुलरिटी रहती है, जिसके कारण मरीजों को बड़ी परेशानी होती है, मैं चाहूंगा कि जनरेटर लगाने की लिस्ट में बहराइच को सर्व प्रथम स्थान पर रख दिया जाये।

जहां तक अस्पतालों में दवाओं का प्रश्न है, दवायें तो क्या, वहां ईथर और बैन्डज जैसी सामान्य दवायें भी उपलब्ध नहीं हैं। उधर के एक माननीय सदस्य ने कहा कि जब दवायें नहीं हैं तो अस्पतालों में भीड़ क्यों रहती है, मैं कहना चाहता हूं कि जिसको तकलीफ होगी यह अस्पताल तो जायेगा ही, भीड़ इसलिये रहती है। दवाओं का भी प्रबन्ध किया जाये, यह मेरा निवेदन है। तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जो इस अस्पताल के दूसरे खंड में महिला विभाग है वहां पर जो इस पर इस विभाग की अध्यक्षा हैं वे विगत 6 वर्षों से मौजूद हैं। उनका व्यवहार बहुत खराब है और उनके खराब व्यवहार के कारण वह अस्पताल नर्क बन गया है। वहीं पर एक डाक्टर मंजु गुप्ता हैं जिनसे उनका व्यवहार ठीक नहीं है। अगर डाक्टर मंजु किसी मरीज को भरती करती हैं तो अध्यक्षा उस मरीज को दवा नहीं देतीं। उन मरीजों को बड़ी अविधा होती है जिनको डाक्टर मंजू भरती करती हैं।

अस्पतालों में आज देखने में यह आता है कि सामान्य लोगों पर से उनका ध्यान खत्म हो गया है। इसलिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से आपके माध्यम से मैं यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि वहां की अधीक्षक और ऐसे डाक्टर जो 6-6 और 8-8 वर्ष से पड़े हुए हैं उनको तुरन्त वहां से स्थानांतरित किया जाय। मेरे क्षेत्र नानपारा में अमवा हुसैनपुर और मोतीपुर दो प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, अमवा हुसैनपुर नानपारा नगर से लगभग 8 किलो मीटर की दूरी पर है और वहां पर सड़क

बनी हुई है, जाने का रास्ता सुलभ है, लेकिन वहां के डाक्टर नानपारा में ही पड़े रहते हैं और प्रयास यह कर रहे हैं कि पी0 एच0 सी0 जो है, उसके अन्दर उसका भवन नानपारा के पास हो, जब कि वहां पर जमीन मौजूद है। उसके भवन को अमवर हुसेन पुर में ही बनवाया जाय तीसरी बात यह है... ।

श्री उपाध्यक्ष--

तीसरी बात तो आप कह चुके ।

श्री जटा शंकर सिंह--

मान्यवर, सन् 72 में बहराइच जनपद के स्वास्थ्य केन्द्र की गाड़ियां गोरखपुर भेजी गयी थी, लेकिन वे गाड़ियां अभी तक वापस नहीं की गयी हैं, जिससे बहराइच के स्वास्थ्य केन्द्र बहुत कष्ट उठा रहे हैं। मान्यवर, आपको अन्त में धन्यवाद देकर अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने अनेक बार खड़े होने के बाद जो समय दिया उसके लिए मैं हृदय से आपका आभार प्रकट करती हूं। मान्यवर, मैं विशेष रूप से इसके पहले कि कुछ कहूं दो बातों की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहती हूं। एक तो यह है कि उन्होंने मंत्रि परिषद् में आते ही इस बात का अनुभव किया कि जब तक कि जन प्रतिनिधियों को साथ न लेंगे तब तक उसकी कल्पना भी नहीं करेंगे और उन्होंने मंडलीय बैठक हम जन प्रतिनिधियों की बुलाई। इसके लिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का आभार प्रकट करती हूं। आप मन्शा, वाचा, कर्मणा से काम करना चाहते हैं। अब टांग खींचने वाले तो टांग खींचेंगे ही। श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में यहां पर बैठने वाले जो लोग हैं, वे आपको बढ़ावा देंगे। मैं एक सुझाव देना चाहती हूं। इस वक्त पानी बरसा है, जगह-जगह कीचड़ हो गया है जिसका सम्बन्ध स्वास्थ्य विभाग से है। इस समय बीमारियां भी फैल रही हैं, लोग परेशान भी हैं। इसकी तरफ माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे, तो मैं उनका बड़ा आभार प्रकट करूंगी ।

दूसरी बात मेरे मन में बहुत दिनों से कहने को थी। वह एक मनुष्य के जीवन से सम्बन्धित है, वह यह है कि मेडिकल कालेज, लखनऊ में इंटेंसिव केयर है। उस इंटेंसिव केयर की अगर आप शक्ल देखेंगे, उसका नाम इंटेंसिव केयर है लेकिन केवल पर्दे ही वहां पर पड़े हुए हैं बीच में कोई वाल भी नहीं है। अगर उस मरीज को कोई कष्ट है, तो दूसरे मरीज पर उसके कष्ट का असर न पड़े, इंटेंसिव केयर का अभिप्राय यह होता है, लेकिन वहां पर एक मरीज की आवाज दूसरे मरीज के कान में पड़ती है। एक मरीज का कष्ट दूसरे मरीज के कान में पड़ता है। उसका असर यह पड़ता है कि एक मरीज का कष्ट दूसरे मरीज तक पहुंच जाता है। एक नम्बर का मरीज जो होश में है, और दो नम्बर का मरीज भी जो होश में है, और वह इंटेंसिव केयर में है, तो उसका प्रभाव दूसरे मरीज पर पड़ता है और उसका नतीजा यह होता है कि जो इन्टेंसिव केयर में रखने वाला मरीज होता है, मान्यवर, उसका जीवन-मरण का सवाल होता है। मैं इसकी स्वयं भुक्तभोगी हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्रीमती प्रेमवती तिवारी--]

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि केवल लखनऊ मेडिकल कालेज की व्यवस्था की ओर ही नहीं बल्कि प्रदेश के अन्य अस्पतालों के मरीजों की हालत पर गम्भीरता से विचार करना होगा। मान्यवर, टी0 बी0 की मरीजों को जो एक सौ पचास रुपया बहुत पुरानी चली आ रही परम्परा के अनुसार दिया जाता है, इस सम्बन्ध में मुझे कहना है। 12 वर्ष तक तो मुझे विधान परिषद् में रहने का मौका मिला और इस बार यहां आने का अवसर मिला। मैं देख रही हूं कि उस वक्त दवाओं के क्या दाम थे आज क्या है और टी0 बी0 के मरीज को तो अलग से डाइटर की भी आवश्यकता पड़ती है और खाद्य सामाग्री के भी जो भाव आज हैं, सभी जानते हैं, कितनी मंहगाई बढ़ी है। जमीन आसमान का अन्तर हो गया। किन्तु इन टी0 बी0 के मरीजों को जो पहले 150 रु0 मिलता था, उनको वही आज मिल रहा है। इसलिए माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से सुझाव देना चाहती हूं कि जो 150 रु0 टी0 बी0 के मरीजों को दिया जाता है, उसे बढ़ाने का प्रयास करें। एक चीज की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बारे में। 1959 में जो हुआ था, उसको शायद आप लोग भूल जाते हैं। 1959 नगर महापालिकायें, नगर पालिकायें व टाउन एरिया आदि में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो न तो शहर में आते हैं और न देहात में। उनकी ओर भी देखना होगा। मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र से आयी हूं चुनकर कैण्ट आलम बाग से, जो एक स्टैन्डर्ड एरिया माना जाता है, जिनके बारे में अखबार में आप रोज पढ़ते होंगे कि वहां के लोगों को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है, वहां कोई आस पास अस्पताल या स्वास्थ्य केन्द्र न होने के कारण। मैं मान्यवर, तेजी खेड़ा गयी, वहां की हालत को मंत्री जी के सामने रखा तो मंत्री जी ने आश्वासन दिया। हमने जिन योजनाओं के बारे में उनसे कहा कि वहां पर एक महिलाओं के लिए अस्पताल होना चाहिये क्योंकि जब कोई महिला जो गर्भवती होती है, वहां से चलती है, उसे रास्ते में ही जो तकलीफें उठानी पड़ती हैं। यहां तक देखा गया कि रास्ते में ही उनके प्राण निकल जाते हैं और अस्पताल वह पहुंच भी नहीं पाते इसलिये माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि जहां अस्पताल नहीं है, विशेष तौर पर जहां महिला चिकित्सालय नहीं हैं, उन जगहों पर इनकी व्यवस्था की जाये। पहले जमाने की बात तो और थी कि घरों पर दाई वगैरह को बुलवाकर प्रसूत करवा लिया जाता था, परन्तु आज की आवश्यकता को देखते हुए, उपयोगिता के अनुसार सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये कि जहां महिला प्रसूत गृह नहीं है, वहां खोले जायें।

दूसरे मान्यवर, मैं बलरामपुर अस्पताल के सम्बन्ध में कहना चाहूंगी कि पुराने जमाने का बना हुआ यह अस्पताल, जिसको अब बढ़ाने की आवश्यकता है, पहले से अब अधिक मरीज आते हैं और एक-एक बेड पर क्यू लगानी पड़ती है, बल्कि बहुत से मरीजों को जमीन पर जगह मिलती है इस अस्पताल के प्राइवेट वार्ड की स्थिति भी बड़ी दयनीय और सोचनीय है। मान्यवर, बलरामपुर अस्पताल में स्वच्छता का भी उचित प्रबन्ध होना चाहिये। एक सम्मानित सदस्य, जो विरोधपक्ष की ओर बैठे हैं, जिनकी ओर से अभी महिला चिकित्सालय की ओर ध्यान दिलाया गया। अगर देखा जाये तो पूरे प्रदेश में केवल एक ठीक-ठीक डफरिन अस्पताल कहा जा सकता है, लेकिन वहां की भी हालत बड़ी दयनीय है वहां भी अधिकतर महिलायें जमीन पर ही रक्खी जाती हैं और एक बेड पर बड़ी-बड़ी 3-3 और 4-4 मरीज रक्खे जाते हैं, आप सोचिये नवजात शिशुओं के साथ किस प्रकार वहां रहती हैं। इसलिए माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जहां हर ओर ध्यान दे रहे हैं, वहां इस ओर भी ध्यान दें। मैं आपकी आभारी हूं कि आपने इन बातों की ओर अपना ध्यान दिया

और अपनी योजना में इन बातों का समावेश किया है। इसलिये मैं धन्यवाद देना चाहती हूं और अपने विरोध पक्ष के सम्मानित सदस्यों से कहना चाहती हूं कि हम इन योजनाओं पर दृढ़ संकल्प हैं कि जो काम आप नहीं कर सके उसको हम आगे बढ़ायेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आभार प्रकट करती हूं।

*श्री प्रदीप कुमार यादव––

माननीय उपाध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मैं स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान कुछ अनियमितताओं की ओर संक्षेप में ले जाना चाहता हूं। जहां तक मेरी जानकारी है जो डाक्टर सर्विस कमीशन से एप्रूव होकर आये हैं और 6–7 सालों से काम कर रहे हैं उनको न तो चरित्र पंजिका दुरुस्त की गई और न सर्विस बुक ही सही हुई। जहां तक मेरी जानकारी है इस सिलसिले में तमाम प्रयास किये गये, इसके बावजूद निदेशालय के अधिकारी और बाबू सांठगांठ किये हुये हैं। इस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि इनका मामला खटाई में है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इस मामले को तत्काल देखें वरना इनकी इफीशियेन्सी चौपट हो जायेगी। दूसरी चीज है प्रमोशन के सम्बन्ध में है जहां तक मेरी जानकारी है यह मेडिकल आफिसर थे उनको डी0 सी0 एम0 ओ0 और सुपरिन्टेन्डेन्ट होने के लिए कार्यवाही चल रही है जिसमें 40 लोग थे। इसके लिए एक सूची थी जिसमें 40 लोग थे जिनमें से 5 लोग ऐसे चुन लिए गये तरक्की दे दी गई जो रिटायर हो चुके थे और कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी है आपके विभाग का यह हाल है। जब आपके आफिसर लखनऊ में बैठकर अपने विभागों के बारे में फैसला करेंगे तो कैसे सम्भव है कि स्वास्थ्य विभाग अच्छी तरह से चलेगा। मान्यवर, मैंने कहा कि संक्षेप में बताऊंगा। मान्यवर, बाराबंकी में 4 साल हुये ब्लड यूरिया तथा ब्लड शुगर चेक करने की एक मशीन आई थी 4 साल हुये रखी है किन्तु आज तक किसी आदमी का न तो ब्लड यूरिया और न शुगर यूरिया लिया गया। इस मामले में तत्काल कार्यवाही की जाय और जिन अधिकारियों की तरफ से इसमें ढिलाई बरती गई हो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। मेरा जहां तक ख्याल है मैंने अखबारों में आपका बयान पढ़ा है। अखबार में जो बयान था उसमें यह था कि जो गांवों के लिए जन स्वास्थ्य रक्षक नियुक्ति किये जाते हैं वह आगे नहीं की जायेगी। तो इस सिलसिले में मेरी गुजारिश है कि अपने प्रदेश और देश में 2/3 आबादी गरीबी की रेखा से नीचे रही है। जो बड़े–बड़े लोग हैं उनके लिये बलरामपुर, मेडिकल कालेज है उनमें जाकर वह अपना इलाज करा सकते हैं लेकिन वह लोग जो गांव में रहते हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है जिनका कपड़ा फट जाय तो कपड़े के लिये पैसा नहीं है। ऐसे लोगों को जन स्वास्थ्य रक्षक की योजना बड़ी कारामद रही है यह जरूर है कि उनको वेतन के रूप में 50 रुपया दिया जाता है इसलिये लोगों की निगाह उन पर नहीं पड़ती है। एक हजार आबादी वाले गांव में एक आदमी नियुक्त किया और उनको 50 रुपया माहवार के हिसाब से रखा, रोजमर्रा की दवायें, खांसी, बुखार, जुकाम की जो गरीब आदमी को आसानी से मिल सकती है उनके लिये जनता सरकार ने जन स्वास्थ्य रक्षक की व्यवस्था की। तो इस सिलसिले में मैं चाहूंगा अगर इस मामले में आपके पास इस तरह का सबूत हो कि इससे कोई लाभ नहीं तो जो इसकी खामियां हैं जो कमियां हैं उनको दूर करने

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रदीप कुमार यादव--]

का प्रयास करें । इससे आपके देश के बहुत बड़े भाग को जिनको नौकरियां नहीं मिलती हैं जो दर-दर की ठोकरे खाते हैं बेकारी के शिकार होते हैं, उनको काम मिल जाता है तो मान्यवर, इस बारे में ध्यान देने क कष्ट करें । इसके अतिरिक्त मान्यवर, मेरे बाराबंकी जनपद में रुदौली नोटीफाइड एरिया में एक अस्पताल 1908 का है बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि डेढ़ साल से वहां पर कोई लेडी डाक्टर नहीं है । और वह दवाखाना किराये पर चल रहा है । इस चीज को देख कर रुदौली कस्बे के लाल सत्गूर प्रसाद ने अपनी अच्छी खासी कोठी जिसकी कीमत एक लाख रुपये की होगी दान स्वरूप दे दिया । लिखा पढ़ी भी हुई । जिला मुख्य चिकित्सा अधिकार की रिपोर्ट आयी कि इसका वेलुएशन एक लाख के बराबर है । समझ में नहीं आता कि जनता की ओर से अस्पताल के लिए इतनी बड़ी इमारत दान स्वरूप दी जाता है तो पता नहीं क्यों कागज अरसे बराज से आपके निदेशालय में चक्कर काट रहा है । इस सिलसिले में तत्काल कार्यवाही करें ।

अपने देश और प्रदेश में जो जिन्दगी का हिसाब किताब रहा उसको देखने से ऐसा महसूस होता है कि आदमी की जिन्दगी मुश्किल से 45 साल है । सबसे पहले आपके विभाग की जिम्मेवारी यह हो जाती है । इस प्रदेश और देश में लोग इतनी जल्दी क्यों मर जाते हैं इसका क्या कारण हो सकता है इसका पता लगाये । इसका कारण हो सकता है कि संतुलित भोजन न मिलता हो, उनके रहने के लिए स्वच्छ मकान न हो, बीमारी के लिए दवा दारू का इंतजाम न हो । आज देश और प्रदेश में अडल्ट्रेशन होता है । बातचीत में भी अडल्ट्रेशन होता है । इस अडल्ट्रेशन को दूर करने के लिये आपको कोई नया तरीका निकालना पड़ेगा । बलरामपुर अस्पताल आप भी गये होंगे । वहां पर कितने पुराने तरीके का है । उसमें जो खाना बनता है अगर आप देख ले तो खाने की हिम्मत नहीं होगी । दूसरे जो दूध मिलता है मरीज यह समझता है कि दूध में अडल्ट्रेशन डाक्टर की तरफ से किया गया है । दूध के वितरण की व्यवस्था में खराबी है वह दूर होनी चाहिये । जो प्लास्टिक की थैलियां हैं, एक किलो, आध किलो की थैलियां बनवा कर उनमें अस्पतालों को दूध सप्लाई किया जाय । तो कम से कम दूध में अडल्ट्रेशन तो दुरुस्त किया जा सकता है ।

मान्यवर, अपना प्रदेश बाढ़ की चपेट में मुस्तिकिल रहा । जब से सदन बैठा तब से लेकर आज तक हम सब बाढ़ के शिकार हैं । लेकिन बाढ़ के दरमियान जो गांव के लोग थे जल भराव और अति वृष्टि के कारण जहां पर शुद्ध जल भी नहीं मिला, लोगों ने अशुद्ध जल पी लिया उससे बहुत तरह की बीमारियां हो गयी कहीं गैस्ट्रों कहीं पीलिया, हैजा जैसी अनेक बीमारियां फैली । लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जिस प्रकार से कार्यवाही की जानी चाहिए रोक थाम के लिये नहीं की गयी । उदाहरण के तौर पर तहसील बीकापुर, जिला फैजाबाद में कई औरतें गर्भवती पीलिया रोग से मर गयीं । साथ ही साथ आज के अखबार में खबर है कि फैजाबाद में पीलिया तेजी से बढ़ रहा है । उरई में हैजे से 100 मौतें हुई । बलिया में, अजनेरा गांव में हैजे से सात मौतें, बिजनौर में हैजे से 12 लोग, जौनपुर जिले में गैस्ट्रो और पीलिया से 31 मौतें और हमीरपुर जिले में गैस्ट्रो से 18 लोग मरे । नैनीताल, सीतापुर, झांसी, प्रतापगढ़, बुलन्दशहर जैसे तमाम हैं जहां 150 लोग हैजे के शिकार हो गये । इस तरफ स्वास्थ्य विभाग का ध्यान जाना चाहिए । अतः जो अनियमितताये हो रही हैं उनकी जांच करें । मान्यवर, चाहिए था कि लाल दवा का इस्तेमाल कुओं में होता और दवा का

छिड़कव होता ताकि बीमारियां समाप्त हो। ऐसा न करके अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। अतः इस ओर ध्यान दें।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो गया।

[3·00 बजे अपराह्न]

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, यह बात बहुत तेजी के साथ कही गयी कि जो डाक्टर अपने दवाखाने नहीं जायेगा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जहां डाक्टरों का तबादला किया गया है वहां क्या कोई अस्पताल है या कोई वहां रहने का स्थान है। ये अस्पताल कागज पर, चौपालों में खुले हैं। तो वह कैसे सम्भव है कि वह उसमें दवा दारू भी करे और उसका चपरासी भी वहीं रहे। तो मान्यवर, डाक्टरों को जाना चाहिए, अगर नहीं जाते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही होनी चाहिए ताकि साथ ही साथ प्रशासन का फर्ज हो जाता है कि उनकी रिहाइस की व्यवस्था भी करे। तो मान्यवर, अन्त में अपनी बात खतम करते हुये आग्रह करता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस ओर तत्काल कार्यवाही करें।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

जो अनुदान मांगा गया है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। स्वास्थ्य अनुदान के सम्बन्ध में जो बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूंगा कि दुनिया की सबसे बहुमूल्य चीज जो है वह स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य पर हमारे माननीय मन्त्री जी ने जो अनुदान मांगा है मेरी समझ से वह कुछ कम है, कुछ संशोधन होना चाहिए कुछ और मांगना चाहिए। शरीर के संचालित करने के लिए, कायम रखने के लिये यह सबसे जरूरी है कि हम स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। उद्योग के सुव्यवस्थित चलाने के लिए हमें इंजीनियरों के विषय में भी विचार करना होगा ठीक उसी प्रकार से इस शरीर की चक्की को चलाने के लिये कायम रखने के लिए स्वस्थ्य विभाग पर भी गहराई से ध्यान देना होगा। ऐसी स्थिति में अनुदान का समर्थन मैं करता ही हूं साथ-साथ स्वास्थ्य मन्त्री जी ने जो मांगा है वह मेरा समझ में कम है। और होना चाहिए। इसमें जो भी हमारे सम्मानित सदस्य बैठे हैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें तमाम ऐसे लोग होंगे जिनके परिवार के उनके भाई उनकी भाभी उनकी स्त्री, उनकी बहिन भी कहीं न कहीं मेडिकल आफिसर हो सकती है या होंगी

(व्यवधान)

आना जाना तो यह लगा ही है और चलता रहेगा लेकिन जितनी भी समस्यायें हैं आपके सामने उसमें अगर प्राथमिकता के आधार विचार करना हो तो मजबूर हो कर उसमें स्वास्थ्य को प्राथमिकता के आधार पर प्रथम स्थान देना होगा। मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग में मैं पहले तो माननीय मन्त्री जी का ध्यान पुरानी पद्धतियों की ओर ले जाना चाहूंगा कि हमारे विद्वान डाक्टरों ने यह सोच लिया है

[डा० बृज किशोर मिश्र--]

कि एलोपैथिक व्यवस्था ही एक ऐसी व्यवस्था है, एलोपैथिक का डाक्टर ही एक ऐसा जीवन रक्षक है जो इस शरीर की रक्षा कर सकता है, इसको कायम रख सकता है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुरानी परम्पराओं को देखते हुए, विगत इतिहास को देखते हुए, ऐसा पाया गया कि पुरानी पद्धति में इनके पास अगर थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट था तो वह टारचरस ट्रीटमेंट था । इनके पास कोई दवा नहीं थी, कोई जांच नहीं थी, जो ट्रीटमेंट था वह टारचरस था । एलोपैथिक में जहां तक मेरा जानकारी है, मेडिसिन चिकित्सा में कारगर नहीं रहे हैं । इनकी दवाइयां हैं वह एक्यूट डिजीजेज में काम आती हैं वहां आयुर्वेदिक, होमियोपैथी, यूनानी दवाइयां भी काम में लाई जा सकती हैं परन्तु यह इस बात पर निर्भर करता है कि डाक्टर कितना सक्षम है । साधारण सा फीवर है तो उसमें डाइक्लेस्टेसीन इन्जेक्शन दे देंगे । कुछ ऐसी बीमारियां हैं श्रीमन्, जिनका क्योर एलोपैथिक में नहीं है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अंग्रेजी दवाओं के ऊपर जितना खर्च होता है अगर इसी अनुपात में यूनानी और होमियोपैथी पर खर्च करें तो उससे काफी सुधार हो सकेगा । गरीबों के ऊपर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, उन्हें काफी मदद मिल सकेगी और यह दवायें भी अंग्रेजी दवाओं की अपेक्षा अधिक कारगर होंगी । क्रानिक डिसइन्ट्री हो जाय, इरिजमा हो जाय, अन्य तमाम प्रकार की बीमारियां हैं जो एलोपैथिक दवाओं से ठीक नहीं हो सकती । मैं आपका ध्यान उस ओर ले जाना चाहता हूं ।

(लाल बत्ती जलने पर)

दो मिनट और लूंगा । कुछ चीजें जरूरी हैं ।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा । इनके पास एनाटोमी, फिजियालोजी का ज्ञान होता है । जो मेडिकल आफीसर्स हैं वह सर्जरी में माहिर हो सकते हैं । डिहाइड्रेशन अगर है, आयुर्वेदिक दवा मिलती रहे, मरीज कोलैप्स हो जायेगा, इन्जेक्शन लगना होगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो गया ।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

माननीय, मेरी तो आधी बात रह गयी ।

इन शब्दों के साथ में बजट का समर्थन करता हूं । एक बात और कहूंगा कि गोरखपुर में मेडिकल कालेज दिया है । देवरिया जिले में पड़रौना में निश्चित रूप से मेडिकल कालेज देने की कृपा करें ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि अपने अपने पड़ोसी की तरफ ध्यान दिया । मैं श्री रियासत हुसैन द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उसके समर्थन में बोलने जा रहा हूं । स्वास्थ्य मंत्री जी का जैसा भाषण हुआ उस तरह के भाषण हुआ करते हैं, ऐसी परम्परा है । एक पत्र जो माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा 5 सितम्बर को परिचालित किया गया, जिसमें दो करोड़ दवाओं का घोटाला और 12 उच्च अधिकारियों का निलम्बन है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह पहली पकड़ है । इसलिये कड़ी सजा देने में कमी नहीं आनी चाहिये वरना जैसाकि श्री गौरीशंकर जी ने शंका व्यक्त की, वह बिलकुल सही बात होगी ।

मान्यवर, 10 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में 50 प्रतिशत से ज्यादा लोग गरीब हैं। लेकिन अस्पतालों में देखा जाय तो जहां गरीब जाते हैं, वहीं बड़ी बड़ी तोंद वाले भी जाते हैं। तो देखें जिनके पास भोजन में पूरा संतुलित आहार मिल जाता है, उनको अस्पतालों में जाना पड़ता है, जिनके पास खाने के लिये साग और रोटी भी नहीं है, उनकी क्या दशा होगी। तो सोचने की शैली भी ऐसी होनी चाहिये जिससे जो गरीब स्तर के लोग हैं, उनका कल्याण हो सके। यह इसलिये कह रहा हूं कि माननीय मंत्री जी तो स्वयं एक बहुत अमीर आदमी हैं। इसलिये इसके बारे में गरीबों को ध्यान में रखकर सोचना चाहिये। मान्यवर, प्रति व्यक्ति के हिसाब से बहुत ही कम दवाइयों का औसत आता है जो बहुत ही नगण्य है।

मान्यवर, इस समय अधिकतर टी0 बी0 के जो पेशेंट हैं, उनके लिये, जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा, एक्सरे प्लान्ट नहीं हैं। कानपुर जैसे शहरों में जहां वायु प्रदूषण की समस्या है, वहां टी0 बी0 का बहुत तेजी से प्रसार हो रहा है। इसलिये इसमें तेजी से पकड़ करनी चाहिये। मान्यवर, जीवन-रक्षक दवाओं के अभाव में मान्यवर, बहुत तेजी से मौतें हो रही हैं। इसकी ओर भी ध्यान जाना चाहिये। इसी तरह से तेजी से बढ़ रही जन संख्या के बारे में कठोर कदम तो न लें लेकिन उसके लिये भी कुछ कार्यक्रम चलाते रहें तो उससे फायदा होगा ताकि और आगे जनसंख्या इतनी जीते से न बढ़ सके।

मान्यवर, इस वर्ष बाढ़ और बारिश की समस्या है। मेन्जइटिस नामक रोग बड़ी तेजी से बाढ़ वाले इलाकों में फैल रहा है। लोगों का माथा फट रहा है और दवा दारू की समुचित व्यवस्था नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की क्या दशा है, इसके बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने पहले कह डाला है। एक बात और कहना चाहता हूं कि मान्यवर, गोरखपुर जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महराजगंज है जिसे क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूं। वहां के बारे में आपके कांग्रेस (आ.ई) के अध्यक्ष मिले भी थे और अपनी वेदना जाहिर की थी। वहां पर दो डाक्टर हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। परिवार नियोजन का जो भवन है, उसमें स्वयं रहते हैं और परिवार नियोजन का कार्यक्रम चल नहीं पा रही है। यह तो भवन नहीं है, इसलिये वे परिवार नियोजन वाले कमरे में पड़े हुये हैं। तो इसकी ओर ध्यान दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय जानते हैं कि हमारा क्षेत्र जंगल का एरिया है। 30/30 किलोमीटर तक कहीं भी अस्पताल नहीं है। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि बागाबार ब्लाक तथा पकड़ी रेंज में 3/4 ऐसी जगह हैं जहां अस्पताल की व्यवस्था करने की कृपा करें। ठांगिया लोग जो जंगल में नर्सरी लगाने का काम करते हैं, मान्यवर, बारिस की कीचड़ में सड़ जाते हैं। उनके लिये कोई दवा-दारू की व्यवस्था नहीं है। मैं जिस गांव विशुनपुरा का रहने वाला हूं गोरखपुर में बहमपुर ब्लाक है। एक डाक्टर गुप्ता की विशुनपुरा में पोस्टिंग हुयी है। उनके बच्चे वहां बीमार रहते हैं। मैंने पत्र लिखा चूंकि इनके बच्चे मेडिकल कालेज में भर्ती हैं तो इनकी परेशानी को देखकर वहां कोई दूसरा डाक्टर नियुक्त किया जाय। आपके निदेशालय ने क्या किया? उन्होंने डाक्टर के हटने का काम तो कर दिया लेकिन नये डाक्टर को भेजने का काम नहीं किया। मान्यवर, अगली बात में यह कहना चाहता हूं कि बरसात के मौसम में शहरी और देहाती, हर इलाके में सांप निकलते हैं। प्रदेश में बहुत सी जगहों पर सर्पदंश से

[श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—]

बहुत सी मौतें हो रही हैं। आप सर्वे कराइये तो पता चलेगा कि अस्पताल में चाहे प्रौढ़ हों या बच्चे हों सर्पदंश के बाद बच नहीं पा रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि सर्पदंश की दवायें अगर अस्पताल तक भिजवा दें तो आस पास के एरिया में जितने लोगों को सांप काटेंगे कम से कम उनकी जीवन रक्षा तो हो सकेगी।

मान्यवर, यह जो 1979-80 रिपोर्ट, स्वास्थ्य-समीक्षा नाम की पुस्तिका वितरित की गयी है इसके पेज नं0 16-17 को देखने की कृपा करें। तो प्रथम श्रेणी के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं, इसमें लिखा हुआ है कि प्रथम श्रेणी में 475 स्थायी कर्मचारी हैं और 235 अस्थायी कर्मचारी हैं। इनमें से अनुसूचित जाति के कुल 4 कर्मचारी हैं। इनका जो प्रतिशत है वह 0·56 प्रतिशत है। अनुसूचित जनजाति में प्रथम श्रेणी का कोई कर्मचारी नहीं है। दूसरी श्रेणी में स्थायी कर्मचारियों की संख्या 885 है, अस्थायी कर्मचारियों की संख्या 3274 है। इसमें से अनुसूचित जाति के 5 स्थायी कर्मचारी हैं और 75 अस्थायी कर्मचारी हैं। इनका प्रतिशत 1·92 प्रतिशत आता है। अनुसूचित जनजाति में स्थायी कर्मचारी 6 और अस्थायी कर्मचारी 31 हैं। इनका प्रतिशत 0·89 आता है। तृतीय श्रेणी में 8521 स्थायी और 31136 अस्थायी कर्मचारी हैं। इनमें से 659 स्थायी और 3241 अस्थायी अनुसूचित जाति के कर्मचारी हैं। इनका प्रतिशत 9·93 आता है। इसी तरह से अनुसूचित जनजाति के तृतीय श्रेणी में 24 स्थायी और 176 अस्थायी कर्मचारी हैं। इनका प्रतिशत 0·50 है। इस सूची को देखने से पता चल जायगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का इन सेवाओं में क्या प्रतिशत है। अंत में आते हैं स्वीपर, जो काम कोई नहीं कर सकता उसमें 98·96 प्रतिशत अनुसूचित जाति के कर्मचारी हैं। इससे पता चलता है कि आपने कितनी प्रगति की है। स्वीपर, जिसमें सवर्ण नहीं जा सकते डोम वगैरह जाते हैं उसको आप जोड़कर कह देंगे कि इनका प्रतिशत पूरा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपकी नीयत अगर साफ है तो इन ऊंची सेवाओं में कोटा पूरा करें और पी0 एम0 टी0 वगैरह में अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लोगों को बढ़ायें। जो विद्यार्थी प्रतिभावान हैं, उदीयमान हैं उनको आप सुविधा दीजिये और पी0 एम0 टी0 में उनको पढ़ाने की सुविधा प्रदान करें।

माननीय उपाध्यक्ष जी, आप तो जानते हैं, सिसवा, घुघली, पडरौना, हाटा, सरैया सरदार नगर के चीनी मिल के एरिया में वायु दूषण बहुत ज्यादा है। वहां का जल भी दूषित हो जाता है और उससे आस-पास के लोग ग्रसित होते हैं। स्वास्थ्य विभाग इस सम्बन्ध में संम्पिल नहीं भरता तथा सर्वे नहीं करता है। सरदार नगर में सुरेन्द्र सिंह मजीठिया की चीनी मिल है। आपका लगाव अच्छा होगा। उसका पानी 1.2 किलोमीटर, फरेन नाले में बहता हुआ जाता है और वातावरण को दूषित करता है। मैंने इस सम्बन्ध में 1969 में यहां सवाल भी पूछा था। ग्राम समाज के तालाबों की मछलियां मर जाती हैं। उस समय केवल प्रधानों से लिखाकर ले लिया गया, नौकरी को लालच देकर कि मिल में भर्ती करा देंगे, लिखा लिया कि कहीं भी क्षति नहीं होती है।

अंत में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे अपना मत व्यक्त करने के लिये अवसर दिया।

*श्री चन्द्र शेखर त्रिवेदी--

मान्यवर, माननीय रियासत हुसैन द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध मैं करता हूं। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट की मांगों का समर्थन करता हूं। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य के विषय में पहली बार बड़े व्यापक रूप से विचार किया और उन्होंने चाहे एलोपैथिक चिकित्सा हो या होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक या यूनानी चिकित्सा हो और चाहे देहातों में चिकित्सा की बात हो, हर विषय पर गहन रूप में उन्होंने अध्ययन किया और उसके बाद इन 5 वर्षों में प्रदेश में चिकित्सा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का प्रयास मंत्री जी कर रहे हैं। मान्यवर, श्री रियासत हुसैन जिक्र कर रहे थे 10 पैसे के पर्चे का। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि जब उनकी जनता सरकार थी जिसके 3 वर्षों में उसने आकर एक जबरदस्त आदेश निकाला कि स्वास्थ्य विभाग के पर्चों के ऊपर जो एक रुपया लिया जा रहा है वह गलत है और समाजवादी समाज में यह गलत है इसलिये उन्होंने एक रुपये के पर्चे को समाप्त किया। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने 4 आने पर्चे की फीस लगा दिया और उसके बाद में आठ आने कर दिया जो कि अभी तक चल रहा है। हमारे विरोधी पक्ष के मान्यवर, जो सदस्य बोल रहे थे उन्होंने अधिकतर स्वास्थ्य मंत्री के विचारों का सम्मान किया है। लेकिन हमारे गौरी शंकर ने गर्मी में आकर कुछ और बोल गये और व्यक्तिगत आक्षेप भी किये। वह नवजवान व्यक्ति हैं, उनको यह नहीं करना चाहिये था। स्वास्थ्य मंत्री जैसा आदमी तो मिलना मुश्किल है।

मान्यवर, जहां तक देहात की चिकित्सा का सवाल है तो स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि एक पी० एच० सी० पर 7 से 10 सब सेन्टर होते हैं। एक पी० एच० सी० में 20 हजार मरीजों के देखने की व्यवस्था है और सब सेन्टर पर 10 हजार की, स्वास्थ्य मंत्री जी इसको घटाकर 5 हजार करना चाहते हैं। तो सुझाव यह अच्छा है। लेकिन मैं एक सुझाव मंत्री जी को देना चाहता हूं कि सब सेन्टर में महिलाओं को देखने की और उनके दवा की व्यवस्था है किन्तु पुरुषों के दवा की व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, जैसा प्रदीप कुमार यादव जिक्र कर रहे थे कि स्वास्थ्य रक्षकों को रक्षक बनाकर रखना चाहिये तो मैं उसके विरुद्ध हूं क्योंकि 5 वर्ष तक जो डाक्टर शिक्षा पाते हैं मेडिकल कालेजों में वह तो रोग का निदान नहीं कर पाते हैं तो 30 दिन की ट्रेनिंग के बाद जो चौधरी चरण सिंह के हनुमान हैं वह देहातों में क्या इलाज करेंगे। इसकी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं कि उन्होंने सुइयां लगायीं तो उसके फोड़े बन गये और बहुत से मरीज तो मर गये। तो मैं समझता हूं कि इसको समाप्त कर देना चाहिये और उनको जो 50 रुपये महीने वेतन मिलता है और 50 रुपये की जो माहवारी दवाइयां मिलती हैं, तो उसमें कितनी वह मरीजों को देते हैं और मुझे तो सूचना मिली है कि वह सब दवाइयां बेंच देते हैं, उससे करोड़ों रुपये की बचत होगी और फिर वह रुपया जो बचेगा उससे एक-एक डाक्टर सब सेन्टर पर तैनात कर दें तो इससे बड़ी भारी चिकित्सा की सुविधा देहातों में मिल जायेगी और देहातों से जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्र शेखर त्रिवेदी--]

पी० एच० सी० पर हजारों की तादाद में मरीज आते हैं उनकी संख्या में कमी होगी ।

मान्यवर, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि देहात में स्त्री चिकित्सा की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो मौजूदा अस्पताल हैं उनमें एक-एक महिला डाक्टर की नियुक्ति कर दी जाय और एक-एक कमरा, न हो तो निर्मित करा दिया जाय तो स्त्री चिकित्सा की समस्या हल की जा सकती है और इसकी तुरन्त आवश्यकता है ।

मान्यवर, शहरों में दांत, कान, नाक, आंख इन सब की जांच की व्यवस्था है लेकिन देहातों में इसकी जांच की कोई व्यवस्था नहीं है । इसलिये देहातों में भी इसके जांच की व्यवस्था के लिए डाक्टरों की नियुक्ति की आवश्यकता है ।

दूसरी बात मैं परिवार नियोजन के बारे में कहना चाहता हूं । 1977 के चुनावों में, मान्यवर, जो हमारे विरोधी पक्ष में बैठे माननीय सदस्य हैं वे इसका हुड़दंग कर जीत कर आ गये थे लेकिन इस बात को वे भी नहीं छोड़ सके। इन्होंने भी जिले-जिले में कोटा फिक्स किया और फिक्स करके परिवार नियोजन को आगे नहीं चला सके । इस काम को चलाने की आवश्यकता है । जरूरत इस बात की है कि जो देहात के लोग हैं चाहे प्रधान हों, चाहे मुखिया हों, गांव के संभ्रान्त लोग हों, जो गांव के रहने वाले लोग हैं, उनकी इसमें दिलचस्पी की आवश्यकता है । इसके लिए मेरे सुझाव यह हैं कि जैसे हम खाद बेचते हैं, 100 रुपये बोरी खाद के दाम हैं, तो जो परिवार नियोजन को अपना ले उसे खाद में 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत, 20 प्रतिशत की छूट हम को देनी चाहिए, जो कोआपरेटिव के कर्जदार हैं उनमें हमें छूट देनी चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री चन्द्र शेखर त्रिवेदी--

एक बात और कहना चाहता हूं । देहातों में जो आयुर्वेदिक डाक्टर नियुक्त किये जा रहे हैं उनके साथ कम्पाउन्डर नहीं मिलते । कम्पाउन्डरों की नियुक्ति हो जाय तो होम्योपैथिक डाक्टर, आयुर्वेदिक डाक्टर अपना काम ठीक से चला सकेंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने मांग रखी है उसका समर्थन करता हूं ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे रियासत हुसैन जी के कटौती प्रस्ताव पर विचार प्रकट करने का समय दिया ।

मान्यवर, स्वास्थ्य मंत्री जी का ओजस्वी भाषण सुनने को मिला । प्रदेश की जो जनसंख्या है उसके अनुपात में जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने यह बजट पेश किया है उसको हम देख ता रहे हैं तो 12 आने प्रति व्यक्ति भी मेरे ख्याल से'' (व्यवधान) ''दवा तो रही दूर, डाक्टरों की तनख्वाह, यात्रा भत्ता और मरीजों का खाना, बिल्डिंग और जो सारी चीजें हैं, मेरे ख्याल से दवा तो पांच पैसे प्रति व्यक्ति नहीं बैठेगी । इन 34 वर्षों में जब हम समाजवाद समाज की दुहाई देते हैं

तो हमें यह देखने को मिलता है कि हम समाजवादी समाज तो रहा अलग पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं ।

मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं मेरे पूर्व वक्ताओं ने, दोनों पक्षों के सदस्यों ने, बहुत से उदाहरण दिये और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने शांतिपूर्वक उनकी बातें सुनी । मान्यवर, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । मैंने इस बात को माननीय मंत्री जी से कही था जिस क्षेत्र से मैं आता हूं उस क्षेत्र में जो चिकित्सक हैं वे यहां रहना नहीं चाहते और यह कहते हैं कि हम अगर मरीज को अच्छा करेंगे तो हमारा तबादला नहीं होगा । इसलिए हम अच्छा काम नहीं करेंगे । मान्यवर, डा0 भदौरिया स्यालदे डिसपेन्सरी में आये तो हम उनसे मिले, उनका सम्मान किया और हम खुश हुए कि हमें एक डाक्टर मिल गया । उन्होंने कहा कि मैं अच्छा करने नहीं आया हूं क्योंकि अच्छा करूंगा तो मेरा ट्रान्सफर नहीं होगा । कुछ दिनों के बाद, मान्यवर, एक बीमार बच्चा अस्पताल में आया । हमने कितना आराधना की कि डाक्टर साहब इस बच्चे को देख दीजिए । बच्चा तड़प रहा था, मां रो रही थी, बाप बिलख रहा था, लेकिन मान्यवर, डाक्टर ने बच्चे को नहीं देखा । 6, 7 घंटे बाद वह बच्चा इस संसार से चला गया । मैंने स्वास्थ्य मन्त्री जी को यह बात बतलाई थी । विकास खंड सल्ट में प्राइमरी हेल्थ सेन्टर पर दो डाक्टर हैं डाक्टर चौहान तथा डाक्टर सिद्दीकी । डाक्टर चौहान दो वर्ष से वेतन ले रहे हैं लेकिन दिखाई कभी नहीं देते और डा0 सिद्दीकी गोली खा कर औंधे पड़े रहते हैं । स्वास्थ्य मन्त्री जी ने कहा कि वह जांच करेंगे । सी0एम0ओ0 अल्मोड़ा से मैं मिला तो उनके पास भी यह शिकायत आई थी । मेरा कहना यह है कि अधिकांश डाक्टर शहरों के रहने वाले होते हैं लेकिन देहात की रहनुमाई करते हैं । मैंने एक प्रश्न किया था स्वास्थ्य मन्त्री से कि मेरे क्षेत्र में कितने चिकित्सालय ऐसे हैं जहां डाक्टर नहीं हैं । मन्त्री जी ने बतलाया 13 चिकित्सालयों में चिकित्सक नहीं हैं । इसके अलावा एक महिला चिकित्सालय है जिसका जिक्र नहीं किया गया था । इस प्रकार 14 चिकित्सालय रानीखेत के तहसील में ऐसे हैं जहां चिकित्सक नहीं हैं । मैंने यह भी बतलाया था कि मेरे क्षेत्र में बहुत से चिकित्सालयों में न डाक्टर हैं, न कम्पाउन्डर हैं, न वार्ड ब्वाय हैं, और उनसे स्वीपर दवा बांटते हैं । डाक्टर गरीब परिवारों से न ले कर बड़े-बड़े परिवारों से लिये जाते हैं । जब स्थानान्तरण की बात आती है तो उनका दबाव पड़ता है ऊंचे आफिसर्स के द्वारा या नेताओं के द्वारा । मेरा निवेदन है कि कोई आरक्षण रखा जाये जिसमें गरीब लोगों को भी लिया जाय ।

दूसरे टी0 बी0 बहुत बुरी तरह से फैल रही है । भुवाली सेनिटोरियम जो है वहां जो सुपरिंटेंडेंट डाक्टर है ऐसा सुनने को मुझे मिला है कि जब तक उनको 400 रुपया नहीं दिया जाता है तब तक वह किसी मरीज को दाखिला नहीं देते और इस प्रकार कोई गरीब मरीज नहीं लिया जाता । वहां पर मुफ्त इलाज होना चाहिये और कोई भी आदमी भरती किया जाना चाहिये ।

श्रीमती बेनी बाई—

मान्यवर, मैं आपकी अभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया और स्वास्थ्य मन्त्री जी को भी बधाई देती हूं कि उन्होंने इस विभाग को संभालते ही अस्पतालों में छापा डाला जिससे कई करोड़ रुपये का घुटाला सामने आया । इसका सारे

[श्रीमती बेनी बाई--]

प्रदेश में बहुत अच्छा असर पड़ा । यह जो दवाइयों के स्टोर हैं मेरा निवेदन है कि हर 15 दिन में इन पर छापे मारे जाने चाहिये । जो कैपसूल बेचे जाते हैं उनमें बेसन, चूना व हल्दी भरी होती है । अगर छापे मारे जायेंगे तो वे सतर्क रहेंगे । मैं यह भी निवेदन करूंगी कि हमारे भूतपूर्व केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री ने दर्जा चार पास डाक्टर बनाये थे। जो जन स्वास्थ्य रक्षक के नाम से रखे गये हैं और एक हजार की आबादी पर रखे गये हैं । उनको पचास रुपये महीने दिये जाते हैं । उनको जो दवा मिलती है उसे वे बाजार में बेच देते हैं और इस तरह से 50 रुपये उससे भी कमा लेते हैं । इस प्रकार 100 रुपये महीने उनकी जेब में चला जाता है । इससे करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है । मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगी कि हर पांच गांवों की आबादी में एक दवाखाना यदि खुलवा दें, एक वहां डाक्टर की व्यवस्था कर दें, एक कम्पाउन्डर की व्यवस्था कर दें और एक वार्डबाय रख दें जिससे शासन के धन का इस तरह से दुरुपयोग न हो सके । मान्यवर, प्रदेश में 9 मेडिकल कालेजेज हैं । 6 मेडिकल कालेज ऐसे हैं जिनमें स्थायी प्रधानाचार्य नहीं हैं । जैसे झांसी में है । 8 महीने से वह कालेज बिना प्रधानाचार्य के चल रहा है जिससे वहां की सारी व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो रही है । इसी तरह से जैसे ही वहां से एक डाक्टर हटाया जाता है कोई दूसरा डाक्टर नहीं आता ।

अतः मैं निवेदन करूंगी कि किसी भी डाक्टर के एक जगह से हटने पर तुरन्त उसकी जगह को भर देना चाहिए ताकि मरीजों को दिक्कत न हो । इसके साथ ही साथ वहां पर 4 विशेषज्ञों के स्थान रिक्त पड़े हुये हैं - जैसे टी0 बी0, नेत्र, सरजरी और बाल रोग । दूसरी बात यह है कि झांसी मेडिकल कालेज में एक कैंसर यूनिट अवश्य आप खोलें । बगैर उसके सारा कालेज आधा लगता है क्योंकि कैंसर के मरीजों को बम्बई और कानपुर आना पड़ता है जिससे वहां लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है । इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वहां एक कैंसर की यूनिट अवश्य खोल दें । इसके अतिरिक्त झांसी मेडिकल कालेज सिटी से लगभग 6 मील की दूरी पर है जिससे नगरपालिका की एक-दो किलोमीटर तक तो स्ट्रीट लाइट है और बाकी रास्ते में लाइट की व्यवस्था नहीं है । इसके सम्बन्ध में एक बार इस्टीमेट भी कई वर्षों पहले सैंकशन हुआ था लेकिन अभी उस बारे में कुछ नहीं किया गया है । बुन्देलखंड में मैंने देखा है और खास तौर से झांसी और ललितपुर में मैं समझती हूं कि अधिकांश दवाखाने खाली पड़े हुये हैं । उनमें डाक्टर हैं ही नहीं । इसलिये वहां पर डाक्टरों की नियुक्तियां की जानी चाहिये । चाहे वे एलोपैथिक हों या आयुर्वेदिक हों । हमारे यहां तीन महत्वपूर्ण कस्बे हैं - बरुवासागर, बबीना और मऊरानीपुर। बरुवासागर सब्जी और मऊरानीपुर में गल्लामंडी है लेकिन बबीना में फौजी छावनी है । इन जगहों पर अस्पतालें अवश्य खोल दें उनमें एक-एक डाक्टर, एक-एक कम्पाउन्डर तथा एक-एक वार्डबाय की व्यवस्था करा दें ।

इसके अतिरिक्त अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि जो 50 पैसे परचे की फीस आप मरीजों से लेते हैं उसको 10 पैसा किया जाना चाहिये । चालीस पैसा उसे कम कर दें । इससे मरीजों को बड़ी दिक्कत होती है । यह जनता पार्टी के समय में बढ़ा था ....

श्री मुख्तार अनीस--

यह गलत है । यह आपके समय में ही बढ़ा था ।

श्रीमती बेनी बाई--

श्रीमन् इन शब्दों के साथ में इन मांगों का समर्थन करती हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं ।

*श्री दलगंजन सिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । इस विभाग को भ्रष्टाचार ने पूरी तरह से ग्रस लिया है और उसके इन्तजाम के लिये सरकार जो प्रयत्न कर रही है उसके लिये वह बधाई की पात्र है । लेकिन यह बहुत नाकाफी है । आज जो स्थिति अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में हो रही है उससे सभी लोग पूर्णरूप से परिचित हैं । आज हम चाहे फूड एल्ट्रेशन को लें उसके लिये कानून बहुत सख्त कर दिया गया है और हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट ने नजीरें भी ऐसी दे दी हैं कि मुलजिम के छूटने की गुंजाइश बहुत कम रह गई है । लेकिन फिर भी मिलावट दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है । कहने का मतलब यह है कि अपराध की सजा निश्चित कर देना ही अपराध रोकने का रास्ता नहीं है । जहां तक सरकार के प्रयत्नों का सवाल है मन्त्री जी कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम गांवों में डी0डी0टी0 छिड़कवाने की व्यवस्था कर दें । मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में कहूंगा कि हमारे यहां पानी भरा हुआ है और मच्छर बहुत हो रहे हैं मैंने सी0एम0ओ0 से बात की कि डी0डी0टी0 छिड़कवा दें क्योंकि मच्छर बहुत हो गये हैं जानवर और आदमी रात-रात भर सो नहीं पा रहे हैं लेकिन उन्होंने अपनी मजबूरी जाहिर कर दी । मैं यहां डायरेक्टर महोदय से भी मिला उन्होंने भी कहा डी0डी0टी0 नहीं है । इसलिये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि डी0डी0टी0 छिड़कवाने की व्यवस्था कर दें ।

एक बात और कहूंगा अपने क्षेत्र के बारे में हमारे यहां ग्राम पतरही, जनपद जालौन में डिस्पेन्सरी भवन बना हुआ है और उसे 5 साल हो गये हैं । वहां पर कोई डाक्टर नहीं है और न ही कम्पाउन्डर है । मैंने सी0एम0ओ0 महोदय से कहा हम इससे तसल्ली कर लेंगे डाक्टर को छोड़िये कम्पाउन्डर ही भेज दीजिये ताकि वहां के लोगों को थोड़ी बहुत मलेरिया की गोलियां ही उपलब्ध हो सकेंगे । लेकिन सी0एम0ओ0 का कहना यह है कि कोई भी कम्पाउन्डर हमारे आदेश से वहां जाने को तैयार नहीं है । तो आज यह स्थिति पैदा हो गई है । सरकारी अस्पतालों की और प्रशासन की आज यह स्थिति है तो मेरा सदन में पूरी गंभीरता के साथ मत है कि अगर यही व्यवस्था चलना है, यही चलती रहेगी जिसमें मन्त्री जी कुछ नहीं कर पायेंगे क्योंकि पूरा विभाग ही भ्रष्ट है तो इसके लिए सारे अस्पतालों को तोड़ दिया जाय । यहां केवल स्वस्थ लोगों का इलाज होता है, केवल उन्हीं को मेडिकल सुविधायें मिलती हैं जिनके पास पैसा है या जो सोसायटी में ऊंचा स्थान रखते हैं बाकी गांवों के रहने वालों को कोई सुविधा प्राप्त नहीं है ।

मैं अपने जनपद उरई की ओर से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । हमारे यहां का सिविल हास्पिटल लड़ाई का अखाड़ा बना है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री दलगंजन सिंह--]

कम्पाउडर-कम्पाउन्डर और डाक्टर-डाक्टर आपस में लड़ रहे हैं। सी0एम0ओ0 बेचारे बीमार हैं उनको अस्पताल के प्रशासन से कोई वास्ता नहीं है और न ही वे सी0 एम0 ओ0 की बात मानने को तैयार हैं। आये दिन कम्पाउन्डर और डाक्टर जलूस बना कर नारे लगा रहे हैं और एक दूसरे को भद्दी-भद्दी गालियां दे रहे हैं। जहां तक दवाइयों का सवाल है 8 आने पर्ची बनाने के ज़रूर लगते हैं लेकिन मरीजों को सड़ी गली और पुरानी गोलियां जो टाइम बार्ड हो गयी हैं मुश्किल से 10 पैसे की मिलती हैं। यह स्थिति पैदा हो गयी है सारे जिले में पूरे प्रदेश में अस्पतालों की। अस्पताल में कोई भी मरीज जाय उसको दवाईयां बाहर से लाने के लिए लिख देते हैं अगर उसने डाक्टर को पैसा दे दिया तो उसको अस्पताल से दवाइयां मिल जायेंगी। किसी भी मरीज को आप दिखाने जाएं, तो बिना पैसा लिए हुए कोई भी डाक्टर, नर्स या कम्पाउन्डर उसका इलाज करने के लिए, दवा देने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। मैं आपको एक घटना सुनाना चाहता हूं, एक स्त्री के बच्चा होना था, किसी तरह से वह बच्चा उसके पेट में उलट गया। रोती-चिल्लाती किसी तरह वह स्त्री अस्पताल में पहुंचती है और वह डाक्टरी मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई भी नर्स उसको अटेन्ड नहीं करती है। लेकिन जब बाद में एक पड़ोसी की मरीज उससे कहती है कि 40 रुपया जब नर्स को दिया जाएगा तभी वह उसे देखेगी। विवश होकर उसे स्त्री ने उरई से अपने पति को बुलवाया और उसका बेचारा गरीब पति वहां चारों तरफ रुपयों के लिए भीख मांगता फिरा और जब किसी तरह से उसने 40 रुपये एकत्रित करके जब नर्स को दिये, तो उसने उसकी स्त्री को अटेन्ड किया। दुर्भाग्य से उसके मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। स्टोरी का अन्त यहीं नहीं हुआ। उस मरे बच्चे को, जन्म लेने के बाद नर्स ले गई और जब गाड़ने के लिए उनके द्वारा मांगा गया तो एक बार फिर 40 रुपये लेकर ही उसे मरे हुए बच्चे को दिया गया। यह रोज की घटनाएं हैं, एक दिन की नहीं हैं। मैं तो ऐसा मानता हूं कि जब यह बीमारी क्योरेबल नहीं रह गई है। दवाओं के स्कैन्डेल जो पकड़े गये हैं वह काफी नहीं हैं, प्रत्येक जिले और प्रत्येक अस्पताल में यही भ्रष्टाचार का हाल है। इसको मंत्री जी रोकना चाहते हैं तो मेरी उनकी सलाह है कि उनको उनके साथ डी0-आई0 आर0 का इस्तेमाल करना चाहिए और साथ ही विधायकों का भी कर्तव्य है कि वह इस भ्रष्टाचार से दूर रहें। अभी लाबी में लोग कह रहे थे, कि विधायक लोग फर्जी दवाएं सरकारी अस्पतालों से लिया करते हैं--एक-एक विधायक हजार और दस हजार की दवाएं ले रहा है। जब हमारा यह चरित्र होगा तो उनको हम कैसे रोक पाएंगे। पहले हमें अपने आपको रोकना होगा

(व्यवधान)

यह हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, हमें अपने अन्दर देखना चाहिए। हम इस सूबे और इस सरकार को चलने वाले हैं, हमारा यदि यही चरित्र रहेगा तो हम डाक्टरों और अस्पतालों को क्या सम्भालेंगे? इसलिए मैंने एक रेफरेंस दे दिया, ताकि सनद रहे और वक्त पर काम आवे।

एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे जिले में कोई भी एक्सरे बिना पैसा दिये हुए नहीं होता। एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं कि एक मामले में एक एफ0 आई आर0 की गई थी और कहा गया था कि हमारे सामने से मुलजिम ने गोली मार दी। पोस्टमार्टम के लिए उसकी लाश गई तो डाक्टर ने पीछे से गोली लिख दी और इस तरह मुकदमा छूट गया। यह सब हो रहा है और डाक्टर कर रहे हैं। क्या सुधार होगा, क्या मंत्री जी कर पाएंगे?

इसलिए मेरा सुझाव है कि सब अस्पताल बन्द कर दिये जाएं, ताकि गरीबों का पैसा बर्बाद न किया जाए और जैसे वह पहले अपना इलाज कराते थे, उसी प्रकार से उसे अपने इलाज की सुविधाएं मिल सके।

श्री विनोद कुमार—

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि मुझे स्वास्थ्य के बजट पर बोलने का अवसर दिया। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्वास्थ्य का जो बजट आज सदन में प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। मेरी जानकारी में, जो यह बजट पेश किया है, उसके पूर्व कोई भी बजट इतना अच्छा नहीं आया है। विपक्षी सदस्यों ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका घोर विरोध करता हूं, क्योंकि उन्हें क्षेत्र की जनता ने इसलिए चुनकर भेजा है कि वह गरीबों के हर दुख दर्द में काम आवें, इसके लिए नहीं। स्वास्थ्य विभाग के बजट पर जो इन लोगों ने कटौती का प्रस्ताव रखा है वह बहुत ही निंदा की बात है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि यदि सदन में कोई अच्छी चीज रखी जाती है तो उसका स्वागत करें। जहां तक स्वास्थ्य बजट का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि उसे ये हृदय से तो अच्छा मानते हैं लेकिन चूंकि उनकी आदत विरोध करने की बन गयी है, इसलिए ये विरोध करते हैं।

अभी यहां पर हमारे स्वास्थ्य मन्त्री जी ने कहा था कि 5 हजार की आबादी पर ये एक उप स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना करेंगे। यह उनका कदम बहुत ही सराहनीय है।

अब मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आयुर्वेद की ओर ले जाना चाहता हूं। उन्होंने स्वयं ही आयुर्वेद की ओर काफी ध्यान दिया है लेकिन मैं समझता हूं कि इतना ही पर्याप्त नहीं है। यदि वास्तव में आयुर्वेद का विकास करना हो तो मैं श्रीमन्, आपके माध्यम से मांग करता हूं कि आयुर्वेद का पृथक् मंत्रालय स्थापित किया जाय और इसके विकास के लिए, आवश्यक है कि प्रथम आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय तभी इसका विकास सम्भव हो सकेगा अन्यथा आयुर्वेद का विकास केवल कागजों तक ही सीमित रह जायेगा। और व्यवहारिक रूप में सम्भव नहीं होगा। अब मैं कुछ सुझाव मान्यवर, आपके माध्यम से, आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के सम्बन्ध में देना चाहता हूं। आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में जहां पर 4 शैय्याएं है उनके लिए केवल 1500 रुपये वार्षिक बजट दिया जाता है जिससे दवाओं, साबुन, तौलिए आदि की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। 1500 रुपये प्रति वर्ष के बजट का अर्थ है 125 रुपया प्रतिमाह अर्थात् 4 रुपये प्रति दिन उस चिकित्सालय के खर्चे पर बजट का रुपया आता है। यदि वहां पर उदाहरण के लिए यदि 40 मरीज ही कम से कम आते हों तो एक मरीज के ऊपर वहां के मेडिकल आफिसर द्वारा 10 नये पैसे की दवाई दी जा सकती है। मैं समझता हूं कि किसी भी मरीज के लिए 10 पैसे में उसे दवाई देना सम्भव नहीं है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आयुर्वेदिक औषधालयों में 1500 रुपये से अधिक का बजट बढ़ाने की कृपा करें।

जहां तक हमारे प्राथमिक केन्द्रों का सवाल है वे प्रदेश में 931 हैं। आयुर्वेद के विकास के लिए यह आवश्यक है कि उन पर एक थर्ड मेडिकल आफिसर की नियुक्ति होनी चाहिए और वह थर्ड मेडिकल अफसर आयुर्वेद के

[श्री विनोद कुमार--]

स्नातक के रूप में होनी चाहिए। यदि हर केन्द्र पर एक आयुर्वेद के स्नातक को तृतीय मेडिकल आफिसर के रूप में नियुक्ति की जाती है तो वहां के लोगों को काफी सहायता मिल सकेगी, उन गरीब लोगों को सहायता मिल सकेगी जो बेचारे देहातों में रहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि उनको भी चिकित्सा सुविधा मिल सके तो हर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आपको एक आयुर्वेदिक स्नातक की नियुक्ति करनी होगी।

अब मैं आपका ध्यान अपने चुनाव क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं। आपने कहा था कि 10,000 की जन संख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित होगा। मेरे क्षेत्र में 1 लाख 40 हजार की जनसंख्या है लेकिन वहां पर केवल एक ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है। ऐसी स्थिति में हमारे क्षेत्र के गरीब लोग चिकित्सा सुविधा से वंचित रह जाते हैं। मेरी प्रार्थना है कि अगर अधिक नहीं तो कम से कम एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इसी बजट सत्र में स्थापित करने की व्यवस्था करें ताकि प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 70,000 जन संख्या की जनता का इलाज हो सके और काफी कुछ वहां की जनता को चिकित्सा के क्षेत्र में सुविधा मिल सके और वे कह सकें कि प्रदेश की सरकार उनकी चिकित्सा के लिए कुछ कर रही है। मान्यवर, हमारे यहां दास सारदा क्षेत्र में कोई आयुर्वेदिक अस्पताल नहीं है, इसकी व्यवस्था करने की कृपा करें।

अभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने रुहेलखंड मंडल के विधायकों की एक मीटिंग बुलायी थी, उसमें हम लोगों ने अपने अपने कुछ सुझाव दिये थे मेरा अनुरोध है प्रपोजल्स पर माननीय मंत्री जी ध्यान देने की कृपा करें ताकि उन पर तत्काल कार्यवाही हो सके। अन्त में मैं फिर मंत्री जी के बजट का स्वागत करता हूं और कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री कुबेर भंडारी-

मैं मान्यवर, कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। स्वास्थ्य मंत्री जी बड़ा मधुर बोलते हैं मुस्कराते भी बहुत बढ़िया हैं बनारस के रहने वाले भी हैं स्वास्थ्य के लिए यह सब बढ़िया है इनसे यही मिलने वाला है और कुछ मिलने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार के कारण मरीज को दवा नहीं मिलेगी दवा न मिले पर मैं एक बात की ओर विशेष ध्यान मंत्री जी का दिलाना चाहूंगा। किसी के मारने के काम में भी आपके विभाग की मदद ली जा रही है। हमारे देवरिया जिले में एक महिला के साथ हुआ और उसे मार दिया गया केस को दबाने के लिए डाक्टर ने 10 हजार रुपया खाया यह इसलिए दिया गया ताकि बलात्कार साबित न हो। वह औरत गर्भवती थी मरने के 48 घंटे बाद जब उसके पेट से बच्चा निकल गया तब उसका पोस्टमार्टम हुआ जब तक बच्चा बाहर नहीं आया डाक्टर नहीं आया आज कल भी डाक्टरों से राय लेकर किये जा रहे हैं। तो इस भ्रष्टाचार को आज रोकने की जरूरत है। उस भ्रष्टाचार को रोकने पर कत्लों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा वे कम होंगे।

हमारे यहां दो वर्ष पूर्व एक अस्पताल बना आज वह ढह गया। उस ओर भी ध्यान दिया जाये। हमारे हाटा में कोई महिला अस्पताल नहीं है इसे खोला जाये। वह तहसील बीस सालों से पिछड़ी हुई है। उस क्षेत्र की कोई तरक्की नहीं हुई। हमारे यहां काफी चीनी मिलें हैं जिनके कारण गन्दा पानी चारों तरफ

फैला रहता है और उसकी गन्दगी के कारण काफी मच्छर पैदा होते हैं और मलेरिया का प्रकोप बराबर बना रहता है। इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है।

आज ट्रान्सफर की जो कतार लगी रहती है उसको भी रोकने की जरूरत है।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आपका समय समाप्त।

श्रीमती कुदसिया बेगम--

जनाब वाला मैं आपकी शुक्रगुजार हूं जो आपने मुझे समय दिया। मैं बहुत कम समय लूंगी। मैं मंत्री जी के भाषण का और उनके बजट का समर्थन करती हूं क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर कि हमारे मुल्क की, हमारे प्रदेश की तमाम जिन्दगी और सेहत का दारोमदार है। जनाब वाला मैं और बातें नहीं कहूंगी क्योंकि यह बातें कही जा चुकी हैं। लेकिन एक जरूरी मसले की तरफ मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहती हूं और वह है परिवार कल्याण का मसला हाला कि मैं जानती हूं कि वह पूरे तरीके से उससे परिचित हैं। मुझे यह बड़ी खुशी हुई अखबारों में देख कर कि परिवार नियोजन के मोटीवेशन के लिए 70 रुपये से बढ़ा कर 100 रुपये की रकम कर दी गयी है। यह परिवार नियोजन का मसला ऐसा है कि इसके ऊपर किसी को कुछ कहने से तकलीफ होती है, मगर हमारे मुल्क में इसकी इतनी जरूरत है और मांग भी है। हमारे स्वास्थ्य विभाग को जरूर ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारी बढ़ती हुई जन संख्या जो है वह तमाम हमारे कामों में बाधा डाल रही है। अगर हम आपने पब्लिक के ऊपर किसी तरह का दबाव डालते हैं, तो बदनाम किया जायगा। इसलिए हम पब्लिक को मजबूर न करें, बल्कि बेहतर यह होगा कि उनको इस तरफ मोटीवेटिव करें और एजूकेट करें। यह हमारा सबसे बड़ा फर्ज है और यह भी मैं जानती हूं कि अब हमारी बहनें और हमारे भाई इस चीज से पूरे तरीके से वाकिफ होते चले जा रहे हैं और वह समझते हैं कि यह बहुत बड़ी चीज है हमारे खानदानों और परिवारों को एक हद में लाएं और इसके लिए सरकार ऐसा कदम उठाये जिससे कि पब्लिक में कोई किसी तरह की तकलीफ न पहुंचे। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी यह है कि डाक्टर्स जो हैं, उन्हें ट्रेंड किया जाय अपरेशन करने के लिए, ताकि उन लोगों की तरह जैसे पिछली दफा शिकायत हो गयी थी कि बहुत से रोगों को बगैर ट्रेनिंग किये हुये डाक्टरों ने आपरेशन करके छोड़ दिया था। बहुत ज्यादा जरूरत इस बात की है कि हमारे प्रदेश में इन चीजों का इन्तजाम किया जाय और पब्लिक को किसी तरह की कोई तकलीफ आपरेशन से और आपरेशन के बाद न हो। अब तो बहुत सी औरतें भी ऐसी हैं, जो कि पूछ रही हैं कि किस तरीके से हम अपने परिवार को हदबंदी में ला सकें। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, इसी दो-तीन महीने में काफी बढ़ोत्तरी अपने विभाग में लाये हैं। वह इस तरफ जरूर ख्याल करेंगे। खतम करने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि मलेरिया का सबसे ज्यादा ख्याल रखना जरूरी है क्योंकि हमारे यहां अब इतने मच्छर बढ़ गये हैं और अखबारों

[श्रीमती कुदसिया बेगम--]

में भी बराबर निकल रहा है कि मलेरिया की बीमारी बढ़ती जा रही है। बारिस ज्यादा हुई है, उसका नतीजा यह हुआ है कि मच्छर बहुत ज्यादा बढ़ गये हैं और बीमारी भी बढ़ती जा रही है। हमारे गांवों में सबसे ज्यादा गंदगी चहलों के कारण होती है। इसलिए पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए इस बात को सबसे ज्यादा जरूरत है कि वह यहां पर डी0 डी0 टी0 का छिड़काव करें और गांवों में इस बीमारी को न फैलने दें। इन शब्द के अल्फाजो के साथ में इस बजट का समर्थन करती हूं।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मंत्री से मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रदेश में जो उनकी गलत नीतियां चल रही हैं और जो उनकी सारी व्यवस्था चौपट है, जिसके कारण से जनता को जो इस स्वास्थ्य और इन अस्पतालों से जो लाभ मिलना चाहिए, आज की जो स्थिति है, उस पर मैं कहना चाहता हूं कि मृत्यु दर जो है, वह अव्यवस्था के कारण से प्रत्येक जिले में बढ़ रही है। कहा यह जाता है कि मृत्यु दर घट रही है, परन्तु देखने में यह

(इस समय 4 बजकर 2 मिनिट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

कहा जाता है कि वह घट न करके बढ़ रही है, इनकी अव्यवस्थाओं के कारण। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं बुन्देलखण्ड के पिछड़ेपन की, जिसे माननीय मंत्री जी स्वयं स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर वहां चिकित्सा के सम्बन्ध में और वहां फैली हुयी कुव्यवस्था की बातों पर विचार किया जाय और देखा जाए कि जो भी व्यवस्था सरकार द्वारा चल रही है, वह एक प्रकार से समाप्ति की ओर है। आज अस्पतालों में दवाओं की क्या हालत है, जिन डाक्टरों की वहां नियुक्ति की जाती है, वह वहां रहते नहीं। अस्पतालों की आज हालत यह है कि मरीजों को खिड़की पर दवा मिलती नहीं। माननीय मंत्री जी हमारे बुन्देलखण्ड में गरीबों की संख्या अधिक है। बुन्देलखण्ड को आज फिर पहले की भांति कोई लाभ नहीं मिल रहा है। वही गरीब लोग जब अस्पतालों में इलाज करवाने जाते हैं। डाक्टरों की प्राईवेट प्रेक्टिस इतने जोरों पर होने के कारण, उन्हीं लोगों को भरती किया जाता है, जोकि डाक्टरों के घर जाकर फीस दे आये हों और वहां से एक पर्ची प्राप्त कर ली हो, उन्हीं को भरती किया जाता है। इसलिए मैं आपको इस ओर याद दिलाना चाहता हूं कि यदि इस भ्रष्टाचार की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में इन गरीबों की हालत और बुरी हो जायेगी। आज आम आदमी के लिए अस्पताल में दवाई है ही नहीं और वहां की अधिकतर दवाएं खुले बाजार में उसके लेवेल को हटाकर पहुंचा दी जाती है। इसलिए मैं अपने समाचार के अनुसार दावे के साथ कहना चाहता हूं कि अस्पताल की 50 प्रतिशत दवाएं जो हैं वह खुले मारकेट में बिक रही हैं। मैंने दो तीन बार विशेषकर झांसी मेडिकल कालेज में जानकारी की है। मरीजों के लिए, जो भोजन, दूध और फल आदि की व्यवस्था है, के बारे में मरीजों से जानकारी की तो पता चला मान्यवर, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उन्हें कोई फल आदि नहीं दिये जाते हैं। जबकि फल वहां मरीजों के नाम से खरीदे जाते हैं, इसी प्रकार से दूध और भोजन की भी व्यवस्था ठीक नहीं है, उसके तादाद में भी कमी कर दी जाती है यदि आप जांच करायें तो तथ्य आपके सामने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आ जायेंगे और जब मरीज इसको लेकर शिकायत करता है समय-समय पर चाहे वह निदेशालय में या माननीय मन्त्री जी के पास या निदेशालय के निदेशक के पास हो तो उस पर ध्यान देना चाहिए, तभी उसमें कुछ सुधार की संभावनाएं हो सकती हैं। इस सम्बन्ध में यदि माननीय मन्त्री जी मुझे मौका दें तो मैं 5-6 पत्र प्रस्तुत कर सकता हूं और यही नहीं शिकायत करने वालों को उनके पत्र का भी कोई उत्तर नहीं दिया जाता, जिससे सही बात कहने का लोगों में प्रोत्साहन पैदा हो। इन सब चीजों से तो यही मालूम होता है कि ऐसा कुछ करने के लिए ऊपर से लोगों को संकेत है और यही वह कारण है कि इतने बड़े पैमाने पर व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

आपके अधिकारी जब जिला अस्पतालों में पहुंचते हैं वहां पर जन प्रतिनिधि उनसे मिलते हैं अस्पतालों की शिकायत करते हैं, तमाम मरीज वहां पर डाक्टर को दिखाने के लिए खड़े रहते हैं लेकिन डाक्टर देखने के लिये नहीं है। सायंकाल 6 बजे मलेरिया, हैजे तथा अन्य रोगों के मरीज वहां डाक्टर को दिखाने के लिये मौजूद हैं किन्तु डाक्टर 5 बजे के बजाय 12 बजे रात तक नहीं आते हैं वह दूसरे दिन आते हैं। दूसरी बात मैं जन स्वास्थ्य रक्षक के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं यह बहुत अच्छी बात है। मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि इसकी जो खामियां है जो कमियां हैं उसको दूर किया जाय इसके जो आवागमन के साधन हैं उसका सुधार किया? इससे ग्रामीणों का थोड़ा बहुत तो इलाज हो सकता है।

श्री सच्चिदानन्द--

माननीय अध्यक्ष जी स्वास्थ्य विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। एक अच्छा काम जो पिछले कांग्रेस शासन काल में हुआ था जिसे जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में समाप्त कर दिया। मैं चाहूंगा स्वास्थ्य मन्त्री से कि उसको प्रारम्भ पुनः करें। सन् 1976 में इसी सदन में अनुरोध किया था मैंने कि शासन के जितने मेडिकल कालेज हैं उनको सम्बद्ध कर दिया जाय कुछ जनपदों से। वहां के विशेषज्ञ मेडिकल कालेजों के विभिन्न जनपदों के अस्पतालों में जायगे यह कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ था। कानपुर मेडिकल कालेज के विशेषज्ञ उन्नाव जनपद में 6 तारीख को आते थे लेकिन इस व्यवस्था को जनता पार्टी ने आते ही समाप्त किया। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इस व्यवस्था को प्रारम्भ पुनः किया जाय। इसी के साथ मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मन्त्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि इन विशेषज्ञों को जनपद स्तर के साथ-साथ जो पी० एच० सी० हैं वहां भी भेजने की व्यवस्था की जाय। मैं समझता हूं कि इसकी घोषणा स्वास्थ्य मन्त्री सम्भवतः आज ही करेंगे यह प्रशासनिक आदेश होगा। इससे जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सकेगा।

इसके अतिरिक्त एक बात मैं कहना चाहूंगा आयुर्वेदिक के विषय में। यद्यपि स्वास्थ्य मन्त्री ने ध्यान आयुर्वेदिक के विषय में दिया है। लेकिन मैं यह महसूस कर रहा हूं कि आयुर्वेदिक के विषय में शासन उतना ध्यान नहीं दे पा रहा है जितना अपेक्षित है कुछ लोग महसूस कर रहे हैं। आयुर्वेदिक पद्धति एक

[श्री सच्चिदानन्द--]

ऐसी पद्धति है जिससे लोगों को लाभ मिल सकता है। मान्यवर, आप देखें कि आयुर्वेद के निदेशालय में केवल एक जीप है जबकि एलोपैथिक की व्यवस्था में जनपदों में डिप्टी सी0 एम0 ओ0 तक के अधिकारियों को एक जीप मिली हुई है। अगर इनकी व्यवस्था को ठीक नहीं किया जायेगा तो आयुर्वेदिक विभाग अपने काम को पूरी तौर से सम्पादित नहीं कर पायेगा। मैं समझता हूं इस पर मन्त्री जी विशेष ध्यान देंगे और जो आवागमन की सुविधा है उसमें सुधार करेंगे। इस अवसर पर मैं मुनासिब समझता हूं कि मेरे उन्नाव जनपद में एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय है भुभुवार में। इसमें एक राम कुमार दीक्षित जी हैं शायद प्रदेश का यह पहला चिकित्सालय होगा जहां श्री दीक्षित जी 5 सौ रुपया मासिक दवाओं के लिये दान दे रहे हैं। जो शासन को रुपया दे रहे हैं, वह 5 सौ रुपया प्रति माह दे रहे हैं इस प्रकार दवाओं को खरीद कर गरीब जनता में बांटी जा रही है। मुझे जानकर तकलीफ हुई कि उन्होंने एक डाक्टर की शिकायत की कि 15 अगस्त, 1979 को उसने झंडारोहण नहीं किया था लेकिन आपके आयुर्वेदिक निदेशालय से उस डाक्टर को नहीं हटाया गया। आवश्यकता तो इस बात की थी कि उस चिकित्सालय को बढ़ाकर 4 बेड की जगह 8 बेड किया जाय और उसमें आयुर्वेदिक महिला चिकित्सालय स्थापित किया जाय। जिससे दान देने वाले लोगों का उत्साह बढ़े। प्रदेश के दूसरे स्थानों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। उन्नाव जनपद में एक जिला अस्पताल बन रहा है जिसमें डाक्टर और नर्सेज के क्वार्टर्स नहीं हैं। उनके क्वार्टर्स न होने के कारण निश्चित रूप से उसका उतना लाभ नहीं हो पायेगा। जहां पर जनपद स्तर पर अस्पताल हैं डाक्टरों और नर्सों के रहने के लिए क्वार्टर्स आवश्यक हैं। इसी प्रकार गांवों के अन्दर जो अस्पताल हैं, वहां अस्पताल तो खोल देते हैं, लेकिन दवाएं नहीं हैं, डाक्टरों के रहने के लिए मकान नहीं हैं, तो जो शिकायतें आती हैं वह आप के सामने आएंगी।

बमरौली गांव में बाबा सूर्यानन्द एलोपैथिक चिकित्सालय है और कटेहरी में राजकीय अस्पताल है। लेकिन भवन न होने के कारण डाक्टर वहां रहता नहीं। इतनी दूर दराज स्थानों में भवनों का निर्माण आवश्यक है। आपने जो घोषणा की है वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। आपने कहा कि जनरेटर लगाये जायेंगे, जिससे बराबर बिजली की व्यवस्था हो सके। जहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है वहां पानी की व्यवस्था के सम्बन्ध में अलग से प्रयत्न कर रहे हैं। वह भी अच्छा कदम है। उन्नाव जनपद के अस्पताल में नेत्र चिकित्सा का विशेषज्ञ पहुंचे यह भी आवश्यक है। दवाओं के घोटाले के सम्बन्ध में, जो कदम उठाया है वह प्रशंसनीय है, जिसकी प्रशंसा में नहीं पूरा सदन कर रहा है। लेकिन एक चेतावनी देना चाहता हूं। अति उत्साह में कोई ऐसी चीज न होने पाये जिससे मनोबल गिरे। 31 मार्च को ग्रांट देने की इस परम्परा को कब तक नहीं तोड़ेंगे मैं निश्चित रूप से कहता हूं आई0 डी0 पी0 एल0 या दूसरे बड़ी-बड़ी फर्में जो तीन महीने या छः महीने के पहले दवाएं नहीं देती हैं, निश्चित रूप से दवाएं नहीं मिलेंगी, 31 मार्च को जब ग्रांट लैप्स होगी 31 मार्च को दवाएं नहीं मिलेंगी। अप्रैल और मई के महीने में दवाएं सप्लाई होंगी। इसलिए विशेष रूप से जागरुकता की आवश्यकता है। अन्त में एक निवेदन करूंगा नवाबगंज कस्बे के सम्बन्ध में। पी0 एच0 सी0 नवाबगंज में नेशनल हाईवेज पर है, वहां 30 बेड्स की डिस्पेंसरी आप घोषित करें। उसके साथ-साथ बिल्डिंग भी बनवा दें यह अनुरोध करना चाहूंगा। इन शब्दों के साथ में अनुदान की मांग का समर्थन करता हूं और जिस तरह से शासन प्रदेश के अवाम को सुख सुविधाएं

पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है, उसके लिए स्वास्थ्य मन्त्री को पुनः बधाई देना चाहूंगा ।

श्री अकबाल हुसैन––

मान्यवर, आपने जो समय दिया उसके लिए आभारी हूं । माननीय रियासत हुसैन ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं । इस प्रदेश में आज जो अस्पतालों की हालत है, वह किसी से छिपी नहीं है । मान्यवर, उसके लिए मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं मर्ज बढ़ गया ज्यों दवा की । मैं गोंडा जिले गंसड़ी क्षेत्र से आता हूं जो बहुत पिछड़ा हुआ है । लेकिन प्रदेश में लगभग दो करोड़ रुपया केवल वन सम्पदा के रूप में देता है । लेकिन उस क्षेत्र में स्वास्थ्य और चिकित्सा की जो व्यवस्था, जो माननीय मन्त्री जी ने बजट में रखा है उसमें उस क्षेत्र की बहुत ही उपेक्षा की गयी है । मन्त्री जी ने जो अपना भाषण किया उसमें एक बात जरूर कही है उसके लिए मैं आभारी हूं और उसका जरूर समर्थन करूंगा । मन्त्री जी ने जिस तरह से आयुर्वेदिक और यूनानी बढ़ाने पर बहुत जोर दिया है वहीं पर मन्त्री जी ने यह भी कहा है कि एलोपैथी का इलाज कुछ देर के लिए हो सकता है लेकिन वह जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए काफी नहीं है । इसलिए आयुर्वेद और यूनानी का इलाज बहुत जरूरी है । मेरा सुझाव है कि जहां–जहां आयुर्वेदिक अस्पताल हैं, यूनानी है वहां पर लाइट सेविंग्स की ड्रग्स की भी व्यवस्था जरूर करें । इसलिए अगर उन अस्पतालों को कम्बाइन्ड करा दें तो प्रदेश के लोगों का बहुत ही भला होगा । बजट में मान्यवर, यूनानी जो कालेज हैं उनकी उपेक्षा की गयी है, अभी तक उपेक्षित रहे हैं और मैं इस बात से सहमत हूं कि माननीय मन्त्री जी को इस बात का एहसास है और कहा है कि जो अपेक्षा की जा रही थी वह नहीं हो पायी है । जब से देश आजाद हुआ है 3 कालेज हैं उनके सम्बन्ध में अभी एक सदस्य भाषण दे रहे थे, कह रहे थे कि उनका प्रान्तीयकरण न करके उनके साथ इन्साफ नहीं हो पाया । मन्त्री जी ने आश्वासन दिया है कि उनका प्रान्तीयकरण किया जायेगा । जो यूनानी कालेज हैं और जो अर्थ व्यवस्था है वह बहुत ही दयनीय है । अतः उनका तुरन्त प्रान्तीय–करण करने का कष्ट करें ।

मैं अपने जनपद गोन्डा जिले के अस्पताल के बारे में कहना चाहता हूं । 30 जून को गोंडा में एक लारी सरकारी दवा अस्पताल से ले जाते पकड़ा गया है । जो जांच हो रही है वह असंतोषजनक है । अतः उस इन्क्वायरी में तेजी लायें और दूसरी तरफ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जनपद में बलरामपुर मेमोरियल हास्पिटल है, मेरे भाई लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल को न समझ लें, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं कि एक उदाहरण देना चाहूंगा, 30 अगस्त को मैं वहां पर था और हमारे सामने उस अस्पताल में 4–5 साल का बच्चा न्यूमोनिया से बीमार था । 2 दिन पहले दाखिल किया गया था और जिस हालत में उसने दम तोड़ा, कैसी दयनीय स्थिति वहां पर थी, किसी प्रकार की दवाइयों का इन्तजाम नहीं हो पाया और न उस लड़के की दवा ठीक से हो पायी । आज भी 3 आदमी पड़े हैं जिनके हाथ पैर इतनी बुरी तरह टूटे चुके हैं लेकिन पट्टी बांधने के लिए उस अस्पताल में दवा उपलब्ध नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

आप का समय शेष नहीं है ।

श्री अकबाल हुसैन—

अतः आप विशेष रूप से जनपद गोंडा के लिए ध्यान दें ।

श्री अध्यक्ष—

अब मैं आप सब सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अनुदानों पर चर्चा का समय नहीं रह गया है और आप बहुत लोग बोलने वाले हैं । मुझे दुःख है कि मैं और लोगों को नहीं बुला सकूंगा । इसलिए मैं श्री रियासत हुसैन से कहूंगा कि अपने कटौती के प्रस्ताव पर बोलें ।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

इतने लोग खड़े हैं अगर कोई एक सदस्य खड़ा हो तो मैं उसको बुला लूं ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मैं दोनों पक्ष के माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने हमारे कटौती के प्रस्ताव पर चर्चा किया । श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी ने 54 करोड़ रुपये का अनुदान माननीय सदन से मांगा है । मान्यवर, मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि 54 करोड़ रुपये किस काम के लिए मांगा है । उस विभाग की हालत एक लाइन में कह देता हूं जिसके लिए 54 करोड़ रुपये मांगा है, उसके बाद वह भी बताऊंगा कि यह रुपया कहां और जिसके लिए मांगा है । दवाखानों में इमारत नहीं, इमारत है तो डाक्टर नहीं, डाक्टर है तो बिस्तर नहीं, बिस्तर है तो बिजली नहीं, कहीं पानी नहीं, कहीं एक्सरे मशीन नहीं, कहीं दवा नहीं । दवा अगर है तो असली दवा नहीं, नकली दवा है । श्रीमन्, मुझे संरक्षण चाहिए । जब माननीय सदस्य इन सारी चीजों की शिकायत के लिए मन्त्री जी को लिखने का प्रयास करते हैं, वैसे भी माननीय मन्त्री जी इस मन्त्रि परिषद् में सबसे ज्यादा वजन मन्त्री हैं, तो शिकायत लिखने के लिए विधायकों के पास राइटिंग पैड नहीं जिस पर शिकायत लिख कर भेजें ।

बड़ी महंगाई है । इससे ज्यादा महंगाई कभी नहीं आई । आज तक पूरे प्रदेश में कहीं किसी ने 10 रुपये किलो सेब खरीदा है । मगर गोरखपुर के सी0 एम0 ओ0 ने 40 हजार का सेब खरीदा है 10 रुपये किलो के हिसाब से यह दो साल पहले की बात है, 1977 की । उस समय 3 रु0 साढ़े तीन रुपये किलो में सबसे अच्छा सेब बिक रहा होगा । जो सी0 एम0 ओ0, गोरखपुर ने 40 हजार का सेब खरीदा है, अगर देखा जाये तो वह सेब होगा जो आप मुंह में ले जायें तो थूक देंगे । गोरखपुर सफाखाने में एक कमरे में 50 मच्छरदानियां रखी मिलीं । 50 मच्छरदानियां कैसे आ गयी । क्या उस समय सारे गोरखपुर के मच्छर वहीं थे जिनको गिरफ्तार करने के लिए 50 मच्छरदानियां रखी गयीं थीं । इस तरह से यह रुपया खर्च करने के लिए बर्बाद करने के लिए 54 करोड़ रुपये की मांग की गयी है । ठीक है, 54 करोड़ क्या 1 अरब रुपया की मांग रख देते तो मिल जाता, बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है । 'हां' की संख्या तो अधिक होगी ही, इसमें कोई बात नहीं ।

दो-तीन सुझाव देना चाहूंगा। टी0 बी0 का मर्ज ऐसा था जिसका इलाज नहीं था। अब क्योरेबुल हो गया है। जिले-जिले में उसका इलाज है। कैंसर और हृदय रोग ऐसी डिसीजेज हैं जिनका इलाज नहीं हो पाता। इसके आपरेशन के लिए देश के अन्दर कुछ ही डाक्टर्स हैं। हार्ट का आपरेशन कराना हो तो बाम्बे जाइये, दिल्ली जाइये। पूरे देश में 4-5 डाक्टर हैं जो हार्ट का आपरेशन कर सकते हैं। यही हाल कैंसर का है। किसी भी मरीज का मामला हो जब जान जाता है कि उसे कैंसर है तो आधा तो वैसे ही मर जाता है। वह समझ लेता है कि हम दिन पूरे करने के लिए जी रहे हैं। लखनऊ में इन्सटीट्यूट बनाने की बात थी, सारी साइन्स और टेकनालाजी डेवलप हो रही है तो इमारत नहीं दे पाये इमारतें दे नहीं पाये और ये जो मरीज हैं हार्ट की बीमारी के, इनके बारे में सोचने का कष्ट करें और इनकी तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

श्री लोकपति—

मान्यवर, मैं सभी माननीय सदस्यों को, वे चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों, और विशेषतौर से माननीय रियासत साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज उन्होंने सचमुच कुछ सुझाव दिये और कुछ ऐसे मिशाल भी रखे जो किसी भी शासन के लिये और चाहे वे विधायक हों—सबके लिये शर्मनाक है। इसी दृष्टिकोण को सामने रखते हुये मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं कि इन सब कठिनाइयों का और बहुत से कारणों का मूल कारण यह है कि जो स्वास्थ्य विभाग का निदेशालय है, उसके ऊपर सारा शासन केन्द्रित है। वार्ड ब्वाय और नर्स के ट्रान्सफर से लेकर डाक्टर तक के ट्रान्सफर यही से होते हैं। उसके बारे में, मान्यवर, हम लोगों ने निर्णय लिया है कि स्वास्थ्य निदेशालय का विकेन्द्रीयकरण कर दिया जाय और डिवीजन में जो हेडक्वार्टर्स हैं, हमारे ज्वाइन्ट डायरेक्टर्स हैं, उनको ट्रान्सफर करने का अधिकार दिया जाय और जो सी0 एम0 ओ0 हैं, उनको ट्रान्सफर करने का जिले में अधिकार दिया जाय। हमारे माननीय सदस्यों ने कहा कि सी0 एम0 ओ0 नर्स का ट्रान्सफर करते हैं और नर्स उसको मानता नहीं। किसी फार्मेसिस्ट का ट्रान्सफर करते हैं, तो वह मानता नहीं। तो, मान्यवर, उसमें मानने की बात ही नहीं क्योंकि उनको अधिकार ही नहीं है। तो, मान्यवर, निदेशालय का विकेन्द्रीयकरण किया जा रहा है और हमारे निदेशालय में एक डिवीजन रखा जायेगा जो तमाम काम देखेगा। हमारे रियासत साहब ने कहा और अन्य माननीय सदस्यों ने कहा कि एडीशनल डायरेक्टर महोदय पर जिले के अन्दर जितने चिकित्सालय हैं, उनकी जिम्मेदारी होगी। तमाम जो अनियमिततायें हो रही हैं, उनको रुकना चाहिये। तो, यह तो मैं नहीं कह सकता कि अनियमितताओं को सम्पूर्ण रूप से रोक दिया जा सकेगा, लेकिन यह हम अवश्य कहेंगे कि एक बड़ी मात्रा में उनमें कटौती आयेगी।

एक चीज प्राइवेट प्रेक्टिस के बारे में है। मैं कहना चाहता हूं कि डाक्टर्स में बहुत फ्रस्ट्रेशन रहा है। श्रीमन्, अगर किसी व्यक्ति को कार्य सौंप दें और 8-8/10-10 सालों तक काम करने के बाद यह निश्चित न हो सके कि वे यहां पर मुलाजिम रहेंगे कि नहीं, तो स्पष्ट है कि उनके अन्दर फ्रस्ट्रेशन की भावना आयेगी और फ्रस्ट्रेशन आता है तो गंदगी भी लाती है तो डाक्टर आज भी

[श्री लोकपति---]

बुरा हो, लेकिन इंसान की जिन्दगी के लिये डाक्टर हैं और किसी युग में और आज भी वह समाज का गार्जियन है और उस गार्जियन की स्थिति यह हो कि उसके सामने उसका कोई भविष्य न हो। तो, श्रीमन्, उनकी सेवाओं का नियमितीकरण हुआ और उनकी जो प्रोन्नतियां हैं, उसकी संख्या निर्धारित हुयी और निदेशालय से अपेक्षा की गयी और उनको वह निर्देश दिया गया है कि 20 सितम्बर, 1980 तक इनको लिखकर दे दें और डाक्टरों में प्रसारित कर दें। इससे उनके लिये एक रास्ता खुलेगा। दूसरी चीज जो हमारा प्राइवेट प्रेक्टिस का मसला है, डाक्टर्स को नान प्रेक्टिसिंग एलाउंस दिया जाता है। सन् 1972-73 से वह योजना प्रारम्भ हुये। वह नान-प्रेक्टिसिंग एलाउंस पाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह प्रेक्टिस भी करते हैं हमारे पास यह सूची है। उत्तर प्रदेश में 931 ऐसे डाक्टर्स हैं जो प्रेक्टिस करते हैं। मान्यवर, मैं इस सदन के माध्यम से, आपकी आज्ञा से मैं उन डाक्टर्स से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि 30 नवम्बर तक अपनी प्रक्रिया को समाप्त कर दें। वह अपना नान-प्रेक्टिसंग एलाउंस लें और जो प्राइवेट प्रेक्टिस, बोर्ड लगाकर क्लीनिक खोले हैं उनको समाप्त कर दें। अन्यथा उनके पास यह रास्ता है कि वह 20 सितम्बर के पूर्व, इससे पहले कि उनकी सेवायें विनियमितीकरण में आ जायं, उसके पूर्व अपना त्यागपत्र दे दें। अन्यथा मैं क्षमा चाहूंगा, जिस चुनाव चिन्ह पर हम चुनकर आये हैं वह पंजे का निशान है। यह पंजा पंचपरमेश्वर है, यह न्याय करता है। यह अन्न पैदा करता है और अन्न खाने का माध्यम भी है।

एक सदस्य---

पार्टी का प्रचार कर रहे हैं।

श्री लोकपति---

यही पंजा दान मांगता है और नम्रतापूर्वक काम करता है और यही पंजा गला भी दबाता है। आज हमारे प्रधान मंत्री जी का एक वक्तव्य है, समाचार पत्रों में जिसमें उन्होंने कहा है कि यह हर मंत्री का दायित्व है कि वह अपने विभाग के अन्दर अनुशासन को कायम करे। श्रीमन्, हम इसको मानेंगे। हम उन डाक्टर्स को मौका देंगे। रास्ता इनके सामने है। मैंने पहले आपसे अनुरोध किया कि इनकी जो आकांक्षायें, हैं, न्यायोचित जो चीजें हैं, हमारी गलती से उनको नहीं मिली हैं वह उनको उपलब्ध होनी चाहिये। अब प्रश्न आया कि यह सही है कि जो मेडिकल मैनुअल है और जो आपके सर्विस रूल्स हैं कि सरकारी अधिकारी के रहने का स्थान हो। अन्य सरकारी अधिकारियों और डाक्टर्स में अन्तर है। जहां आपके चिकित्सालय हैं वहां आज डाक्टर्स के रहने की सुविधा नहीं है। वह चिकित्सालय मुल्क की आजादी के पहले के बने हुये हैं। उस समय जो डाक्टर्स की संख्या थी उतनी सीमा तक क्वाटर्स बने हुये हैं। आज इन्हीं स्थानों पर आपने शैय्यायें बढ़ायी हैं, कुछ शासन के आदेश से बढ़ी हैं और कुछ शैय्यायें आवश्यकता के अनुरूप बढ़ी हैं। मगर दुख इस बात का है कि जिस अनुपात में शैय्यायें बढ़ी हैं उनके अनुपात में उन चिकित्सालयों में दवा नहीं दी गयी है। उसका वही प्राविधान रहा है जो 1947 और 1951 में था। प्राविधान में बढ़ोत्तरी नहीं हुयी है। एक मेडिकल कालेज में मैं गया, उनसे पूछा कि कितने रुपयों की दवायें दी जाती हैं। तो वहां 1 लाख 80 हजार रुपये की सालाना दवाओं का प्राविधान था। तो जब

पूरी आवश्यकता की दवायें उपलब्ध नहीं होंगी तो इसमें संदेह नहीं कि वहां अनियमिततायें पैदा होंगी। जहां अधिकारियों को च्वाइस होगी, डिस्क्रीशन अच्छी चीज है। जब उन डिस्क्रीशन में उसको यह च्वाइस मिल जायेगी कि इनको दवा देना है और इनको नहीं देन है तो वहीं अनियमितता शुरू होती है। इसमें डाक्टरों को सजा दें यह काफी नहीं है बल्कि इसमें शासकों का भी दोष है। इसलिये इस बजट में प्राविधान किया गया है कि जितनी चिकित्सालयों में आज शैय्यायें हैं उनके अनुरूप, उस अनुपात में उनको दवा दी जाय ताकि यह प्रश्न न उठे कि वहां दवा नहीं है।

इसी बजट में अब प्राविधान किया जा रहा है कि डाक्टरों से सम्बन्धित जो चिकित्सालय के अन्य कर्मचारी हैं और विशेषतौर से उन नर्सों को, जो दूर प्रदेशों से आती हैं या इस प्रदेश के दूर-दूर गांवों से आती हैं जिनको नर्सिंग की शिक्षा दी जाती है और नर्सिंग का काम करती हैं, उनके आवास की व्यवस्था की जाय। मान्यवर, यह भी प्राविधान किया जा रहा है कि हमारे पी० एच० सी० में 381 भवन नहीं हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा था, उनके निर्माण का निर्णय कर लिया गया है। मैंने शुरू में यह भी कहा था कि हमारे इस बजट का 82 प्रतिशत अंश ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और चिकित्सा की सुविधा के लिये रखा गया है। शहरों में आज चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है, हम नहीं कह सकते कि सब के लिये उपलब्ध है, मगर अधिकांश के लिये उपलब्ध है जबकि आज ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा बहुत कम लोगों के लिये उपलब्ध है। एक लाख आबादी पर एक प्राइमरी हेल्थ सेन्टर काम करता है, जैसा मैंने पहले कहा था कि वह मेरा आंकड़ा था, विभाग के आंकड़े के अनुसार 5.87 रुपये प्रति वर्ष हम एक व्यक्ति पर स्वास्थ्य के लिये खर्च करते हैं जिसमें जो कर्मचारी और अधिकारीगण हैं उनकी सेवायें भी उपलब्ध हैं उनका व्यय, अस्पतालों के रखरखाव का व्यय और बिजली आदि व्यय मिले हैं। हमने कहा था कि प्रति माह 36 पैसे की दवा प्रति व्यक्ति के हिसाब से हम देना चाहते हैं एलोपैथिक, होम्योपैथिक, यूनानी और आयुर्वेदिक सभी पद्धतियों में, जो बहुत नगण्य है। मान्यवर, मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों के आशीर्वाद से प्रयास कर रहा हूं कि एक रुपया प्रति माह प्रति व्यक्ति खर्च किया जाय यह हमारा प्राविधान होगा, ताकि जो प्रश्न उठता है वह न उठे।

इसी के सम्बन्ध में बहुत से हमारे साथियों ने एक चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया और वह एम्बुलेन्स के सम्बन्ध में है। शहरों में जिला स्तर पर मुख्यालय जो हैं वहां एम्बुलेन्स की सुविधा उपलब्ध होते हुये भी एम्बुलेन्स की सुविधा नहीं है। समय पर एम्बुलेन्स ठीक नहीं रहती है। इसमें सरकार प्रयास कर रही है कि एम्बुलेन्स सर्विस सेन्ट्रलाइज्ड हेडक्वार्टर पर कर दी जाय जैसे कि फायर ब्रिगेड। उसका एक नम्बर हो और जिसको एम्बुलेन्स की आवश्यकता हो वह डायल करे तो उसको एम्बुलेन्स उपलब्ध हो जाय। तहसील स्तर पर जो चिकित्सालय होंगे, जो प्राइमरी हेल्थ सेन्टर के बीच में उच्चीकृत चिकित्सालय होंगे उन सारे चिकित्सालयों पर एम्बुलेन्स अलग से प्राविइड कर दें। हेडक्वार्टर को जाने में अधिक विलम्ब हो जायगा इसलिए उसकी एक परिधि हो जायगी। हेडक्वार्टर के 25 किलो मीटर, 30 किलो मीटर के घेरे के अन्दर जो हैं वह एम्बुलेन्स पूल

[श्री लोक पति—]

वह सर्विस करें । हमारे सम्मानित सदस्य, उन्नाव ने यह बात उठाई लेकिन यह बात सही थी कि कानपुर मेडिकल कालेज को उन्नाव जिले से सम्बद्ध किया गया है । मगर हमारे 9 जो मेडिकल कालेजेज हैं इन्हें हम प्रदेश के जनपदों से सम्बद्ध करने जा रहे हैं और इन मेडिकल कालेजों के साथ हम मोबाइल एक्सपर्टस की टीम भी देने जा रहे हैं । जो हमारे मेडिकल कालेज के एम्पार्टस हैं उन को मोबिलिटी की सुविधा देने जा रहे हैं । मोबाइल एक्सपर्ट डिस्पेन्सरी मेडिकल कालेज की, जनपदों में और प्राइमरी हेल्थ सेन्टरों में जा कर वहां के खास बीमारी का देख भाल करेगी, इलाज करेगी । ऐसे ही जो जिला स्तर पर हमारे चिकित्सालय हैं, वहां जो एक्सपर्ट हैं उनके लिये हम प्रयास कर रहे हैं मोबाइल डिस्पेन्सरी की व्यवस्था करें ।

श्रीमन्, लीगल मेडीकोज की बात आई । अभी मेडिकल मेडीकोज का प्राविधान चला आ रहा है । ऐसा केस डाक्टर को पोस्ट मार्टम के बाद दे दिया जाता है । वर्तमान बदली हुई परिस्थिति में आवश्यक है कि लीगल मेडिकोज का एक विंग स्वास्थ्य विभाग में खुले ताकि एक व्यक्ति इस बात का जिम्मेदार हो । यदि हम यह जिम्मेदारी नहीं दे सकते तो उसमें अनियमितता पैदा होगी । अगर हम एक व्यक्ति को जिम्मेदार बनायेंगे तो वह अनियमितता नहीं होगी जिसकी चर्चा हमारे सम्मानित सदस्य ने की कि पोस्ट मार्टम में गड़बड़ी होने से मुकदमें खारिज हो जाते हैं । सम्मानित सदस्य, मथुरा वकील साहब ने उसकी चर्चा की । और श्रीमन्, एक चीज और है । आज बाढ़ से अपना प्रदेश ग्रस्त है । एक करोड़ 91 लाख व्यक्तियों के क्षेत्र में श्रीमन् बाढ़ है । लगभग 24 लाख कुएं इन क्षेत्रों में हैं । बहुत से कुयें आज भी जल के अन्दर हैं । जो हमारे पास आंकड़े हैं, मुझे विश्वास है कि यह सही है, उनके अनुसार करीब 5,71,000 कुओं में ब्लीचिंग पाउडर डाला जा चुका है, 20 लाख कुओं में डालने का क्रम चल रहा है, 30 लाख व्यक्तियों को, श्रीमन् हैजे के टीके लगाये जा चुके हैं और यह क्रम चल रहा है । बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में हैजे की रोकथाम के लिये और जहां बाढ़ उतरेगी वहां की गन्दगी को दूर करने का दायित्व स्वास्थ्य विभाग को दिया गया है कि वह उसकी सफाई करे । इसके आदेश सी० एम० ओज० को दिये जा चुके हैं उस क्षेत्र के ज्वाइन्ट डाइरेक्ट भी जा चुके हैं और निदेशालय के एक एडीशनल डाइरेक्टर को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि जहां-जहां पानी घटे वहां-वहां सफाई कर दी जाय । वहां जहां वाटर लागिंग की समस्या है उसके लिए हम अवश्य अनुरोध करेंगे उन विभाग से जिनके पास मशीनें उपलब्ध हों जिनसे वह पानी हट सके । उन का सहयोग लेंगे और पानी हटाने की व्यवस्था करेंगे ।

मैंने मलेरिया की बात, मच्छर की बात कही थी । मेरे बुजुर्गवार, हमारे बाप के सहयोगी, साथी उन से मैंने अपेक्षा नहीं की थी कि ऐसी बात करेंगे । मच्छर रहे, मलेरिय न रहे, यह कैसे सम्भव है । हम नहीं जानते कैसे यह स्लोगन चला । सम्भव है कि यह गलत जिम्मेदारी की वजह से चला । जब भी चला, इसके दो कारण रहे होंगे या तो संसाधनों की कमी या जिम्मेदारी की कमी । दो कारणों की वजह से मच्छर रहेंगे और मलेरिया नहीं रहेगा । यह चला और शुरू से आज तक यह विचारधारा थी कि शायद मच्छर खतम नहीं किया जा सकता क्यों नहीं खतम किया जा सकता ? जब मच्छर नहीं खतम किया जा सकता । तो फायलेरिया और मलेरिया भी नहीं खतम किया जा सकता । अन्य बीमारियां भी हैं जिनके बारे में अन्धेरे में हैं और जो वाटह पाल्युशम से हो

रही है, मक्खी तथा मच्छर से हो रही है उनको भी हम दूर नहीं कर सकते जब तक कि मक्खी तथा मच्छर की सफाई हम नहीं कर देते। मैंने अपने विभाग से यह कहा है कि मच्छर अभियान को चलाया जाय। इसके लिये इंका स्ट्रकचर पहले से ही मौजूद है। प्राइमरी हेल्थ सेन्टर पर स्वास्थ्य विभाग के, फेमिली प्लानिंग के, मलेरिया तथा संक्रामक रोगों के कर्मचारी मौजूद हैं। उन सब की सेवायें समायोजित कर देनी हैं और उनको 5 हजार से 8 हजार तक की आबादी के गांवों की जिम्मेदारी दे देना है कि तुम्हें वहां डी0 डी0 टी0 का स्प्रे करना है, हैजे के टीके लगाने लगे हैं, अपने क्षेत्र के कुवों के जल की सफाई करनी है और उनमें क्लोरीन डालनी है। इस तरह से इस योजना के अन्तर्गत जो बहुधन्धी कार्यकर्ता हैं स्वास्थ्य विभाग के उनके ऊपर जिम्मेदारी एक-एक क्षेत्र की आबादी को दी जा रही है।

श्री राम आसरे वर्मा--

कुछ अधिकारी भी जो बेकार पड़े हैं उनको मच्छर मार अभियान में लगा दिया जाय।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

जब बेगान स्प्रे से मच्छर नहीं मरता तो स्प्रे से कैसे मरेंगे?

श्री अध्यक्ष--

मच्छर बहुत मुश्किल से मरते हैं।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

एक निवेदन है मच्छर तथा मक्खी के साथ खटमल भी जोड़ दिया जाय।

श्री लोकपति--

दो तीन बातें और बतलानी हैं। बहुत महत्वपूर्ण मसला है इस प्रदेश के सामने। मैं उसी जनपद का रहने वाला हूं जहां गंगा बहती है। सन् 1912 में काशी विश्वविद्यालय का शिलान्यास होने को था। तत्कालीन प्रिन्स आफ वेल्स जो बाद में किंग चार्ज दी फिफ्थ बने थे वह बनारस आये थे पानी पीते थे तो स्काटलैंड से पानी आता था किसी झरने का। बनारस आने पर वह पानी खतम हो गया जिससे उनको पानी की दिक्कत हुई। जो तत्कालीन गवर्नर थे उन्होंने राय दी कि गंगा का पानी पिओ। उनके साथ जो डाक्टर थे उन्होंने उस पानी का अन्वेषण किया और यह राय दी कि यह जो पानी है वह स्काटलैंड के जल से ज्यादा मुफीद है। जब चुनाव चल रहा था इस वर्ष मई के अन्तिम सप्ताह में तो बनारस के कुछ क्षेत्रों में हैजा हुआ। वहां हिन्दू विश्वविद्यालय के एक्सपर्ट्स की टीम आई, उसके कारण की जांच के लिये। उन्होंने यह रिपोर्ट दी कि बनारस में गंगा का पानी पीना तो दूर रहा नहाने लायक भी नहीं है। उससे संक्रामण रोग फैल सकते हैं। गंगा जहां पहाड़ों से उतर कर मैदान में उतरती है वहां से ले कर तथा बनारस से अलीगढ़ तक का जो क्षेत्र है उसकी आबादी साढ़े 7 करोड़ है और जो धारायें गंगा में आ कर मिलती है बनारस तक यमुना आती है हिमाचल प्रदेश के हिस्से से, हरियाणा के हिस्से से होते हुये इलाहाबाद में गंगा से मिलती है और उसी जमुना में राजस्थान से चम्बल इटावा में मिलती है और उसी जमुना में मध्य प्रदेश की नदियां आ कर मिलती हैं जहां बांध बनाने की योजना है। सब नदियों का

[श्री लोकपति--]

जल अर्थात् उत्तर प्रदेश की नदियों का जल हिमांचल प्रदेश और हरियाना का जल तथा राजस्थान प्रदेश का जल जहां से चम्बल निकलती है उदयगिरि पर्वत से सारा जल आकर इलाहाबाद में आ कर गंगा में मिलता है। मान्यवर, इस सारे एरिया की आबादी इस समय साढ़े तेरह करोड़ है। और तब जा कर के हमारे जल के अन्दर दूषण हुआ है। अभी हमारे उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष सबसे अधिक संतान पैदा होती है लगभग 30 प्रतिशत और भारत में अन्य प्रदेशों में 19 प्रतिशत है। मैंने मान्यवर, आपकी आज्ञा से अपने सम्मानित सदस्यों को एक पत्र भेजा है परिवार नियोजन के सम्बन्ध में कि वे समय दे दें और आकाशवाणी के लिये आपको इस बारे में एक वार्ता ले लें ताकि वह आकाशवाणी से प्रसारित हो सके। मैं इस सम्बन्ध में उनसे बात कर चुका हूं और आपका सहयोग चाहता हूं। समाज में कभी भी अगर आप कहें कि परिवार नियोजन कानून के रूप में पालन कराया जाय तो वह सम्भव नहीं है। कानून नहीं सफल हुआ है जिसको समाज ने बनाया है और आप इतिहास को देखेंगे तो मालूम होगा कि जब सिविलेजशन की ग्रोथ हो रही थी तो उस समय कुछ लोगों ने अपना कानून बनाया और उसकी रक्षा करने के लिये उन्होंने अपना एक नेता चुना हुआ बनाया और उनको यह अधिकार दिया जो कानून समाज ने बनाया है उसका वह पालन कराये जिसकी समाज को आवश्यकता है।

एक सदस्य--

बहुत देर में आप समझे....

(व्यवधान)

श्री लोकपति--

दुख तो इस बात का है कि आप अभी तक नहीं समझे। समाज इस कानून को बनाये, समाज उस कानून को चलाये, समाज की वह जिम्मेदारी है। आप अपने-अपने क्षेत्रों में जो कि दो-दो और डेढ़-डेढ़ लाख मतदाताओं तथा 5-5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं आपकी गरिमा है, आपकी वाणी में ओज है, शक्ति है जो कि इस देश और प्रदेश के आने वाले दिनों के लिये आवश्यक है। अन्यथा सन् 2000 में इस प्रदेश की आबादी 23 करोड़ हो जायेगी। जिस दिन हिन्दुस्तान आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को उस दिन 27 करोड़ 90 लाख या 85 लाख सारे देश की आबादी थी और सन् 2000 में केवल इस प्रदेश की आबादी 23 करोड़ हो जायेगी। आज जब कि पानी की समस्या है हर चीज की समस्या है। आने वाली संतान जो आज इस धरती पर है चाहे वह 2 साल की हो, 6 महीने की हो या 5 साल की हो सन् 2000 में हम सब को क्षमा नहीं करेगी। आपके माध्यम से मेरा यह अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को किन्हीं भी कारणों से हो मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि राजनीतिक कारणों से एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम की मृत्यु हो गयी। उसको पुनः जिंदा करना है जिससे इस प्रदेश की रक्षा हो सके। इन शब्दों के साथ मुझे विश्वास है कि

हमारे बुजुर्ग रियासत साहब अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लेंगे और इसे सर्वसम्मति से पास करेंगे ।

[5 बजे अपराह्न]

श्री रियासत हुसैन--

इस साल अगर माननीय मंत्री जी ने सारे मच्छर मार दिये तो अगले साल कटौती का प्रस्ताव मूव नहीं करूंगा । इस समय तो रखता हूं ।

श्री लोकपति--

जिला परिषदों और नगरपालिकाओं के अस्पतालों की बात उठती रही है । वर्तमान परिस्थिति में हमारी नगरपालिकायें ऐसी नहीं हैं कि वह अपनी चिकित्सा पद्धति चलायें और न ही जिला परिषदें हैं जो इस सदन की राय जानकर, जैसा कि माननीय सदस्यों ने बैठकों में कहा है, मैं सोचता हूं कि मुनासिब यह है कि जिला परिषद् और नगरपालिकाओं द्वारा चलाये जाने वाले जितने अस्पताल हैं उन सब को स्वास्थ विभाग ले ले ।

श्री अकबाल हुसैन--

तिबिया कालेज के प्रान्तीयकरण के बारे में भी बता दें ।

श्री लोकपति--

वह कह दिया है कि कानून ला रहे हैं ।

श्री हरकिशन श्रीवास्तव--

बलरामपुर में योगिक विभाग के जो प्राचार्य हैं वह अक्तूबर में रिटायर हो रहे हैं, उनके लिए आश्वासन दे दें ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य आपस में वार्तालाप न करें ।

श्री हरिकिशन श्रीवास्तव--

अक्तूबर में रिटायर हो रहे हैं ।

श्री लोकपति--

वह कह दिया है कि नहीं रिटायर होंगे ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 38-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) से सम्बन्धित सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 38--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 33,08,21,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 39--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) से सम्बन्धित सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 39--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,13,43,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 40--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 40--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,35,27,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 77--चिकित्सा विभाग--पूंजीगत परिव्यय सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 77--चिकित्सा विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 37,15,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 के अन्तर्गत 5 सूचनाएं प्राप्त हुई थीं, जिनमें से एक सूचना श्री राजेन्द्रकुमार गुप्त की स्वीकृत हुई है जो अलीगढ़ से लखनऊ आने वाली उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस के पुलिस गार्डों की राइफलों को लुटेरों द्वारा छीने जाने के सम्बन्ध में है। अन्य सूचनाएं अस्वीकृत हुईं।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, चीनी का इतना संकट आया है। मैंने उसके बारे में दिया था, तो नियम 56 में आपने उसे अस्वीकृत कर दिया था, फिर मैंने नियम 51 में दिया हुआ है। माननीय मुख्य मंत्री जी वचन-भंगी के रूप में आ गये हैं। उन्होंने कहा था कि तीन दिन के अन्दर 6 रुपये 23 पैसे में शक्कर मिलेगी, लेकिन...

श्री अध्यक्ष--

अभी तीन दिन कहां पूरे हुए, उसे तो पूरा होने दें।

कासगंज, जिला एटा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

ग्राम्य विकास मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 14 अगस्त, 1980 को लगभग साढ़े सात बजे सायंकाल दो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बारादरी (कासगंज, जिला एटा) स्थित घंटाघर पर अपनी पार्टी के पोल पर झंडा चढ़ाने हेतु डोरी आदि ठीक कर रहे थे कि उसी समय लगभग 100-125 व्यक्ति, नगर में पहले लागू धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर, उक्त बारादरी के पास आकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को झंडा की डोरी आदि लगाने से मना करने लगे। उनमें से कुछ घंटाघर पर चढ़ने का प्रयास करने लगे। मौके पर पहले से उपस्थित पुलिस ने जब उन्हें ऐसा करने से रोका तो वे उत्तेजित हो गये। उसी समय सहावर गेट की ओर से पत्थरबाजी आरम्भ हो गई। घंटाघर के नीचे खड़े व्यक्तियों ने भी पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। मौके पर 64 उपद्रवकारियों को बंदी बना लिया गया। गिरफ्तारी के समय लाठीचार्ज अथवा दुर्व्यवहार नहीं किया गया। उपरोक्त घटना में 19 व्यक्तियों को साधारण चोटें आईं। इसके अतिरिक्त एक पुलिस कान्सटेबिल को भी इस घटना में चोट आई है।

गिरफ्तार व्यक्तियों के सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त उन्हें एटा जेल भेजा गया। रास्ते में इन लोगों ने बस के शीशे तोड़ डाले तथा उसकी सीटों की गद्दियां फाड डालीं। जिलाधिकारी की आख्या के अनुसार जेल ले जाते समय रास्ते में पुलिस द्वारा बंदियों की घड़ियों एवं उनसे रुपये छीनने की बात सही नहीं है। शिशु मंदिर के किसी अध्यापक अथवा कर्मचारी को शांति भंग होने की आशंका में उनके घरों से गिरफ्तार नहीं किया गया।

[श्री अम्मार रिजवी—]

दिनांक 15 अगस्त, 1980 को कासगंज स्थित घंटाघर पर प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका, कासगंज द्वारा 8 बजे प्रातः बड़े पोल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। श्री मलिक मोहम्मद मुशीर अहमद खां, संसद सदस्य द्वारा कांग्रेस (आई) का ध्वज पार्टी पोल (छोटे पोल) पर अपरान्ह एक बजे फहराया गया था, जो पिछली सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरूप है।

दिनांक 16 अगस्त, 1980 को एटा जेल में प्रश्नगत बंदियों का ट्रायल एक बजे अपरान्ह से 8·55 बजे रात तक होता रहा। जेल मेनुअल के अनुसार साढ़े पांच बजे अपरान्ह के बाद प्राप्त मुक्ति आदेशों का कार्यान्वयन अगले दिन किया जाना चाहिये। फिर भी जेल अधीक्षक ने औपचारिकता पूर्ण करने के पश्चात् बंदियों को उसी दिन मुक्त होने की सुविधा देनी चाहीयें, परन्तु बंदी उस समय एटा से कासगंज यातायात की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण जाने पर राजी नहीं हुये। अतः बंदियों को रात भर जेल में रक्खा गया और उन्हें दूसरे दिन रिहा किया गया। बंदियों को जिलाधिकारी के टेलीफोनिक आदेश पर रात में रोकने की बात सही नहीं है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

माननीय मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में बताया है कि 19 व्यक्तियों के चोटें आई हैं। क्या वे बताने की कृपा करेंगे कि जिन व्यक्तियों के चोटें आयीं क्या उनकी कहीं पर मेडिकल जांच करायी गई ? यदि हां, तो ये किस प्रकार की हैं ? क्या उनमें से किसी के गम्भीर चोटें भी आई हैं ? दूसरे क्या थाने में जो लाठी चार्ज हुआ था रात के 11 बजे पानी और भोजन की मांग को लेकर क्या उसके बाद उनकी डाक्टरी हुई थी या घंटा घर पर जो पथराव हुआ था उसके बाद हुई थी ? साथ ही यह भी बता दें कि रास्ते पर घड़ियों की चोरी लिखाई गई या बंदियों ने जेल में जाकर बताई जिस दिन मैजिस्ट्रेट वहां पर आया उनको साफ रिपोर्ट की कि हमारा सामान, धन और घड़ियां छीन ली गई। तो क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किस अधिकारी द्वारा उसकी जांच कराई गई ? क्या यह जांच जिलाधिकारी द्वारा कराई गई ? यदि हां, तो क्या बन्दियों ने जिलाधिकारी के विरुद्ध भी कोई प्रार्थना-पत्र दिया था ?

श्री अम्मार रिजवी—

इनका पहला प्रश्न यह है कि चोटें जो आयीं, वे किस प्रकार की हैं और जिन लोगों को लगीं उनका ब्योरा क्या है। जैसा मैंने पहले ही निवेदन किया एक कान्सटेबिल और 19 दूसरे व्यक्तियों को चोटें आयीं, उनकी डाक्टरी कराई और इन 19 व्यक्तियों की डाक्टरी रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है जिसके अन्दर हर रिपोर्ट पर लिखा हुआ "एक्सटर्नल इन्जरी" और यह भी लिखा हुआ है कि "मामूली चोटें"। इन सभी 19 व्यक्तियों की डाक्टरी कराई गई थी। जो नोटिस मान्यवर, आपको दिया गया कि 50 व्यक्तियों को गम्भीर चोटें आयीं तो इन 50 लोगों का सवाल ही नहीं। केवल 19 लोगों और एक कान्सटेबिल को चोटें आयीं। उनके बारे में पूरी डाक्टरी रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है। अगर माननीय सदस्य जानना चाहते हों तो उन्हें बता दिया जा सकता है।

जहां तक घड़ी और दूसरे सामान का छीना जाना है या उसकी चोरी हुई है या जबरदस्ती ले ली गई, उसके बारे में उन्हें एफ0आई0आर0 दर्ज करानी चाहिये थी।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

आपने कहा है कि किसी तरह का लाठी चार्ज नहीं हुआ ? अगर नहीं हुआ तो यह चोटें किस तरह आयीं ? और डाक्टरी मुआयना कब हुआ ?

श्री अम्मार रिजवी--

चोटें तो पत्थरबाजी से आई हैं । डाक्टरी वहां पहुंचकर अस्पताल में कराई गई ।

श्री रियासत हुसैन--

क्या यह सही है कि किसी कोर्ट के वर्डिक्ट से कांग्रेस को वहां पर झंडा लगाने की अनुमति मिली क्योंकि जहां तक मुझे याद है यह प्रश्न पहले भी माननीय नारायण दत्त तिवारी जी के समय में भी उठा था । इस पर सरकार ने पहले कब फैसला लिया ?

श्री अम्मार रिजवी--

घंटाघर में दो पोल हैं – एक बड़ा और एक छोटा । बड़े पोल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और छोटे पोल पर कांग्रेस का झंडा । 1941 से वहां कांग्रेस का झंडा फहराया जाता रहा है । तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री बनारसीदास जी ने भी इस सम्बन्ध में जो आदेश किये हैं वह मैं पढ़ कर सुना रहा हूं, उनके हाथ का लिखा हुआ है फाइल में – "....यह मामला विवादास्पद बन गया है । 15 अगस्त, 2 अक्तूबर और 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज ही फहराना चाहिये परन्तु बाद में अन्य ध्वज परम्परानुसार फहराना उचित होगा । कांग्रेस झंडा जिसमें चर्खा बीच में है कासगंज में ही फहराया जाता रहा है और केवल कुछ समय पहले ही बन्द हुआ । कांग्रेस (आई) के कार्यकर्ता अपना अधिकार खोना नहीं चाहते । एक पोल पर कांग्रेस का झंडा रहे इस पर आपत्ति करने का सम्भवतः औचित्य नहीं है ।" यह 14 अगस्त, 1979 का उनका आदेश है । इसके बाद उन्होंने फिर 14 जनवरी, 1980 को जो गृह सचिव को आदेश दिये हैं वह हैं – "गृह सचिव, कृपया श्री राज बहादुर गुप्त, अध्यक्ष, नगर कांग्रेस कमेटी (आई) कासगंज का संलग्न प्रत्यावेदन देखें । इस सम्बन्ध में पहले ही निर्णय लिया जा चुका है कि कासगंज में पहले राष्ट्रध्वज फहराया जाये तत्पश्चात् कांग्रेस के ध्वज को फहराने की आज्ञा प्रदान की जाये । तदनुसार आदेश जारी किये जांयें । कांग्रेस का झंडा उसी पोल पर फहराया जाये जहां परम्परागत होता रहा है ।"

इसलिये मान्यवर, जो कुछ हुआ है वह कोई नई परम्परा नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

यह बात सही है कि यह विवाद बहुत पुराना है । वर्ष 1965 में जब उत्तर प्रदेश सरकार की तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्रीमती सुचेता कृपालानी सत्तारूढ़ थीं यह प्रश्न विधान सभा में उठाया गया । जिस पर यहां सदन में यह बयान दिया गया है "....सरकार का मत है कि सार्वजनिक इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज ही फहराया जाना चाहिये । जांच के उपरान्त यह पाया गया है कि घंटाघर सार्वजनिक इमारत है, अतएव उस पर किसी पार्टी का ध्वज नहीं फहराया जाना चाहिये । जिलाधिकारी एटा से इस बात का ध्यान रखने के लिये कहा गया है कि भविष्य में इस घंटाघर में किसी पार्टी का ध्वज नहीं फहराया जाना चाहिये ।"

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

यह मान्यवर, घंटाघर जो नगरपालिका की सम्पत्ति है ....।

श्री अध्यक्ष--

अब आप जानना क्या चाहते हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

यह मामला नगरपालिका में भी गया। तत्कालीन नगरपालिका प्रशासक और जिलाधिकारी श्री नरसिंहपाल यादव ने दिनांक 1 अक्तूबर, 1977 को निम्न आदेश जारी किये :--

"चूंकि नगरपालिका कासगंज ने अपने प्रस्ताव सं0 1, दिनांक 30-9-77 द्वारा यह निर्णय लिया है कि कासगंज में स्थित घंटाघर जो नगरपालिका की सम्पत्ति है, उस पर केवल राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाय और किसी राजनीतिक दल का झण्डा न फहरे। अतः मैं, नरसिंह पाल यादव, जिलाधिकारी एटा अपने पूर्वाधिकारी के प्रशासकीय आदेश दिनांक 13 अगस्त, 1977 को संशोधित करते हुए यह आदेश देता हूं कि इस घंटाघर पर केवल राष्ट्रीय ध्वज शासकीय नियमों के अनुसार फहराया जायेगा और कोई राजनीतिक दल इस पर अपनी पार्टी का झंडा नहीं फहरायेगा।" मान्यवर, इस तरह के विवाद चलते रहे।

श्री अध्यक्ष--

यह तो माननीय मंत्री जी के वक्तव्य में आ चुका है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट निर्देश जारी करने की कृपा करेंगे कि एक सार्वजनिक इमारत पर राष्ट्रीय झंडे के अलावा कोई झंडा न फहराया जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

सम्मानित सदस्य को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कांग्रेस की भूतपूर्व मुख्य मंत्री की बात मानी जब तत्कालीन (भूतपूर्व) मुख्य मंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी की बात मान रहे हैं। यह बात उचित न होगी कि मैं इनके मुख्य मंत्री बनारसी दास जी की बात न मानूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, एक प्रश्न और ....।

श्री अध्यक्ष--

अब नहीं।

श्री जटा शंकर सिंह--

मान्यवर, वक्तव्य में कहा गया है कि विधिक कार्यवाही पूर्ण करने के बाद जेल भेजा गया था। क्या विधिक कार्यवाही पूर्ण करने के अन्तर्गत जामा तलाशी ली गयी थी]? यदि जामा तलाशी ली गयी थी तो उनके पास से कुछ पैसे या घड़ियां बरामद हुई]?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, इस प्रकार की जामा तलाशी तो जेल में ली गयी होगी। इसके बारे में हमारे पास सूचना नहीं है।

श्री जटा शंकर सिंह--

मान्यवर, थाने में ही जामा तलाशी ली जाती है। क्या उनकी थाने में जामा तलाशी ली गयी ?

श्री अम्मार रिजवी--

चूंकि श्रीमन्, एक आन्दोलन था, उसमें जा रहे थे, इसलिए मान्यवर, जामा तलाशी ऐसे मामलों में नहीं ली जाती। इनको मान्यवर, जामा तलाशी की आदत है, इसलिए वह कह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय बनारसी दास जी का यह आदेश था कि उस भवन से भिन्न एक पोल लगा दिया जाय। जो सार्वजनिक भवन बना हुआ है, उसके ऊपर जनता ने विरोध किया।

श्री अम्मार रिजवी--

दोनों अलग-अलग पोल हैं। एक बड़े पोल पर राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया और छोटे पर कांग्रेस का झंडा लगाया गया।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

मान्यवर, किस कांग्रेस के झंडे की बात कर रहे हैं, जिसमें पंजा है या चर्खा है ?

मान्यवर, मेरे सवाल का जवाब माननीय मंत्री जी की ओर से नहीं आया कि वह झंडा क्या चरखे वाले निशान का था या हाथ के निशान वाला ? (शोर)

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

देश के उत्तरी भाग में भारी भूकम्प से हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री यशपाल सिंह)--

दिनांक 29-7-80 को रात तथा 30-7-80 को प्रातः आये भूकम्प के झटके प्रदेश के कई जिलों में महसूस किये गये परन्तु इसका विशेष प्रभाव जनपद पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा तथा गढ़वाल में पड़ा। इन जिलों में हुई क्षति तथा दी गयी राहत का विवरण निम्न प्रकार है :--

श्री रियासत हुसैन--

अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए, क्योंकि यह 4 पेज का है, बहुत लम्बा है। ताकि इस बीच में माननीय सदस्यगण अपने-अपने प्रश्न कर लें।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए, ताकि हम लोग प्रश्न कर लें ।

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, यदि यह कहते हैं कि इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री यशपाल सिंह--

[जनपद पिथौरागढ़ में दिनांक 29-7-80 को भूकम्प का एक हल्का झटका शाम 5-50 बजे लगा और उसके बाद थोड़े-थोड़े समय के अन्तर से और भी कई झटके आये । रात्रि 8-30 बजे जो झटका लगा था वह सबसे तीव्र था । भूकम्प से जनपद पिथौरागढ़ में 1600 मकानों को क्षति पहुंचने की सूचना है जिसमें से 600 मकान पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गये हैं । भूकम्प का सबसे अधिक असर धारचूला तहसील में हुआ । कुल क्षतिग्रस्त मकानों में से 1100 मकान धारचूला तहसील में ही प्रभावित हुए हैं । क्षतिग्रस्त भवनों में 12 इन्टर कालेज, 7 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं एक नार्मल स्कूल के भवन भी शामिल हैं जिनमें दरार पड़ गयी है । 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 13 व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हो गये । घायल व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया । प्रत्येक मृतक के परिवार को 1000 रु0 तथा प्रत्येक घायल को 100 रु0 के हिसाब से तुरन्त आर्थिक सहायता दी गई और बाद में 2,500 रु0 प्रति मृतक परिवार तथा 1000 रु0 प्रति घायल व्यक्ति को प्रधान मंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष से आर्थिक सहायता वितरित कर दी गई है । निराश्रित व्यक्तियों को सेना की बैरकों, तहसील भवन, ब्लाक भवन तथा स्कूल के भवनों में रखा गया है । कुछ टेन्ट, बड़े त्रिपाल तथा टिन की चादरें प्रभावित गांवों को पहुंचाकर प्रभावित परिवारों के अस्थायी निवास की व्यवस्था की गयी है । डाक्टरों एवं सफाई कर्मचारियों का सचल दल उन स्थानों की देखभाल कर रहा है जहां इन परिवारों को अस्थायी रूप से रखा गया है । हैजा आदि महामारियों को रोकने की व्यवस्था भी कर दी गयी है । वन विभाग से लकड़ी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है । खाद्यान्न योजना के अन्दर छोट राहत कार्य भी जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत किये गये हैं । कुछ स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त सहायता का भी प्रभावित परिवारों में वितरण कराया गया है ।

भूकम्प का अध्ययन करने के लिये विशेषज्ञों का एक दल धारचूला आया था और उन्होंने भूकम्प संवेदनशील क्षेत्रों में भवन निर्माण की कला में कुछ परिवर्तनों का सुझाव दिया है । भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के भी 4 विशेषज्ञ दिल्ली से धारचूला पहुंचे हैं और उन्होंने धारचूला, पिथौरागढ़ तथा कुछ अन्य स्थानों पर, जो भूकम्प के केन्द्र बिन्दु से निकट हैं, नवीनतम उपकरण लगाये जाने की योजना बनायी है ।

चमोली

जनपद चमोली में दिनांक 29-7-80 को सायंकाल लगभग 8 बजकर 30 मिनट पर भूकम्प का एक झटका लगा, जो लगभग एक मिनट रहा । तत्काल बिजली काट दी गयी । प्राप्त सूचनानुसार चमोली जिले में भूकम्प से 5 व्यक्तियों तथा

[पढ़ा हुआ माना गया

76 पशुओं की मृत्यु हुई, 179 मकान आंशिक रूप से तथा 232 मकान पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गये। पीड़ित परिवारों को तुरन्त सहायता प्रदान की गयी।

ग्राम जिनगौड में श्री बच्ची राम तथा श्री संग्रामू राम गांव से करीब आधा किलो मीटर दूर एक अलग स्थान पर रह रहे थे। मकान श्री बच्ची राम का था और उसमें बरसात के समय एक कमरे में श्री संग्रामू राम भी श्री बच्ची राम की सहमति से रह रहे थे। भूकम्प से इस मकान की सभी दीवारें टूट गयी जिससे श्री बच्ची राम के 2 बच्चे तथा श्री संग्रामू राम के 2 बच्चों की दबकर मृत्यु हो गयी। इस घटना से श्री संग्रामू राम व उनकी पत्नी भी घायल हुए, उन्हें उपचार हेतु राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गैरसैंड में दाखिल करा दिया गया, वे अब खतरे से बाहर हैं और स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। श्री बच्ची राम तथा श्री संग्रामू राम को तत्काल एक-एक हजार रुपये की अहेतुक सहायता और 2-2 कम्बल प्रदान किये गये तथा श्री बच्ची राम को 800 रु0 गृह निर्माण अनुदान वितरित किया गया।

ग्राम गैरसैंड में श्री गोविन्द राम का मकान भूकम्प के कारण क्षतिग्रस्त हो गया जिसमें उनके लड़के श्री मनोज कुमार उम्र 4 वर्ष की मलवे में दबकर मृत्यु हो गयी। श्री गोविन्द राम की पत्नी भी घायल हो गयी, उन्हें राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गैरसैंड में दाखिल किया गया जहां वे अब खतरे से बाहर हैं और स्वास्थ्य लाभ कर रही हैं। श्री गोविन्द राम को 1000 रु0 अहेतुक सहायता और 800 रु0 गृह निर्माण अनुदान वितरित किया गया है।

विकास खंड गैरसैंड के अन्तर्गत अब तक प्राप्त सूचनानुसार 26 मकान आंशिक रूप से तथा 3 मकान पूर्णतया क्षतिग्रस्त हुए हैं। पीड़ित परिवारों को नियमानुसार गृह निर्माण अनुदान एवं अहेतुक सहायता वितरण की कार्यवाही की गयी है।

ऋषिकेश-बद्रीनाथ मोटर मार्ग पर घोलतिर के समीप ग्राम मवाना स्थित है। इस गांव के ऊपरी भू-भाग में गत वर्ष से नगरासू-डडहार मोटर मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। दिनांक 1 जुलाई, 1980 को हुई अति वृष्टि के कारण उक्त मार्ग के कटान का मलवा पानी के साथ बहकर गांव से होते हुए कृषिमय भूमि में भर गया है। यह मलवा 11 गौशालाओं में भी भर गया तथा 7 हरिजन परिवारों के आवासीय मकानों को खतरा उत्पन्न होने के कारण इन सभी परिवारों को गांव के समीप ही सुरक्षित स्थानों पर टेन्ट लगाकर बसा दिया गया है। अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार इस घटना से कोई मकान नहीं दबा है और न जन एवं पशु की हानि ही हुई है। मोटर मार्ग के मलवे से 70 नाली 9 मुट्ठी सिंचित भूमि धान की खड़ी फसल के साथ पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गयी है जिससे 17 कृषक परिवार प्रभावित हुए हैं। भविष्य में गांव की सुरक्षा हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क के मलवे से बनाये गये गधेरों के दोनों ओर ब्रेस्ट वाल तथा पानी की निकासी हेतु समुचित कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। क्षतिग्रस्त सिंचाई नहर की अस्थायी मरम्मत करके पानी उपलब्ध कराया जा चुका है।

स्थान मेहलचोरी, बछुवाबान तथा आदिबद्री में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा राजकीय इन्टर कालेज हैं तथा स्थान विरपाक में राजकीय आधारिक विद्यालय हैं। मेडलचोरी तथा बछुवाबान में भूकम्प के कारण तथा आदिबद्री में तूफान के कारण से भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं। इन क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत की कार्यवाही की जा रही है।

कर्णप्रयाग शहर की पिन्डर नदी के दायें तट पर स्थित गांधीनगर 29 जुलाई, 1980 के भूकम्प से प्रभावित नहीं हुआ है। यह भू-भाग वर्ष 1978 में हुई

[श्री यशपाल सिंह--]

अतिवृष्टि से धंस रहा है । भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के विशेषज्ञों द्वारों इस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनकी राय के अनुसार धसाव की प्रवृत्ति के अध्ययन कार्य अनुसंधान एवं नियोजन विभाग द्वारा, पहाड़ी के ऊपरी भाग में वनीकरण तथा छोटे-छोटे चैक डाम एवं दीवालबन्दी का कार्य वन प्रभाग द्वारा और सड़क के पानी की निकासी तथा मुख्य मोटर मार्ग के दोनों ओर ब्रेस्ट वाल स्केपर आदि के निर्माण का कार्य सीमा सड़क कृत्रिम बल के संगठन द्वारा प्रारम्भ किया जा रहा है । अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार विकास खंड कर्णप्रयाग के बैनोली नौटो क्षेत्र में कोई भी 4 गांव नहीं धंसे है ।

विकास खंड थराली के अन्तर्गत अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार कोई भी गांव नहीं धंसा है । ग्राम कूनी में भूकम्प के कारण 55 मकान पूर्णतः तथा एक मकान आंशिक रूप से ध्वस्त हुए हैं । जन एवं पशु हानि नहीं हुई है । पूर्व में भी इस गांव में भूकम्प से कई मकान क्षतिग्रस्त हुए थे जिस तथ्य के आधार पर भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के विशेषज्ञों का एक दल शीघ्र ही उक्त क्षेत्र के सर्वेक्षण हेतु जाने वाला है । सभी पीड़ित परिवारों को तात्कालिक सहायता के रूप में 100 रु0 अहेतुक सहायता और रु0 800 गृह निर्माण अनुदान की दर से तत्काल राहत पहुंचायी जा चुकी है ।

पौड़ी-गढ़वाल

दिनांक 29-7-80 को आये भूकम्प से इस जनपद की तहसील पौड़ी-गढ़वाल में 4 मकान, तहसील लैंसडाउन में 6 मकान, तहसील कोटद्वार में 3 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं जिनकी अनुमानित क्षति 47,500 रु0 आंकी गयी है । सबसे अधिक क्षति उप तहसील थैलीसैंड में हुई है । इस उप तहसील के ग्राम सुनारा गांव पट्टी ढाईजुली में 2 मकान एवं एक गौशाला व एक आधारिक विद्यालय भवन पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गये हैं । 4 भवनों में भयंकर दरारें पड़ गयी हैं जो अब रहने योग्य नहीं हैं, 34 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं । 3 गौशालाएं भी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई हैं । जिनमें 2 गाय दबकर मर गई हैं और एक गाय गम्भीर रूप से घायल हुई है । इसके अतिरिक्त ग्राम नगैली पट्टी ढाईजुली में एक मकान ग्राम सांठी (तलगांव) ढाईजुली में एक मकान व एक गौशाला तथा ग्राम कैंथूर (थलीसैंड) पट्टी चोपडाकोट में एक गौशाला भूकम्प से क्षतिग्रस्त हुए हैं । सभी ग्रामों में मकानों की हुई क्षति की कुल अनुमानित कीमत 3,83,000·00 रुपये आंकी गई है । आधारिक विद्यालय का भवन जो पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया है, की कीमत 40,000·00 रु0 आंकी गयी है । कोई जन हानि नहीं हुई है । अब तक 11,650 रु0 गृह निर्माण अनुदान के अन्तर्गत प्रभावित परिवारों को स्वीकृत किये गये हैं ।

ग्राम सूनारागांव पट्टी ढाईजुली को उक्त भूकम्प से खतरा उत्पन्न हो गया है । अतः इस ग्राम को अन्यत्र बसाने की कार्यवाही की जा रही है । वर्तमान समय में जन जीवन की सुरक्षा हेतु अस्थायी प्रबन्ध कर लिया गया है । सभी तहसीलों में नियमानुसार सहायता वितरित की गई है ।

अल्मोड़ा

अल्मोड़ा में भी भूकम्प के झटके दिनांक 29-7-80 और 30-7-80 को महसूस हुए । किसी जन हानि की सूचना प्राप्त नहीं हुई है । जिले में 4 हाई स्कूल भवनों और 5 इन्टरमीडिएट कालेज के भवनों को क्षति पहुंची है । कुल

81 मकानों को क्षति पहुंची है। स्याल्दे विकास खंड में 7 मकान पूरी तरह तथा 18 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गये हैं। स्याल्दे विकास खंड में किसी हाई स्कूल अथवा इन्टरमीडिएट कालेज के भवन को क्षति नहीं पहुंची है। गृह निर्माण अनुदान देने की कार्यवाही की जा रही है।]

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में लिखा है, जो 4 पेज का वक्तव्य है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मन्त्री जी ने केवल उन्हीं सूचनाओं के आधार पर उत्तर दिया है, जो मैंने अपने नोटिस में दिया था या इसके अतिरिक्त भी उनके पास कोई सूचना है कि वहां अतिवृष्टि और भूकम्प से लोगों के कितने नुकसान हुए हैं? यदि हां, तो क्या कोई जानकारी देने की कृपा करेंगे?

श्री यशपाल सिंह--

जो सूचनाएं मांगी गयी थीं, उसी आधार पर वक्तव्य है और इसके अतिरिक्त यदि माननीय सदस्य कोई सूचना चाहते हों तो उसे वह लिखकर दे दें, जानकारी करा ली जायेगी। वैसे चूंकि यह एक दैवी आपदा है फिर यदि आप यह जानना चाहते हैं कि सरकार ने इस पर क्या किया और क्या नहीं किया और अगर इनको इसमें कोई कमी मालूम होती हो तो वह लिखकर दे दें, जांच कराकर सूचना दे दी जायेगी।

(व्यवधान)

(श्री जसवंत सिंह बिष्ट के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें, जिनकी सूचना के आधार पर वक्तव्य आया है, उनको पहले प्रश्न पूछने का मौका दें।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी को याद होगा, इसके सम्बन्ध में कल ही उनको पत्र दे चुका हूं कि मवाना ग्राम के लिए पी0 डब्लू0 डी0 द्वारा उस गांव को एक छोटी नदी से बचाने के लिए पूरी तरह से बांध दिया गया है। मान्यवर, हमारी जानकारी है कि अभी तक वहां कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है। लेकिन माननीय मन्त्री जी इस बात को सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण देंगे कि वहां कार्य हुआ है या केवल खानापूरी के आधार पर उत्तर दे दिया गया है?

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, हमारे पास जो सूचना उपलब्ध थी, वह मैंने माननीय सदन के सदस्यों के सामने रख दी। यदि उसके बारे में कोई और जानकारी चाहते हैं, तो वह लिखकर दे दें, उसका परीक्षण करा दिया जायेगा और यथासम्भव उस पर कार्यवाही की जायेगी।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, जिन लोगों के मकान गिर गये उनकी सहायता के रूप में 800 रु0 जो दिया जाता है, वह बहुत पुराना रेट है। क्या माननीय मन्त्री जी

[डाक्टर शिवन्द नौटियान--]

आज कल की स्थिति को देखते हुए और नुकसान को दृष्टि में रखते हुए उसके रेट को बढ़ाने के लिए भी कोई आश्वासन देंगे ?

श्री यशपाल सिंह--

माननीय सदन में मैं आश्वासन दे चुका हूं कि इस में गृह निर्माण के लिये 8 सौ की जगह पर एक हजार कर दिया गया है और हमारे आदेश के पश्चात् जहां कहीं इस प्रकार की दैवी आपदा होगी वहां पर एक हजार रुपये के हिसाब से दिया जायेगा ।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, पिथौरागढ़ में 2500 रुपये प्रति व्यक्ति मृतक को प्रधान मन्त्री राष्ट्रीय सहायता कोष से दिया गया है और एक हजार रुपया के हिसाब से घायलों को दिया गया । किन्तु चमोली म यह नहीं दिया गया । ग्राम जिनगंड में श्री बच्ची राम तथा श्री संग्राम राम गांव के दो बच्चों की मृत्यु हुई तो क्या इनको भी प्रधान मन्त्री सहायता कोष से सहायता दी जायेगी ?

श्री यशपाल सिंह--

माननीय सदस्य जिस अनुदान का जिक्र कर रहे हैं वह केन्द्रीय सरकार ने पिथौरागढ़ के लिये भेजा था उसको उसी के अनुरूप वितरित कर दिया गया अब हमने दूसरे स्थानों के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगा है ताकि हम उसी अनुरूप सहायता कर सकें अगर हमको मिलेगा तो देंगे ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

माननीय मन्त्री के उत्तर से सम्बन्धित क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे भूकम्प सभी जगहों पर एक जैसा आया है और चमोली के आदमी पिथौरागढ़ से भिन्न नहीं थे तो क्या माननीय मन्त्री जी केन्द्रीय सरकार को अपनी सिफारिश भेजें कि जिस तरह से पिथौरागढ़ के भूकम्प प्रताड़ितों को सहायता देनी है उसी तरह से चमोली तथा अन्य स्थानों पर भी दी जाय ?

श्री यशपाल सिंह--

मैंने पहले भी माननीय सदस्य को बताया कि मैं सिफारिश भेज चुका हूं ।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता था कि इस भूकम्प के बारे में टेहरी तथा उत्तरकाशी से भी कोई सूचना मन्त्री जी ने मंगाई है ?

श्री यशपाल सिंह--

जो सूचना मांगी गई थी वह मंगाई गई है ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता था कि जो यह रिपोर्ट प्रस्तुत किया है क्या यह ज्ञात सच है कि पर्वतीय अंचल में रिपोर्ट पटवारी भेजता है और बिना पैसा के वह रिपोर्ट नहीं भेजता है । जो संख्या इसमें मकानों की दी गई वह बहुत कम है तो क्या मन्त्री जी इसमें संशोधन करेंगे या जांच करायेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री विद्यासागर नौटियाल--

यह जो भूकम्प आया था वह कितने एम० एम० स्टेज का था, इसकी सूचना है ? भूकम्प किस प्रकार का था इसकी कोई टेक्निकल सूचना माननीय मन्त्री जी के पास है ? इस पर हमारे पूरे प्रदेश का भाग्य निर्भर करता है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी भूकम्प किस तरह का था बता सकें तो बता दें ।

श्री यशपाल सिंह--

मैं प्रकार नहीं जानता कि किस स्केल का था इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

यह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--*

यह कहीं लिखा नहीं जा रहा है, जो आपने कहा ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

[× × ×]

श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या माननीय मन्त्री जी बताएंगे कि चमोली जिले में फूनी गांव में सारा का सारा गांव क्षतिग्रस्त हो गया है और गैरसैंण में जिनगोड़ तथा गैड़ गांव में क्षति हुई है, उनके पुनर्वास की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री यशपाल सिंह--

पूरा विवरण पढ़ा हुआ मान लिया गया । उसके बाद मैं निवेदन कर चुका हूं कि कहीं पर कोई ऐसी आशंका हो हमारे अधिकारी कहीं न पहुंच पाये हों और यहां पर सूचना उपलब्ध न हो पायी हो, माननीय सदस्य लिख दें । परीक्षण करा लिया जायेगा ।

नोट--[× ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सवा 5 बजकर 35 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
8 सितम्बर, 1980

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा सदस्य पुस्तकालय

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 673 पर)

तालिका

क्रम-सं0	नाम विकास खंड	सम्पर्क मार्गों की संख्यायें	लम्बाई कि0मी0	धन जो व्यय हुआ (रुपये)
1	2	3	4	5
1	देवरिया	77	272-310	23,75,758·36
2	बैतालपुर	69	166-430	10,91,156·86
3	गौरी बाजार	26	114-900	8,45,172·55
4	रामपुर कारखाना	50	121-225	10,98,807·00
5	रुद्रपुर	10	40-800	7,34,439·31
6	देसई देवरिया	24	43-263	2,95,545·62
7	पथरदेवा	18	83-200	6,13,460·00
8	सलेमपुर	25	54-150	3,26,250·50
9	भागलपुर	16	47-500	3,19,520·92
10	लार	23	52-350	4,53,588·82
11	भनुअनी	32	73-950	4,59,135·43
12	बरहज	18	50-925	3,12,080·00
13	भटनी	21	49-700	4,51,527·00
14	भटपाररानी	57	133-250	9,40,525·00
15	बनकटा	20	132-000	8,10,625·05
16	डाटा	27	82-000	5,36,650·00
17	सुकरौनी	19	67-919	5,04,989·00
18	मोतीचक	20	71-800	6,34,804·13
19	रामकोला	10	36-563	3,51,537·76
20	कप्तानगंज	26	96-000	7,93,246·00
21	खड्डा	15	95-188	9,15,151·22
22	नेबुआ नौरंगिया	40	136-000	14,19,544·12
23	पडरौना	46	158-000	12,18,089·00
24	कसया	49	126-187	10,20,335·52
25	फाजिलनगर	11	40-900	3,67,973·52
26	तमकुही	15	45-150	2,99,815·70
27	सेवरही	21	72-305	5,91,328·33
28	बिगुनपुरा	22	75-953	5,98,689·63
29	दुधई	13	68-850	3,87,084·23
	योग ..	820	2608-568	2,07,66,840·61

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 674 पर)

क्रमांक	वि0स0 का नाम	बीज भण्डार का नाम	लघु कृषकों को वितरित उर्वरक की मात्रा		सीमान्त कृषकों को वितरित उर्वरकवार कुल मात्रा		अनुदान की कुल धनराशि बीज भंडारवार
			उर्वरक का नाम	मात्रा मै0 टन में	उर्वरक का नाम	मात्रा मै0टन में	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रुधौली	1—रुधौली	1—यूरिया	1-250-000	1—यूरिया	1-950-000	
			2—डी0ए0पी0	0-300-000	2—डी0ए0पी0	5-800-000	10636·57
		2—कोहरा	1—यूरिया	1-600-000	1—यूरिया	6-275-000	
			2—डी0ए0पी0	0-500-000	2—डी0ए0पी0	1-850-000	5249·78
			3—एम0ओ0पी0	0-050-000	..	..	
		3—डिरई	1—यूरिया	1-600-000	1—यूरिया	4-150-000	
			2—डी0ए0पी0	0-450-000	2—डी0ए0पी0	1-875-000	4230·03

उत्तर प्रदेश विधानसभा

2	सांधा	1--बौरव्यास	1--यूरिया	5-000-000	1--यूरिया	23-000-000	12868·05
		2--लोहरौली	1--यूरिया	1-500-000	1--यूरिया	23-250-000	
			2--डी0ए0पी0	0-150-000	2--डी0ए0पी0	4-250-000	
		..	..	..	3--पोटाश	0-250-000	15033·05
		3--सांधा	1--यूरिया	0-475-000	1--यूरिया	4-400-000	
			2--डी0ए0पी0	0-100-000	2--डी0ए0पी0	0-150-000	2461·62
		4--जंगलबेलहर	..	..	1--यूरिया	5-500-000	
			..	..	2--डी0ए0पी0	1-000-000	3388·80
3	खेसरहा	1--खेसरहा	1--यूरिया	4-301-990	1--यूरिया	38-300-000	
			2--डी0ए0पी0	1-050-000	2--डी0ए0पी0	16-800-000	
			..	..	3--एम0ओ0पी0	1-800-000	33417·57
		2--राजेडिहा	1 ..	..	1--यूरिया	19-050-000	
					2--डी0ए0पी0	2-700-000	11175·36
							98460·83

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 11 का उत्तर पीछे पृष्ठ 675 पर)

तालिका

उर्वरक का नाम	1-6-80 को उपलब्ध स्टाक (मी0टन)	8-6-80 को उपलब्ध स्टाक (मी0टन)
यूरिया	1842-007-417	1350-253-517
डी0ए0पी0	836-089-488	724-411-138
एम0ओ0पी0	461-101-733	448-851-983
ए0एन0पी0 (24 : 24 : 0)	33-879-250	32-329-250
ए0एन0पी0 (20 : 20 : 0)	22-795-700	22-229-500
जिंक सल्फेट	6-427-400	6-427-400
राक फास्फेट	0-697-200	0-697-200
एन0पी0के0 (20 : 10 : 10)	7-626-000	7-626-000
एन0पी0के0 (15 : 15 : 15)	22-342-500	22-342-500

विधान परिषद उ0प्र0

नत्थी 'ब'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 14 का उत्तर पीछे पृष्ठ 676 पर)

तालिका

श्रम हेतु खाद्यान्न योजना के अंतर्गत बस्ती जनपद में वर्ष 1978–79 से 1980–81 तक चयनित योजनाओं, योजनायें जिन पर कार्य प्रारम्भ किया गया, योजनायें जो पूर्ण हो गई एवं योजनायें जो अवशेष रही, का विवरण :

क्रम-संख्या	वर्ष	चयनित योजनाओं की संख्या	योजनाओं की संख्या जिन पर कार्य शुरू हुआ	पूर्ण योजनाओं की संख्या	योजनाओं की संख्या जिन पर कार्य अवशेष	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1	1978–79	172	90	62	28	वर्ष 1978–79 एवं 1979–80 की अवशेष योजनायें अगले वर्ष की चयनित योजनाओं में सम्मिलित हैं।
2	1979–80	2122	1220	1020	200	
3	1980–81	271	171	45	1126	
	योग	2565	1481	1127		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 18 का उत्तर पीछे पृष्ठ 678 पर)

कृषि विभाग में उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी-1 में रिक्त पदों का विवरण।

क्रम-संख्या	रिक्त पदों का नाम	रिक्त होने की तिथि
1	2	3
1	संयुक्त कृषि निदेशक (मृदा सर्वेक्षण), कृषि निदेशालय	26-1-80
2	संयुक्त कृषि निदेशक (शिक्षा प्रसार एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश, लखनऊ	1-8-79
3	जिला कृषि अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी, बस्ती	13-12-79
4	जिला कृषि अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी, गोण्डा	23-8-79
5	जिला कृषि अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी, गोरखपुर	28-7-79
6	जिला कृषि अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी, रायबरेली	14-7-79
7	जिला कृषि अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी, बांदा	9-7-78
8	उप कृषि निदेशक (भूमि संरक्षण), लखनऊ	5-5-80
9	उप कृषि निदेशक (भूमि संरक्षण), अल्मोड़ा	सूचना उपलब्ध नहीं है।
10	कृषि अधिकारी (सहकारिता), लखनऊ	1-8-80
11	उप कृषि निदेशक (संग्रह) मुख्यालय	सूचना उपलब्ध नहीं है।
12	उप कृषि निदेशक (सेन्डीमेन्टेशन)	18-1-78
13	उप कृषि निदेशक (हाइड्रोलाजी)	18-1-78
14	विषय वस्तु विशेषज्ञ (अभियंत्रण)	9-10-79
15	उप कृषि निदेशक कम प्रभारी अधिकारी सम्भागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र, मेरठ	4-4-78
16	उप कृषि निदेशक कम प्रभारी अधिकारी सम्भागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र, आजमगढ़	2-1-77
17	उप कृषि निदेशक कम प्रभारी अधिकारी सम्भागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र, बाराबंकी	1-4-79

1	2	3
18	उप कृषि निदेशक कम प्रभारी अधिकारी, संभागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र, झांसी	5-10-78
19	उप कृषि निदेशक कम प्रभारी अधिकारी, संभागीय कृषि परीक्षा एवं प्रदर्शन केन्द्र, हल्द्वानी	14-12-78
20	उप कृषि निदेशक कम प्रभारी अधिकारी, संभागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र, हरदोई	1-2-80
21	उप कृषि निदेशक कम प्रभारी अधिकारी संभागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र, इटावा	1-8-80
22	सीनियर एनालिस्ट (इन्सेक्टीसाइड), लखनऊ	13-1-77
23	उप कृषि निदेशक, कृषि रक्षा, लखनऊ	21-4-79
24	उप निदेशक एग्रो/स्वायल, लखनऊ	18-1-78
25	उप कृषि निदेशक (प्रयोग एवं प्रदर्शन) कृषि निदेशालय, लखनऊ	4-5-79
26	केन्द्राध्यक्ष, मुजफ्फराबाद (सहारनपुर)	22-2-80
27	विषय वस्तु विशेषज्ञ (शस्य) कृषि निदेशालय, लखनऊ	जुलाई, '1980
28	कृषि अभियन्ता (पूर्वी जनपद एवं वर्कशाप) जौनपुर	1-1-80
29	कृषि अभियन्ता (केन्द्रीय एवं पश्चिमी जोन), लखनऊ	13-11-79

पो0 ए0 ए0 पो0—97 वि0 सभा—24-3-81—835-(पी0 डी0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा